

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session



[खंड VII में पृष्ठ 41 से 50 तक हैं]
[Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का मासिक संस्करण

शुक्रवार , 18 जुलाई , 1967 । 27 अगस्त , 1989 (सक)

का मुद्रि-पत्र

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ

5671-72

प्रश्न संख्या 1204 के निम्न पाठ के स्थान पर निम्नलिखित
प्रश्नोत्तर पढ़िये :

Arrival of Foodgrains in the market

* 1204

Shri Sidheshwar Prasad
Shri Ramachandra Ulak
Shri Bhulashwar Meena
Shri Heerji Bhai
Shri K. Pradhani
Shri Prakash Vir Shastri
Shri Vishwa Nath Pandey

Will the Minister of Food and Agriculture be
pleased to state :

- (a) whether foodgrains have arrived in the markets
in sufficient quantities during the past three months; and
- (b) if so, its impact on the prevailing prices ?

5674

गोधूमे के मूल्य 13 से 20.58 के स्थान पर 20.58 पढ़िये ।

गोधूमे के मूल्य 12 से 20.45 मिलियन टन के स्थान पर 247 लाख
गोधूमे टन पढ़िये ।

5681 प्रश्न के शीर्षक से पहले मुख्य शीर्षक 'नियम संख्या 40 के अन्तर्गत प्रश्न
Questions under Rule 40 भी पढ़िये।

5681 नीचे से पंक्ति 4 के आरम्भ में प्रश्न संख्या '2' भी पढ़िये।

5682 नीचे से पंक्ति 3 के आरम्भ में प्रश्न संख्या '30' भी पढ़िये।

5749-50 प्रश्न संख्या 5987 तथा उसके उत्तर के हिन्दी पाठ के स्थान पर
निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये :

' Sugar Mills in Bihar

5987 Shri Ramavatar Shastri
Shri Bhogendra Jha
Shri K.M. Madhukar

Will the Minister of Food and Agriculture
be pleased to state :

- (a) the total quantity of sugar produced by the sugar mills in Bihar during the year 1966 ;
- (b) the stock of sugar lying with these mills;
- (c) the total amount yet to be paid by these sugar mills to the growers and the sugarcane producers cooperative societies;
- (d) the total amount of additional income likely to accrue to all the sugar mills in Bihar as a result of the recent increase in the prices of sugar; and
- (e) whether Government propose to take over the additional income of the said sugar mills with a view to pay to the growers and sugar cane producers co-operative societies the amounts due to them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community development and co-operation (Shri Annasahib Chinde) : (a) 2.11 lakh tonnes during the sugar season of 1966-67 (November-October).

(b) 1.15 lakh tonnes on 30 June, 1967.

(c) An amount of Rs. 88 lakhs were to be paid by sugar mills of Bihar to the sugarcane growers on 15 June, 1967 for the sugarcane purchased during the season of 1966-67. Some commission of the sugarcane cooperative societies might also be in arrears but no information is available in this connection.

(d) According to the prevalent practice, the issue prices of sugar are fixed in the beginning of each year on the basis of availability of sugar from sugarcane and the crushing period. These prices are thereafter revised on the basis of actual crushing period and availability. Accordingly the issue prices of sugar were prescribed in Feb., 1967 on the basis of estimates during the 1966-67 season and they were revised in June, 1967 on the basis of the results of the actual working period. The issue prices of sugar factories of South Bihar have been increased whereas the issue prices of factories of Northern Bihar, where there has been substantial increase in the production, have been

reduced. The revised prices (Old prices being in the brackets) of Northern and Southern Bihar are as under

Northern Bihar	Rs. 139.86	(141.50)
Southern Bihar	Rs. 187.10	(145.30)

(e) Does not arise.

5770

पंक्ति 11 में 'Shri G.S. Dhillon in the Chair' के
स्थान पर 'Mr Speaker in the Chair' पढ़िये।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 42 मंगलवार, 18 जुलाई, 1967/27 आषाढ, 1889 (शक)

No 42-Tuesday, July 18, 1967/Asadha 27, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1201	प्रचीन भारतीय कला चित्रों तथा कला वस्तुओं का विदेशों में प्रदर्शन	Exhibition abroad of Old Indian Paintings and Pieces of Art	5663-5664
1202	सुपर बाजार	Super Bazars	5664-5668
1203	गोरक्षा सम्बन्धी समिति	Committee on Cow Protection	5668-5671
1204	बाजार में खाद्यान्नों का आना	Arrival of Foodgrains in the market...	5671-5674
1205	तटीय जहाजरानी	Coastal Shipping	5674-5678
1206	खाद्यान्नों पर राज सहायता	Subsidy on Foodgrains	5678-5681

नियम सं. 10 के अन्तर्गत प्रश्न QUESTIONS UNDER RULE :

2.	लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन	Action taken on the Reports of the Public Accounts Committee	5681-5682
3.	तीसरी लोकसभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन	Reports of the Public Accounts Committee of Third Lok Sabhas	5682-5684

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

ता० प्र० संख्या/ S.Q.Nos.

1206	मूलभूत अधिकारों के बारे में मुकदमेबाजी	Litigation over Fundamental Rights...	5684-5685
1208	1967 में खाद्यान्न का उत्पादन	Foodgrains Production in 1967	5685

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
1209 उर्वरक संवर्द्धन कार्यक्रम	Fertilizer Promotion Programme		5685-5686
1210 पशुधन	Cattle Wealth		5686-5687
1211 खाद्य क्षेत्र	Food Zones		5687
1212 पश्चिम बंगाल में काजू का उत्पादन	Production of Cashewnut in West Bengal		5687-5688
1213 प्रादेशिक भाषाओं में विधेयकों तथा अध्यादेशों का परिचालन किया जाना	Circulation of Bills and Ordinances in Regional Languages		5688
1214 खाद्यान्नों पर रसायनों का छिड़का जाना	Spraying of Foodgrains with Chemicals		5688-5689
1215 कपास का उत्पादन	Cotton Production		5689
1216 एयर इंडिया	Air India		5689-5690
1217 हरियाना से खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of Foodgrains from Haryana		5690
1218 चीनी के मिल द्वारा मूल्य में वृद्धि	Increase in ex-Factory Price of Sugar		5690
1219 फालतू भूमि का वितरण	Distribution of Land		5691
1220 जोरदार खाद्य उत्पादन कार्यक्रम	Crash Food Production Programme		5691-5692
1221 केन्द्रीय भाण्डागार निगम का भारतीय खाद्य निगम में विलय	Merger of Central Warehousing Corporation with Food Corporation		5692
1222 एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल	Air India Pilots' Strike		5692-5693
1223 मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference		5693-5694
1224 व्यापारी कृषि फसलों का उत्पादन लक्ष्य	Targets of Commercial Farm Crops		5694
1225 बिहार में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in Bihar		5694-5695
1226 उत्तर - प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अकाल की घोषणा	Declaration of Famine in certain Areas of U. P.		5695

1228 मुख्य पत्तनों में बड़े जहाजों से माल उतारना	Clerance of Large Ships at Major Ports	...	...	5696
1229 खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Foodgrains Policy Committee Report	..	...	5696
1230 केरल में चावल के राशन में कटौती	Cut in Rice Ration in Kerala	...	..	5697
अतारांकित प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.				
5894 चम्बल के बीहड़ों का कृष्य-करण	Reclamation of Chambal Ravines	...	..	5697
5895 आधुनिक बेकरियों की स्थापना	Establishment of Modern Bakeries	...	...	5698
5896 गापीण स्वयं सेवक दल	Village Volunteers Force	...	..	5698
5897 गुजरात में केन्द्रीय कृषि गवेषणा परियोजनाएं	Central Agricultural Research Projects in Gujarat	..	...	5698
5898 गुजरात में केन्द्रीय भाण्डागार	Central warehouses in Gujarat	..	...	5699
5899 गुजरात में सहकारी चीनी के कारखाने	Cooperative sugar Factories in Gujarat	...	..	5699-5700
5900 गुजरात में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Gujarat	...	...	5700
5901 गुजरात को खेती की उपज के लिए ऋण	Loans for Farm out-put to Gujarat	...	..	5700
5902 मध्य प्रदेश को गेहूं, चावल तथा चीनी की सप्लाई	Supply of Wheat, Rice and sugar to M. P.	..	..	5700-5701
5903 मध्य प्रदेश का नलकूपों के लिये ऋण दिया जाना	Grant of loan to Madhya Pradesh for Tube- Wells	...	...	5701
5904 मध्य प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन	Cooperative Movement in M. P.	..	...	5701-5702
5905 खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में निःसंवर्ग पद	Ex-cadre Posts in the Ministry of Food and Agriculture	...	..	570

5906 पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्रालय में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निःसंवर्ग पद	Ex-cadre Posts of Class I, II and III in the Ministry of Tourism & Civil Aviation	...	5702-5703
5907 परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निःसंवर्ग पद	Ex-cadre Posts of Class I, II and III in the Ministry of Transport and Shipping		5703-5704
5908 कैरावल विमानों के लिये बैटरियां	Batteries for caravelle Aircraft,		5704-5705
5909 इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बैटरियां	Batteries used by I. A. C.		5705
5910 भारतीय विधि संस्था, नई दिल्ली	Indian Law institute, New Delhi	..	5705-5706
5911 गुजरात को चने और चने की दाल का कोटा	Quota of Gram and Garm Dal for Gujarat		5706
5912 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता	Per capita Availability of Foodgrains		5706-5707
5913 उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य	Price of Sugarcane in U. P.		5707
5914 कृषि सम्बन्धी जानकारी का प्रशिक्षण	Imparting Agricultural Know-how		5707-5708
5915 लगान समाप्त करना	Abolition of Land Revenue	..	5708
5916 महाराष्ट्र में कृषि विश्व-विद्यालय	Agricultural University in Maharashtra		5708-5709
5917 सहायता कार्यों में कदाचार	Corrupt Practices in Relief Measures		5709
5918 नागालैण्ड में चुनाव	Elections in Nagaland		5709-5710
5919 पशुपालन	Animal Husbandry		5710

5920	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमि- टेड, विशाखापटनम	Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam	...	...	5710-5711
5921	गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच हवाई अड्डा	Airport between Guntur and Vijayawada	...	...	5711
5922	चौथे आम चुनाव	Fourth General Elections	...	...	5711
5923	केरल में कोवालम में पर्य- टक होटल	Tourist Hotel at Kovalam in Kerala	..	..	5712
5924	दिल्ली में मुर्गी पालन केन्द्र	Poultry Farm in Delhi			5713
5925	बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता	Relief work in drought stricken areas in Bihar		—	5713
5926	नई दिल्ली में मतपत्रों का गुम होना	Missing of Ballot Papers in New Delhi		..	5713-5714
5927	अनुपयोगी ट्रैक्टर	Unserviceable Tractors		...	5714
5928	गेहूं, जौ तथा चने की वसूली	Procurement of Wheat, Barely and Gram	...	..	5715
5929	सामुदायिक विकास खण्ड	Community Development Blocks	..	—	5715
5930	1966-67 में भारत का सर्वोत्तम ग्राम	India's Best Village during 1966-67	—	...	5716
5931	बरहानपुर में हवाई अड्डा	Airport at Burhanpur	...	...	5716
5932	टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध अभियान	Campaign against Taxi Drivers	..	...	5716-5717
5933	मनीपुर में भूमि का दिया जाना	Settlement of land in Manipur	...	...	5717-5718
5934	मनीपुर में लगान	Land Revenue in Manipur	...	...	5718
5935	मध्य प्रदेश को चीनी की आवश्यकता	Sugar requirement of M. P.	...	..	5718-5719
5936	गृह-निर्माण के लिये वन भूमि	Forest Land for House Buildings	..	...	5720
5937	अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्में	High Yielding varieties of Food	...	—	5720-5723

5938 उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को बीज की सप्लाई	Supply of Seed to Drought affected Areas in U. P, ...	5723
5939 भाड़े में वृद्धि के बारे में सम्मेलन	Conference on rise in Freight Rates	5723-5724
5940 ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors — ...	5724
5941 मध्य प्रदेश में बरमे	Boring Machines in M. P. ...	5724-5725
5942 भारत में कूप खोदने के लिये जापानी रिग	Japanese Rigs for digging Wells in India	5725
5943 कामघाट में नर्मदा नदी पुल	Bridge over Narmada at Khalghat	5725-5726
5944 खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में तृतीय श्रेणी के पद	Class III Posts in the Ministry of Food and Agriculture	5726
5945 सहस्रधारा (देहरादून) पर नेहरू स्मारक	Nehru Memorial at Sahasradhara (Dehra Dun)	5726-5727
5946 कोचीन पोर्टन कर्मचारी संघ	Cochin Port Employees Union	5727
5947 भारत के खाद्य निगम को काम का हस्तान्तरण	Transfer of Work to Food Corporation of India	5727-5728
5948 पश्चिम बंगाल तथा बिहार को उड़ीसा से धान की सप्लाई	Supply of Paddy from Orissa to West Bengal and Bihar	5728
5949 भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees of Food Corporation of India	5728-5729
5950 निर्वाचन आयोग में पद	Posts in Election Commission	5729-5730
5951 पशुपालन का विकास	Development of Animal Husbandry... ..	5730
5952 परती भूमि को खेती योग्य बनाना	Reclamation of Fallow Lands ..	5730-5731
5953 उत्तर अन्दमान के वनों का पट्टा	Lease of North Andaman Forests	5732
5954 अखिल भारतीय विधि शब्दावली	All India Legal Terminology	5732-5733

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5957 खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता	Food Requirements	...	...	5733
5958 अनाज की फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों वाली भूमि	Area under Food Crops and cash Crops	...	...	5734
5959 राजधानी में स्कूटरों के लिये मीटर	Meters for Scooters in the Capital	...	...	5734-5735
5960 दिल्ली में चोरी छिपे लाई गई चीनी का मिलना	Smuggle Sugar Available in Delhi	...	...	5735
5961 कुट्टनाड (केरल) में चावल का उत्पादन	Rice Production in Kuttanad, Kerala	...	...	5736
5962 उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facilities for Drought Affected Areas of U. P.	...	...	5736-5738
5963 कोणार्क (उड़ीसा) में पर्यटक बंगले	Tourist Bungalows at Konark (Orissa)	..	...	5738
5964 चावल और धान के समाहार मूल्य	Procurement Prices of Rice and Paddy	...	...	5738
5965 नये टर्मिनलों के लिये राष्ट्रीय नमूना प्रति- योगिता	National Design Competition for New Terminals	..	...	5738-5739
5967 रायचूर जिले (मैसूर) में किसानों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre Cultivators in Raichur District (Mysore)	...	...	5739-5740
5968 गोआ तथा महाराष्ट्र का गेहूं का एक क्षेत्र	Goa and Maharashtra in one Wheat Zone	...	...	5740
5969 यमुना पुल पर यातायात का रुक जाना	Traffic Jam on Jamuna Bridge	...	...	5740-5741
5970 दिल्ली में यमुना नदी पर नाव का अस्थायी पुल	Temporary Bridge over Jamuna at Delhi	...	...	5741
5971 अनाज के उत्पादन पर मानसून का प्रभाव	Effect of Monsoon on Food production	...	...	5741-5742

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.- Contd

5972	शाजापुर (मध्य प्रदेश) में अनाज का लूटा जाना	Looting of grains in Shajapur (Madhya Pradesh) ...	5742
5973	फोकर फ्रेंडशिप विमान की दुर्घटना	Crash of Fokker Friendship Plane ...	5742
5974	उत्तर प्रदेश में गहरे नलकूप	Deep Tube-wells in Uttar Pradesh ..	5742-5743
5975	कोचीन जहाज निर्माण कारखाना	Cochin Shipyard ..	5743
5976	ग्राम्य जनशक्ति कार्यक्रम	Rural Manpower Programme ...	5743-5744
5977	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Community Development Programme	5744
5978	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दौरे	Foreign Visits Sponsored by the Ministry ... of Food and Agriculture ...	5744-5745
5979	सरकारी फार्म	State owned Farms ...	5745
5980	परती भूमि में खेती	Cultivation of Fallow Land ..	5745-5746
5981	बम्बई-अहमदाबाद विमान सेवा	Bombay-Ahemadabad air service ..	5746
5982	गोहाटी हवाई अड्डे से एक यात्री का लापता हो जाना	Passenger Missing from Gauhati Airport	5746-5747
5983	दिल्ली में मोटे अनाज का आयात	Import of Coarse Grains into Delhi ..	5747
5984	भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में अनाज की खरीद	Purchase of Foodgrains in Rajasthan by Food Corporation of India ..	5747-5748
5985	दिल्ली में कृषि भूमि का अर्जन	Acquisition of Agricultural land in Delhi ...	5748
5986	हरियाणा में खाद्यान्न उत्पादन	Foodgrains Production in Haryana ...	5748-5749
5987	बिहार में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Bihar ...	5749-5750

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5988 जम्मू में पर्यटक केन्द्र	Tourist spots in Jammu	...	..	5750-5751
5989 जम्मू और काश्मीर को बनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Jammu and Kashmir			5751
5990 पर्यटन पर व्यय	Expenditure on Tourism	...	...	5752
5991 नई दिल्ली में पालम हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क	Road leading to Palam Airport, New Delhi			5752
5992 भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	Indian Agricultural Research Institute	...		5752-5753
5993 अस्पृश्यता निवारण	Removal of Untouchability	...	...	5753-5754
5994 कृषि का विकास	Development of Agriculture	...	..	5754-5755
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...	...	5755
अनुदानों की मांगें जासे	Demands for grants	...	...	5755-5760
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	Ministry of External Affairs	..	...	5755
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	...	...	5755
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	...	...	5759
श्री स्वेल	Shri Swell	...	...	5760
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma		..	5761
श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	...	...	5762
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Misra	...	...	5764
श्री श्रीराज मेघराजजी घरंगधरा	Shri Sriraj Meghrajji Dhrangadhra	...		5764
श्री मु.क. चागला	Shri M. C. Chagla	...	...	576
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	...	...	5772-577
डा.म० सन्तोषम	Dr. M. Santosham	..	...	577
श्री स.मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	..	...	577
श्री वेंकटस्वामी	Shri G. Venkatswamy	..	...	577

अता. प्र. संख्या / U. S.Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd			
श्री विमल कान्तिघोष, संसद सदस्य पर हमले के बारे में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा	Discussion on Home Minister's statement Re.Assult on Shri Bimalkanti Ghosh M. P. ...		5777
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy		5778
डा सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar		5779
श्री जुल्फिकार अली खां	Shri Zulfiquar Ali Khan		5779
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok		5780
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha		5780
श्री एस एम. जोशी	Shri S. M. Joshi		5780
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee		5781
श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti		5781
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	.. —	5782
कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां तिवेदन	Business Advisory Committee, Fifth Report		5783

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 18 जुलाई, 1967/ 27 आषाढ़, 1889 (शक)
Tuesday, July 18, 1967/ Asadha 27, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Speaker in the Chair }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्राचीन भारतीय कला-चित्रों तथा कला वस्तुओं का विदेशों में प्रदर्शन

+

*1201. श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने अनेक प्राचीन भारतीय कला चित्र तथा कला वस्तुएं सुरक्षित रखी हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये कला चित्र तथा कला वस्तुएं कुछ अति प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों के साथ 1967 के ऑकलैण्ड समारोह की कला प्रदर्शनी के लिये विमान द्वारा ऑकलैण्ड ले जाई गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इनका वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहांगिरा जयपाल सिंह) : (क) एयर इंडिया के पास 10 लघुरूप-चित्र और 400 आधुनिक कला-चित्र हैं ।

(ख) 1967 के ऑकलैण्ड की कला प्रदर्शनी के लिए एयर इंडिया द्वारा 24 समकालीन कला-चित्र और 6 लघुरूप-चित्र विमान द्वारा ऑकलैण्ड भेजे गये, लेकिन एयर इंडिया ने इन कला-चित्रों के साथ किसी भी कलाकार को ऑकलैण्ड नहीं भेजा ।

(ग) इन कला-चित्रों की बहुत प्रशंसा की गई और इससे सामान्यतः भारत का तथा मुख्यतः एयर इंडिया का पर्याप्त प्रचार हुआ ।

Shri Bibhuti Mishra : My I know whether the Government is planning to arrange an exhibition abroad of old paintings and pieces of art in the possession of the Geological Survey, various States and individuals with a view to projecting abroad an image of the loftiness of our ancient art.

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : There may be such a scheme in the Education Ministry. The Air India has no such scheme. It has got its own paintings which are exhibited abroad from time to time.

Shri Bibhuti Mishra : The paintings exhibited by the Air India abroad do not project the complete picture of India. If the Air India collects all the pieces of art for exhibition, that will certainly be a more convincing and better projection of our ancient art. Is there any scheme under consideration of the Government in this regard ?

Dr. Karan Singh : It is a good suggestion and it will be considered,

Shri K. N. Tiwary : How is it that some art dealt with by the Ministry of Education and others by the Air India ? How is Air India concerned with the ancient art ? What portion of expenditure is contributed by the Air India ?

Dr. Karan Singh : I would like to submit that art pieces are possessed by various bodies just the Museum and individual persons. During the last 15-20 years Air India has purchased some paintings its commercial purposes. Then there are other paintings which are kept in offices and there are other paintings which are taken abroad in exhibitions.

Shri K. N. Tiwary : I had asked about the extent of expenditure.

Shri Bhola Nath : Do Government propose to remove the ancient art painting from the Air India ?

Dr. Karan Singh : Maharajas' painting is not of ancient art but of modern art.

Shri Achal Singh : Apart from these paintings what other curios have been sent to Auckland.

Dr. Karan Singh : Six old paintings and 24 modern paintings have been taken to Auckland.

सुपर बाजार

+

*1202. श्री यशपालसिंह :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री श्रीकारलाल बेरवा :

श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार मूल्यों को बढ़ने से रोकने के अपने उद्देश्य में असफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : What are the reasons for the Super Bazars running into deficit and have the Government ever made an estimate of the expenses incurred on the Salesman and of the earnings augmented by him ?

श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी : सुपर बाजार अभी हाल ही में चालू किये गये हैं और अभी उनका विकास हो रहा है । हानि केवल कुछ ही मामलों में हुई है प्रत्येक में नहीं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : इन सुपर बाजारों में एक वर्ष में कुल नितनी हानी होती है ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सारे देश में कुल हानि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । देश में कई सुपर बाजार हैं । इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी ये विकास की आरम्भिक अवस्था में हैं ।

Shri Yashpal Singh : How is it that the rates quoted shop keepers outside the Super Bazars are slightly lower than those quoted by the Super Bazars ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह सच नहीं है । सुपर बाजार में बिकने वाली सामग्री और बाजार में बिकने वाली सामग्री के भावों में अन्तर होता है ।

Shri Yashpal Singh : In Super Bazars where there are no customers there are as many as four clerks and where there is rush of customers, there is only one clerk. Has the Government any policy ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमारी नीति है । मैंने केवल पिछले प्रश्न का उत्तर दिया है कि सुपर बाजार के मूल्य अन्य दुकानदारों की अपेक्षा कम है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्यायह सच है कि सुपर बाजार के भाव खुले बाजार के भाव खुले बाजार की अपेक्षा ऊँचे है और यदि हां, तो क्या सरकार ने सुपर बाजार को यह सलाह दी है कि वह निर्माताओं से संपर्क स्थापित करे ताकि वस्तुएं कम मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : सुपर बाजारों को खोलने का यह भी एक उद्देश्य था । यदि खुले बाजार में वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े हैं तो मैं कहूँगा कि सुपर बाजारों का उद्देश्य पूरा हुआ है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सुपर बाजार की योजनाओं पर सरकार द्वारा जो भारी व्यय सरकार द्वारा किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या हम साधारण व्यक्ति को व्यक्तियों की उपलब्धता और उनके मूल्यों को नीचे लाने में पर्याप्त लाभ पहुंचा है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जी हां।

Shri Kanwar Lal Gupta : Have Government ever looked into the veracity of the rates announced over All-India Radio ? When go to the Super Bazar, we find that the articles are not available at the announced rates. Secondly, what is the value of the dead stock with the Super Bazars ? It is strange that Super Bazar's name is broadcast early in the morning instead of prayer for God.

Shri Jagjivan Ram : God's name is recited before that.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देता हूँ कि सुपर बाजार में बेचे जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की सूची हमारे पास है और आल इण्डिया रेडियो द्वारा बुलेटिन सुपर बाजार से प्राप्त सूचना के आधार पर ही प्रसारित किये जाते हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : परन्तु वे मेल नहीं खाते।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यदि माननीय सदस्य ऐसे उदाहरण मेरी जानकारी में लायेंगे जहां आल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रसारित और जनता को दी गई सूची में भिन्नता होगी तो मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : न बिकने वाले माल का क्या होगा ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : यह व्यापारिक संगठन है। इसमें कोई माल ऐसा नहीं होता जो न रुक सके। यह हो सकता है कि आज अधिक स्टॉक हो और कल कम परन्तु माल के रुकने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon Minister does not understand the meaning of dead stock. The goods which have been purchased a year back and have not been sold is a dead stock. It is useless.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हम जनता की पसन्द की चीजों का अनुमान लगाकर उनको पहले खरीद लेते हैं। इसने स्टॉक के रुकने का प्रश्न नहीं उठता। हम यह प्रयास करते हैं कि जो भी स्टॉक हमारे पास हो उसको बेच दें। ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु शीघ्रता से बिके और कोई वस्तु देर से परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम स्टॉक को रोकने का समर्थन नहीं करते।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि सुपर बाजार में दिन प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है ? क्या यह भी सच नहीं है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों से भी और सुपर बाजार खोले जाने की मांग की जा रही है। क्या इससे इस बात की पुष्टि नहीं

होती कि सुपर बाजार के खुलने उपभोक्ताओं की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। और इससे मूल्यों में स्थिरता भी आई है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि देश में और अधिक सुपर बाजार खोलने की मांग की जा रही है और इसके लिये हम पर लगातार जोर डाला जा रहा है। सुपर बाजार में ग्राहकों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हमारा यह प्रयास है कि साधनों की उपलब्धता के अनुसार यथा सम्भव और सुपर बाजार खोलें। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता दूँ कि 1966-67 का रिकार्ड बहुत प्रोत्साहक रहा है। 1967 के जून के अन्त तक 38 सुपर बाजार खोलें जा चुके थे।

श्री स० कुण्डू : मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कभी कभी सुपर बाजार से मूल्यों की कमी करने की बजाये मूल्यों में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर दाल जो 1.30 पैसे प्रति किलो खरीदी गई है वह 2.70 पैसे किलो बेची जा रही है क्योंकि बाजार के मूल्य बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार काले चने जो सुपर बाजार द्वारा 85 रु० प्रति क्वेन्टल पर खरीद कर 130 रुपये प्रति क्वेन्टल पर बेचा जा रहा है क्योंकि बाजार में इसका मूल्य बढ़ रहा है। क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में जांच करेंगे कि सुपर बाजार द्वारा किस प्रकार मूल्य स्थिर किये जा सकते हैं और वे बाजार में बढ़ रहे मूल्यों के साथ नहीं बढ़ेंगे और क्या इस सदन को यह सूचित करेंगे कि मूल्यों को स्थिर करने के सम्बन्ध में उन्होंने क्या कदम उठाये हैं? दूसरे ऐसा समाचार मिला है कि सुपर बाजार को 10 लाख रुपये की हानि हुई है और इसकी जांच के लिये कुछ समय पूर्व एक समिति का गठन किया गया था। क्या मन्त्री महोदय इस समिति द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में हमें सूचना देंगे? तीसरे, जो सब से आवश्यक बात है वह यह कि सुपर बाजार में कुछ ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है यदि उनका प्रयोग कुछ महीने और चला तो उससे लगभग 300 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मैं यह कहूँगा कि हम यह नहीं चाहते कि सुपर बाजार के अतिरिक्त बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो। सुपर बाजार खोलने का उद्देश्य यह है कि मूल्यों को स्थिर रखा जा सके। और वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। वास्तव में वह मूल्यों को स्थिर रखने का कार्य करता है। मैं माननीय सदस्य को यह बता दूँ कि जहाँ सुपर बाजार कार्य कर रहा है वहाँ मूल्यों की स्थिरता विचारणीय है।

जहाँ तक प्रश्न के तीसरे भाग का सम्बन्ध है, हमने कुछ गणना मशीनों का आयात किया है और वे कार्य कर रही हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पहले काम कर रहे कर्मचारियों की छंटनी कर दी जायेगी। इससे क्षमता में वृद्धि हुई है और ग्राहकों की अच्छी तरह सेवा की जा सकेगी क्योंकि सौदे शीघ्रता से किये जा सकेंगे। हमारा विचार सुपर बाजार को काम दिलाऊँ दफ्तर नहीं बनाना है।

श्री सु० न० नाघनूर : सुपर बाजार द्वारा किये गये मूल्यों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस प्रकार के बाजार उन शहरी क्षेत्र में खोलने का विचार रखती है

जिनकी जन संख्या एक लाख से अधिक है। मद्रास बंगलौर और हैदराबाद में हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है।

क्या सरकार ऐसे बाजार जिला मुख्यालयों या इन क्षेत्रों में खोलेगी जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है ?

श्री एन० एस० गुरुपदस्वामी : हमारा विचार यह है कि महानगरों में सुपर बाजार खोलने के अतिरिक्त हम उन कस्बों में भी सुपर बाजार खोलें जिनकी जन संख्या 2 से 5 लाख के बीच है। हमने 13 स्थानों पर सुपर बाजार खोलने के लिये धन राशि की मजूरी कर दी है। मेरा विचार है कि विभिन्न केन्द्रों में कुछ ही समय सुपर बाजार खुल जायेंगे।

Shri Raghubir Singh Shastri : I agree that Super Bazar has been proved to be very successful. Besides this, I want know whether he is aware that there is shortage in stock of some essential goods like blades etc. Similarly, the customers have to go again and again to buy the transistors. I want to know whether the hon. Minister will try to remove these defects ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : जहां तक विभिन्न वस्तुओं, जैसे ट्रांजिस्टरों के सप्लाई किये जाने का सम्बन्ध है हम सुपर बाजार में बेचे जाने वाली वस्तुओं की सूची बढ़ा रहे हैं। हम इस कमी को दूर करने और सप्लाई को बनाये रखने का प्रयास करेंगे।

Shri M. A. Khan : It has been said that Super Bazar is meeting the requirements of the people. I want to know from the hon. Minister whether he is aware that fruit and the vegetables available in Super Bazar are being sold at the rate of eight annas more than in the General Market price.

Is the hon. Minister aware that the prices of vegetables and fruits are higher in Super Bazar as compared to those of the same qualities in the general market; is so, will efforts be made to reduce the prices in Super Bazar ? I have myself found difference in prices.

Shri R. A. Shastri : The hon. Minister said that prices are lower in Super Bazar, Delhi as compared to the market. But I will like to submit that the prices of vegetables in Super Bazar is higher in comparison to the general market. The same quality of mango, which is available for Rs. 1.50 in the market, is sold at Rs. 1.75 in the Super Bazar. Has he looked into it and reasons for such a position ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जांच करूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं उत्तर दे चुका हूँ कि मैं जांच करूंगा। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

Committee on Cow Protection

+
*1203. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Shri D. C. Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Y. S. Kashwah :

Shri Prakash Vir Shastri :
 Shri Ram Avtar Sharma :
 Shri Shiv Kumar Shastri :

Shri Raghuvir Singh Shastri :
 Shri Atam Das :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Government have set up a Committee on Cow Protection;

(b) if so, its composition and terms of reference;

(c) the criteria adopted for selecting members of the Committee;

(d) whether the various political organisations were also consulted before selecting them; and

(e) whether the recommendations of the Committee will be binding on Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Shaib Shinde) : (a) Yes.

(b) A statement is laid on the table of the Sabha. [Placed in Library, See No. L. T. 1076/67]

(c) Chairman is a retired Chief Justice of India. Three Members represent Sarvadaliya Go-Raksha Mahabhian Samiti, two are from State Governments which have banned cow slaughter and two from States which have not banned cow slaughter. Remaining four members have been selected for their being experts in various aspects of the problem.

(d) No.

(e) Unanimous recommendation of the Committee will receive the highest consideration from Government.

Shri Hukam Chand Kachwai : Government aware of the proceedings of the meeting of the Cow Protection Committee held yesterday and who are the members of this Committee ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : समिति के सदस्यों के नामों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

समिति की बैठक में क्या हुआ, इस बारे में समिति की बैठक की कार्यवाही का वृत्तान्त अभी तक हमें नहीं मिला है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : When this Committee will submit its report and when it will be implemented by Government ? How long will it take ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य कृपया विवरण देखें, जो सभा पटल पर रखा गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, while this problem is being considered by the Cow Protection Committee, the cow agitation continues and 75-80 thousand

people have courted arrest so far. May I know the steps being taken by Government to end this agitation and to work out a coordinated solution to this problem by both the parties ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : The hon. Member is aware it has been decided to set up a committee to look into all aspects of this problem. It is pleasing to note that Goraksha Maha abhiyan Samiti has nominated those very important person on the committee, viz., Shri Jagadguru Shankracharya Swami Niranjandev Tirtha and Shri Rama Prasad Mookerjee to represent it. In my last letter to the committee I had suggested to consider the necessity of continuing the agitation and to come to the logical conclusion which would create a proper climate for the functioning of the committee.

श्री दी० च० शर्मा : क्या सरकार कोई निर्णय करने से पहले विभिन्न वर्गों के लोगों और समाज के विभिन्न अंगों के लोगों से साक्ष्य लेगी अथवा समिति के सदस्य जो निर्णय चाहें लें लेंगे ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : समिति में अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है और मेरे माननीय मित्र श्री दी० च० शर्मा सहित किसी के भी विचार सुनने के लिये स्वतन्त्र है।

Shri Surya Prakash Puri : Many cattle heads are dying in Bihar of starvation for want of fodder scarcity and in the circumstances farmers are per force setting their cattle to the bathers. May I know the number of such cattle and the action by Government in this matter ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Y. S. Kuswah : What is the reaction of Government to the reported dispute over the terms of reference amongst the members of the committee ?

Shri Jagjiwan Ram : As I have said, we have no information about that.

Shri Prakash Vir Shastri : When this matter was raised the House during the past, the Food Minister, as well as the Home Minister had assured us that they were consulting the State Governments and some such assurances were reported to have been received, amongst which Andhra and Maharashtra were specifically mentioned. May I know whether opinions of all the State Governments have been received how many of them are in favour and what attempts are being made to persuade them ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे नवीनतम जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त करनी होगी लेकिन राज्य सरकारें इस मामले में सक्रिय हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The hon. Minister stated that if recommendation made by the committee are unanimous, those will be accepted by Government. Has it been the practice to accept the recommendations of such committee only when there are unanimous ? In view of the fact that there are many Government officials on the committee as Member, can they be expected to express their independent views and can the committee be expected to arrive at a unanimous decision ?

Shri Jagjiwan Ram : I do not think that we are going to suggest to Government officers from our side that they should take such and such decision and they are force to take their own decision on this issue. But the hon. Member should realise that it will not be proper on our part to say that in case of no unanimous recommendations we will accept such and such recommendation as there would be two varying recommendations. In case of unanimous recommendation, Government will have to think a lot before rejecting it.

Shri Abdul Ghani Dar : Since a committee has been appointed. Will the persons sent to jail for taking part in cow agitation be released and the cases pending against them withdrawn? Since Muslims are also equally concerned with the protection of cow. Will the hon. Minister nominate on the committee a muslim, to whichever party, congress or otherwise, he may belong so that the image of India as a secular State may not be spoiled?

Shri Jagjiwan Ram : As already stated, it is for the Goraksha Maha-abhiyan Samiti to consider the necessity of continuing the satyagraha since a committee has been set up so that the committee may function in a healthy atmosphere. In case it arrives at the conclusion that satyagraha is no more necessary, the cases of persons arrested or being proceeded with in the courts in this connection would be considered sympathetically. As regards giving representation to muslims, I may inform the hon. Member that there is a muslim gentleman on the committee. डा० पारपिया एक मुसलमान हैं।

Shri Abdul Ghani Dar : Please tell which muslims represent muslims religiously?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न नहीं।

श्री शंकरानन्द : इस समिति का गठन किस आधार पर. धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक, किया गया है। यदि धार्मिक आधार पर किया गया है, तो क्या सरकार अन्य पशुओं की रक्षा के लिए भी समिति बनायेगी? यदि आर्थिक है तो क्या सरकार भेड़ों की रक्षा के लिये एक समिति स्थापित करेगी, जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पशु है?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उत्तर की कोई आवश्यकता है।

श्री श्रीकान्तन नायर : चूंकि केरल में खाद्यान्न का अभाव है और अधिकांश जनता गोमांस खाती है क्या उस राज्य का कोई प्रतिनिधि रखा गया है?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक राज्य के बारे में विवरण नहीं पूछा जा सकता।

बाजार में खाद्यान्नों का आना

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| + | |
| *1204. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : | श्री ख० प्रधानी : |
| श्री रामचन्द्र उलाका : | श्री प्रकाशवीर शास्त्री : |
| श्री धुलेश्वर मीना : | श्री विश्वनाथ पाण्डेय : |
| श्री हीरजी भाई : | |

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या गत तीन महीनों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न बाजार में आ गये हैं; और
(ख) यदि हां, तो विद्यमान मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश की चुनी हुई मण्डियों में जून, 1967 को समाप्त होने वाले गत तीन महीनों में गत वर्ष की उसी अवधि की अपेक्षा मण्डियों में गेहूँ की आमद अपेक्षाकृत कम थी जबकि चावल और चने की आमद कुछ अधिक थी।

- (ख) उस अवधि में इन अनाजों के मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा सामान्यतः अधिक रहे हैं।

Shri Sidheswar Prasad : Is it not a fact that since the agriculture and price policies of Government have created discontentment amongs the farmers, foodgrains are not coming to the markets and though these have been rich crops in many States, the foodgrains are not coming to the markets as a result of discontentment created by the policies of State Governments; if so, what action is being taken by Government to overcome this difficulty ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjwan Ram) : There is no question of discontentment due to price of agriculture policy involved in it. It has been the policy of Government so far to increase the bargaining power of the farmer and it is there. Whatever quantities have come to the market, those are from farmers with lesser amount of bargaining power. Other with sufficient bargaining power are waiting for prices to increase to clear their stocks. It is wrong to say that the policy is not good. Therefore, it should be our attempt also that since there is food shortage in the country, persons with surplus foodgrains should put them into the market.

Shri Sidheshwar Prasad : It was stated in reply to the main question that this year there has a good crop of gram. May I know the reasons for very low arrivals of gram in the market and high prices ?

अन्ना साहिब शिन्दे : इसके विपरीत चने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम हुआ है। मैंने अपने वक्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं कही है।

Shri Dhuleshwar Meena : May I know the percentage of fall of arrivals of foodgrains in the markets during the last three months this year as compared to the corresponding period of last year ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं बता चुका हूँ कि चावल और चना कुछ अधिक बाजार में आया और गेहूँ कुछ कम आया। 262 चुनी हुई मण्डियों में इस वर्ष अप्रैल से जून तक 3,187,000 क्विंटल आया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,323,000 क्विंटल आया था; गेहूँ 315 मण्डियों में अप्रैल से जून, 1967 में 4,349,000 की तुलना में 4,409,000 क्विंटल आया; चना : 209 मण्डियों में 1,700,000 क्विंटल की तुलना में 1,735,000 क्विंटल आया।

Shri Prakash Vir Shastri : There have been talks of making the indigenous wheat available in the Delhi markets for long time but still it is not available. Will Government kindly see that the residents of Delhi have not to depend on U. S. wheat for too long and may start getting indigenous wheat; if so, from which date ?

Shri Jagjiwan Ram : With effect from 1st August.

Shri Shasbi Ranjan : The hon. Minister said just now that only the small farmers have marketed their produce and others with holding capacity did not bring their produce to the market. Has he looked into this spect that they are not getting other essential commodities such as cement, steel, etc. at reasonable rates ? Unless he gets the material he cannot utilise the money, so he is withholding his stock. Has he thought of some measures to ensure the former supply of essential commodities so that he may sell his produce and utilise the money so received for other purposes ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि माननीय मन्त्री बता चुके हैं, अधिकांश किसानों में अपनी फसल को रोक रखने की क्षमता नहीं होती और उन्हें मूल्य कम होने पर भी अपना गल्ला बेचना पड़ता है। जहां तक बड़े किसानों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वे बाजार भाव बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister said that the farmer has developed holding capacity. May I know whether the hon. Minister is thinking of fixing prices all over India without a view to chek hording so that farmers may get material at cheap rates and in return they may be able to provide foodgrains to the people ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : एक अन्य सदस्य ने भी किसानों को विभिन्न आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने के बारे में प्रश्न पूछा था। मैं समझता हूं कि सभा में मांगों पर चर्चा के समय स्थिति सविस्तार स्पष्ट कर दी गई थी। जहां तक जमाखोरी रोकने के उपायों आदि का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दे दिये गये हैं और हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए इन जमाखोरों आदि के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

Shri Tulshi Das Jadhav : There is monopoly procurement to-day in Maharashtra. As a result of this the arrivals of foodgrains are not as much as they should be. Do any arrangements exist or not to see that every person declares to the Government his stock ?

If not, what are the reasons that you dont keep this information with you as to how much food is available with anyone and how much can be keep with him ? Why this arrangement is not made that he should intimate this thing to Government ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह सच है कि महाराष्ट्र में धान और जवार के सम्बन्ध में एकाधिकार समाहार और एकाधिकार खरीद है परन्तु ऐसी बात समूचे देश में नहीं है। हमने राज्य सरकारों को उनके पूरे विवेक पर छोड़ दिया है कि उन्हें अपने राज्यों में किस प्रकार समाहार करना चाहिये।

Shri Yashpal Singh : Permission to ask questions may kindly also be given to those who are agriculturists. Similarly permission should also be given to those from whom procurement is made.

अध्यक्ष महोदय : जी, हां, जी हां। प्रत्येक व्यक्ति किसान है। श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है अमरीका ने हमारी सरकार को कहा है कि इस देश में जितने अनाज की कमी हैं अमरीका उसका 50 प्रतिशत भाग देने को तैयार है तथा भारत सरकार को शेष 50 प्रतिशत कमी अपने दूसरे साधनों से पूरी करनी चाहिये, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में इस समय कितने अनाज की कमी है तथा क्या सरकार 50 प्रतिशत अनाज अन्य साधनों से पूरी कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री हेम बरुआ : मैं आपको बताऊंगा, कैसे। बाजार में अनाज अभी आ सकता है यदि वह बाहर से आये।

Shri Prem Chand Verma : Very recently the hon. Member has told in answer to a question how much foodgrain will be given to each State ? May I know whether the same quota as was allotted to each State in the month of July will be made available during August also ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब से बाजार में अनाज आया है उसमें से खाद्य निगम ने गत तीन महीनों में कितना समाहार किया है तथा सरकार ने खुले बाजार में अधिक अनाज का समाहार करने के लिए खाद्य निगम को क्या निदेश जारी किये हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : खाद्य निगम द्वारा अनाज के समाहार के बारे में मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। जून तक समाहार किये गये अनाज के पूरे आंकड़े मेरे पास हैं। वे इस प्रकार हैं:—चावल, 2.11 मिलियन टन; गेहूँ, 0.39 मिलियन टन; ज्वार, 0.53 मिलियन टन और चने, 0.45 मिलियन टन।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या खाद्य निगम को अधिक अनाज का समाहार करने के लिए कोई निदेश जारी किये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Shri Yaspal Singh : Foodgrain is purchased from us at the rate of 34 rupees a maund and it is being sold in the market at the rate of Rs. 55 per maund. How will Government meet this deficit of Rs. 21.0 per maund ?

तटीय जहाजरानी

+

*1205. श्री ह० प० चटर्जी :

श्री स० च० सामन्त :

श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटीय सम्मेलन ने तुरन्त विदेशी मुद्रा दी जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ताकि वे अपनी कठिन परिस्थितियों से निकल सके;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने भी विशेष रूप से अवमूल्यन के पश्चात् विदेशी मुद्रा देकर तटीय जहाजरानी की सहायता करने के लिए सरकार से सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) सरकार को तटीय नौवहन चालन के अतिरिक्त पुनर्स्थापन की अवाप्ति के लिये विदेशी मुद्रा दिये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नौवहन मण्डल से सिफारिश और इण्डियन नेशनल स्टीमशिप ओनर्स एसोसियेशन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) कठिन विदेशी मुद्रा स्थिति के कारण तटीय नौवहन के लिए विदेशी मुद्रा के ब्लाक आवंटन के लिये सहमत होना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी तटीय पोतों की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा देने के लिये विशेष प्रतिवेदनों पर, मांग की अनिवार्यता, किस स्रोत से पोत को खरीदने का प्रस्ताव है, क्रेडिट की उपलब्धता, देशी उत्पादन की क्षमता इत्यादि को देख कर विचार किया जाता है।

श्री स० च० सामन्त : क्या तटीय जहाजरानी तथा भारतीय महाद्वीपों में प्रयोग में लाये जाने के लिए मेजागौन गोदी तक अन्य गोदियों में छोटे जहाज बन रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार जहाज निर्माताओं को कुछ विदेशी मुद्रा देशी जिनकी उन्हें जरूरत होगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे इस विशिष्ट विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या मेजागौन गोदी अथवा गार्डन रीच वर्कशॉप में तटीय जहाजरानी के लिये जहाज बन रहे हैं। जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है यदि उन्होंने कोई आदेश दिये हैं तो उन्हें विदेशी मुद्रा दी जायेगी।

श्री स० च० सामन्त : क्या यह सच है कि इण्डियन ओवरसीज शिपिंग भारत के लिए कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है तथा क्या भारतीय राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने तटीय जहाजरानी में प्रयोग में लाये जाने के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया जायेगा।

डा० वी० के० आर० वी० राव : भारतीय राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि विदेशी मुद्रा कुल मिलाकर 55 जी० आर० वी० के 10 तटीय जहाजों के लिये प्राप्त की जायेगी; इस प्रश्न को सम्बन्धित मंत्रालय में भेजा किया है और उन्होंने कहा है कि वे प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोषों के आधार पर विचार करेंगे। मेरे विचार से बुलगरिया से, जो देश तटीय जहाजरानी के लिये उपयोगी जहाज बना सकता है, जहाज मिल सकता है।

Shri Yashpal Singh : We have not been able to know as to how much amount Government is prepared to give and what has been the demand of the Boards ? Is it a fact that Government does not want to give any amount at all ? Under these circumstances how these people will be in a position to get out of this difficult plight ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : मैं यह नहीं कहूँगा कि सरकार कुछ नहीं देना चाहती है। मेरे विचार से जो उत्तर मैंने दिया था वह यह था कि सरकार प्रत्येक मांग को उसके गुणदोषों के आधार पर, विचार करने को तैयार। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि तटीय जहाजरानी के लिये कुछ विदेशी मुद्रा लानी ही पड़ेगी चाहे तटीय जहाजरानी स्वयं विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं करती है।

Shri Kameshwar Singh : When Government gives concession to priority industries in respect of import, allows them to import commodities then what are the reasons that Government has deprived coastal shipping from this concession ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : मैं उस प्रश्न पर आ रहा हूँ।

श्री बलराज मधोक : भाड़े पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा यह बात सच है कि इस समय हमारा बहुतसा व्यापार का सामान विदेशी जहाजों में लाया ले जाया जाता है क्योंकि हमारे पास जहाजरानी की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। हाल ही तक तटीय जहाजरानी पर भी विदेशी जहाजरानी का एक एकाधिकार था। अब भी कुछ विदेशी जहाज तटीय जहाजरानी में भाग लेते हैं। क्योंकि यह विदेशी मुद्रा बचत परियोजना है, इसलिये क्या सरकार इसे अपने हाथों में ले लेगी और तटीय जहाजरानी के लिये जहाज बनवायेगी ताकि हम तटीय जहाजरानी में इस समय चल रहे बड़े बड़े जहाजों को अधिक से अधिक संख्या में वहाँ से हटाकर विदेशी जहाजरानी के प्रयोग में ला सके ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को शायद गलत फहमी हो गई है। जिन जहाजों को हम इस समय तटीय जहाजरानी के प्रयोग में ला रहे हैं वे इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें समुद्रपार जहाजरानी के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। जहाँ तक जहाज बनाने का सम्बन्ध है, विशाखापटनम जहाज निर्माण कारखाना, गार्डन रीच तथा गैजागान वर्कशॉप में पूरी तरह से काम हो रहा है। हम माननीय सदस्य द्वारा दिये गये उचित सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये जहाज बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : Whether it is a fact that Pakistan has an eye on Ministry and Andaman islands, and she is inciting the people to protest against the Transport of Indian ships in the area. I want to know whether the arrangements regarding the movements of ships have been done in this region ?

श्री० बी० के० आर० बी० राव : पाकिस्तान की आँखें कहाँ कहाँ पर हैं यह तो मुझे पता नहीं है। जहाँ तक मिनिकाय और अंदमान का सम्बन्ध है हमने हाल में दोनों द्वीपों के मुख्य आयुक्तों और प्रशासकों को विशेष रूप से बुलाया था ताकि उनके साथ मुख्य भूमि से उन द्वीपों में परिवहन की सुविधाओं तथा आन्तरिक परिवहन सुविधाओं के विषय पर बात

चीत की जा सके। मैं समझता हूँ कि मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकूँगा कि इस समस्या पर ठीक ढंग से विचार किया जा रहा है।

श्री मं० रं० कृष्ण : विभिन्न राज्यों के कोयले और अनाज का वितरण करने वाले अभिकरण प्रायः यह महसूस करते हैं कि वे रेल परिवहन पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि उस पर अधिक लागत आती है। और अब उन्हें उसकी आवश्यकता होगी है वह उपलब्ध नहीं होता। क्या योजना आयोग अथवा परिवहन मंत्री ने इस प्रश्न पर इस आधार पर विचार किया है तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तटीय जहाजरानी के लिये वास्तव में लगभग कितने जहाजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : हम माननीय मंत्री द्वारा उठाये गये इस विशिष्ट प्रश्न पर हमेशा बल देते रहे हैं कि अधिकतर कोयले की ढलाई तटीय जहाजरानी से होनी चाहिये क्योंकि जहाँ तक कोयले की ढलाई का सम्बन्ध है तटीय जहाजरानी रेलवे से सस्ती है। तटीय जहाजरानी के सारे विषय पर पूरी पूरी छानबीन करने की आवश्यकता है तथा भेजालय हाल ही में इस सारे प्रश्न को लेने और देश में तटीय जहाजरानी के पुनर्वास के लिये योजना बनाने का विचार कर रहा है।

श्री कन्डप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अलावा तटीय जहाजरानी से देशीय व्यापार के बढ़ने की बहुत सम्भावना है। मुझे डर है कि सरकार ने अभी शुरुआत भी नहीं की है। इस बात के बावजूद भी कि जहाजरानी निगम इतने समय से बना हुआ है सरकार ने इसकी क्षमता का व्यापक सर्वेक्षण क्यों नहीं किया है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि तटीय व्यापार को कम से कम समय में बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : मेरे विचार से सर्वेक्षण किया गया है। राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की उप समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अलावा, योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति ने भी इस विषय पर विचार किया है। वास्तव में तटीय जहाजरानी का टन भार 1947 में 1.2 लाख जी. आर. टी. से बढ़कर 1967 में 3.5 लाख जी. आर. टी. हो गया है। यह बात नहीं है कि कोई प्रगति नहीं हुई। हम तटीय जहाजरानी का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। इसलिये उसके चलाये जाने के बारे में उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में और विदेशी मुद्रा आदि के बारे में भी जांच की जा रही है।

श्री कन्डप्पन : यह इम्पिरियल कोलास के समय से भी कम है।

श्री नायनार : क्या सरकार स्वयं जहाज निर्माण कारखाना बनाने की बजाय जहाज लेने के लिये पोलेण्ड और यूगोस्लाविया के साथ करार करने जा रही है, दूसरे मेरी जानकारी यह है कि जापान के मितसुबिशी प्राधिकार ने कोचीन जहाज-निर्माण कारखाने में काम बन्द कर दिया है। क्या यह जानकारी सही है और यदि हाँ, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

डा० बी० के० आर० बी राव : मैं समझता हूँ कि भारत के जहाजराती निगम ने दो बड़े टैंकर जो मद्रास तेल शोधक कारखाने में खरीदने के लिये तेल ले जाने के लिये प्रयोग में लाये जायेंगे। यूगोस्लाविका के साथ करार किया है। जहाँ तक कोचीन निर्माण कारखाने का सम्बन्ध है- मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न यहाँ कैसे उठता है मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि कोचीन जहाज निर्माण कारखाने में केवल छोटे जहाज बने। (अन्तराबाधायें)।

खाद्यान्नों पर राज सहायता

+

*1207. श्री कंवरलाल गुप्त :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में खाद्यान्नों पर राजसहायता देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे खाद्यान्नों के दाम और बढ़ जायेंगे जिससे उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know from the hon. Minister as to how much subsidy is being given by Government and how many people get the benefit of this subsidy ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राजसहायता की राशि का तो सर्वविदित ही है। गत वर्ष लगभग 139 करोड़ रुपये राजसहायता दी गई थी और हमें आशा है कि इस वर्ष 119 करोड़ रुपये दी जायेगी। जैसाकि सर्वविदित है। राशन वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत तथा वहाँ पर आंशिक रूप से राशन है वहाँ पर, लगभग 21 करोड़ लोग आते हैं। वे इस राजसहायता का लाभ उठा रहे होंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : The prices are shooting up like anything and it has become difficult to pass the days of life for those who have fixed income. There are millions in this country who are under-fed. It may be in the knowledge of the hon. Minister then apart from the subsidy given by the Central Government, the State Governments have chalked out a plan to give further subsidy e.g. one State Government is giving more subsidy to those who come in the income group of less than three hundred rupees. May I know, apart from those 21 crores of people who are covered by this subsidy, what has been

done by Government for the rest ? Is Government making such a scheme by which more facilities, than are available at present, could be enjoyed by this Group ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ गत वर्ष हमने 139 करोड़ रुपये की राजसहायता दी थी और इस वर्ष 119 करोड़ रुपये की राजसहायता दिये जाने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के प्रति कितनी दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे लोग ही मुख्य रूप से राजसहायता का लाभ उठाते हैं। मेरे विचार से इससे अधिक उत्तरदायित्व लेना भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के साधनों के बाहर की बात है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अनाज में राजसहायता बन्द करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ताकि देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार बचे हुए धन को सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर व्यय किया जा सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : समय समय पर सुझाव मिल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : परन्तु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

श्री म० ला० सौधी : क्या माननीय मंत्री सभा को यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने इस विषय पर अच्छी तरह से विचार किये जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिया है; अर्थात् कि सरकार उन मूल्यों के; जो उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक हैं, और बिक्री मूल्य के, जिसे इस देश में स्थिति को रोकने के उद्देश्य से कम रखना जरूरी है, बीच के अन्तर को कैसे रोकेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम राज्य सरकारों को आयातित गेहूँ 55 रुपये प्रति क्विंटल, माइलो 40 रुपये प्रति क्विंटल और चावल 80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं। 15 जुलाई से हम माइलो के लिये 12 रुपये 80 पैसे, गेहूँ के लिये 18 रुपये और चावल के लिये 16 रुपये 37 पैसे राजसहायता दे रहे हैं। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ दरिद्र वर्ग के लिये यह पर्याप्त सहायता है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has not answered the question. The hon. Member had asked.....

अध्यक्ष महोदय : यदि वह संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें उठकर पूछना चाहिये, परन्तु श्री सौधी खड़े नहीं हुए हैं।

Shri Madhu Limaye : It is a matter of the whole House. If the hon. Member is not asking the question then I am asking. The answer to the hon. Member must come. The expenditure of distribution and the profit of the middle man is too much. Sir, whenever any question is asked in the House it must be answered. If the hon. Member is not asking what can I do ?

Shri Hukam Chand Kachwai : It is a question to give information to the whole House. It is not a question of one Member only.

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें खड़े हो जाना चाहिये था ।

श्री रंगा : मान लीजिये वह नहीं खड़े होते हैं तो क्या हम समझ लें कि कोई सदस्य खड़ा होकर स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा था कि उन्हें खड़े होकर पूछना चाहिये । निस्संदेह कोई भी व्यक्ति स्पष्टीकरण करने की मांग कर सकता है । आपको ऐसा करने के लिये मना नहीं किया गया है ।

श्री रंगा : ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रश्न पूछता हूँ और तब वह पृथक् प्रश्न पूछता है । यदि किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया जाता है तो सभा का कोई भी सदस्य उसके स्थान पर खड़ा होकर यह कह सकता है कि प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी सदस्य को स्पष्टीकरण की मांग करने से नहीं रोक रहा हूँ ।

Shri Madhu Limaye : The question should be answered clearly. The distribution expenditure and the commercial profit of the Government is very much.

श्री पें० वेंकटसुब्बया : क्या सरकार ने आयातित अनाज तथा उर्वरकों पर राजसहायता जारी रखने के अपने उपायों के प्रभावों को जान लिया है ? क्या इससे अनाज उत्पादन कार्यक्रम और अधिक नहीं पिछड़ जायेगा जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आयातित अनाज पर अधिक राजसहायता देनी पड़ेगी क्योंकि इस राजसहायता को जारी रखने के कारण विदेशों से अधिक अनाज आयात करना जरूरी हो जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उर्वरकों पर राजसहायता समाप्त करने तथा अनाज पर राजसहायता जारी रखने के प्रश्न पर काफी सोच विचार किया गया था । मेरी राय में हम इस निर्णय पर पहुंचे थे कि इस समय अनाज पर राजसहायता समाप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि के $\frac{1}{4}$ भाग में पटसन की खेती की जाने लगी है । वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से बराबर शरणार्थी आ रहे हैं और वहां पर बाहरी क्षेत्रों से मजदूर भी काफी संख्या में आते रहते हैं । क्या इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार पश्चिम बंगाल को अन्न पर अधिक राजसहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरी राय में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether it is a fact that the food requirements of States have increased due to this food subsidy and whenever subsidy on food is reduced their requirements come down ? It is a fact that some State Governments have suggested that this subsidy should be withdrawn and if so, the reaction of Government thereon ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सही है कि बाजार के मूल्य तथा सरकार जिस मूल्य पर सप्लाई करती है उसमें काफी अन्तर है। चावल, गेहूं तथा माइलो आदि राज्य सरकारों को सस्ते दरों पर सप्लाई किये जाते हैं। हाल ही में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने फूड सबसिडी को हटा देने का सुझाव दिया था।

श्री बलराज मधोक : जम्मू तथा काश्मीर को अनाज के मामले में कितनी राजसहायता दी जा रही है और क्या यह सच है कि राजसहायता प्राप्त अनाज काश्मीर में बहुत सस्ते दर पर बेचा जा रहा है जिसके कारण जम्मू के लोगों में भारी असंतोष है? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर दोनों को बराबर राजसहायता दी जाये और दोनों जगह अनाज उसी मूल्य पर बेचा जाये?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जम्मू और काश्मीर को अयातित अनाज उसी भाव पर दिया जाता है जिस भाव पर वह अन्य राज्यों को दिया जाता है। जहां तक उनकी अन्दरूनी सबसिडी का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकार स्वयं देती है और खाद्य मंत्रालय का उससे कोई सरोकार नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : The major benefit of this food subsidy is reaped by the town-folk. The farmers will stand to gain if they are given subsidy on fertilisers. Will this food subsidy not result in less production?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वितरण की व्यवस्था है। इस बारे में पृथक् पृथक् आंकड़े तैयार नहीं किये गये हैं।

श्री अम्बाजागन : मैं जानना चाहता हूं कि जब गेहूं पर 113 करोड़ रुपये तक सबसिडी दी जा रही है तो सरकार चावल पर सबसिडी देना उचित क्यों नहीं समझती?

श्री जगजीवन राम : मेरी राय में चावल पर भी कुछ सबसिडी दी जाती है और वह प्रति क्विंटल 10-12 रुपये से अधिक है।

श्री अम्बाजागन : चावल पर कुल कितनी सबसिडी दी जाती है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चावल हमें 96.37 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है और हम उसे राज्यों को 80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं अर्थात् उस पर हम 16.37 रुपये प्रति क्विंटल सबसिडी दे रहे हैं।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन

श्री मधु लिमये : क्या लोक लेखा समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में या किसी अन्य प्रकार से की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है (या अध्यक्ष को किसी समय सीमा की सिफारिश की है) ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन रिपोर्टों से तथा लोक लेखा समिति द्वारा इन रिपोर्टों पर किए गए विचार से यह पता चलता है कि वही अनियमितताएं फिर हुई हैं और सरकार द्वारा वही आश्वासन फिर दिये गये हैं कि वह उन अनियमितताओं को दूर करेगी और इसके बाद उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हीं गलतियों तथा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लोक लेखा समिति का, क्या कारगर कार्यवाही/उपाय करने का विचार है ?

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री मी० रु० मसानी) : (क) लोक लेखा समिति ने अपने 6 मई, 1963 के बारहवें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) के पैरा 1 में सिफारिश की थी कि सरकार को समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में की गई कार्यवाही दिखाने वाला विवरण, सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर, पेश करना चाहिए ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां । कई बार ऐसा हो जाता है । उदाहरण के तौर पर, “निर्माण-कार्यों के त्रुटिपूर्ण आयोजन के कारण राजस्व की हानि” की ओर ध्यान दिया जाये जिसके सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 52 वें प्रतिवेदन के पैरा 2.24 से 2.40 में, जो 5 मई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, टिप्पणी की गई है ।

(घ) एक ही प्रकार की गलतियों तथा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न होने पाये इसके लिए लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्यवाही करना संसद् तथा सरकार का काम है ।

Shri Madhu Limaye : How many reports were submitted by Government with this prescribed time-limit of three months ?

श्री मी० रु० मसानी : माननीय सदस्य के सहयोगी द्वारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर में यह जानकारी दी जायेगी ।

हमने दिये गये उत्तरों की सूची तैयार नहीं की है कि आया वे तीन महीनों के अन्दर प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं । हम इसे तैयार करेंगे क्योंकि यह सभा के लिये उपयोगी सिद्ध होगी ।

तीसरी लोक-सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या लोक लेखा समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति ने तीसरी लोक-सभा में कुल कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये;

(ख) कितने प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सरकार ने प्रस्तुत की है;

(ग) लोक लेखा समिति ने की गई कार्यवाही सम्बन्धी ऐसी कितनी रिपोर्टों पर विचार किया;

(घ) क्या इन रिपोर्टों पर विचार करने पर लोक लेखा समिति और सरकार के बीच असहमति के कुछ मामलों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ?

समापति, लोक लेखा समिति (श्री मी० रु० मसानी) : (क) तीसरी लोक-सभा की लोक-लेखा समिति ने कुल 72 प्रतिवेदन पेश किये। इनमें से छः प्रतिवेदन 67 वें से 72 वें तक नियम 280 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को पेश किये गये थे और उनको 28 मार्च, 1967 को चौथी लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया था। इन 72 प्रतिवेदनों में से दो प्रतिवेदन (47 वां 67 वां) केरल, जहां उस समय राष्ट्रपति का शासन लागू था, के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों और विनियोगों लेखे के विषय में थे।

(ख) सरकार ने प्रतिवेदनों पर, अंशतः अथवा पूर्णतः की गई कार्यवाही की सूचना दी है। तीसरी लोक-सभा के दो प्रतिवेदनों (47 वां और 67 वां) के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना अब केरल सरकार द्वारा सीधे केरल राज्य विधान-मण्डल की लोक लेखा समिति को दी जायेगी। दामोदर घाटी निगम के विषय में लोक लेखा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन पर कार्यवाही सम्बन्धी कार्य सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा किया जायेगा।

(ग) लोक लेखा समिति (तीसरी लोक-सभा) ने अपने 34 वें, 37 वें और 42 वें प्रतिवेदनों (दूसरी लोक-सभा) और पहले से 14 वें, 16 वें से 36 वें, 38 वें से 40 वें और 53 वें प्रतिवेदनों (तीसरी लोक-सभा) में की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार से प्राप्त की गई कार्यवाही सम्बन्धी टिप्पणियों की समीक्षा की। सभा पटल पर एक विवरण (संख्या एक) रख दिया गया है जिसमें की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों के बारे में बताया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1077/67]।

(घ) जी हां, कुल मामलों में लोक लेखा समिति द्वारा अप्रैल, 1963 में किये गये निर्णय के अनुसार, (लोक लेखा समिति, 1962-63 के 12 वें प्रतिवेदन का पैरा 2) उन चुनी हुई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर जहां यह समझा गया है कि सरकार द्वारा पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई अथवा जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है" सम्बन्धित मंत्रालय। विभाग से सम्बन्धित समिति प्रतिवेदन के एक पृथक् अध्याय में विचार व्यक्त किये गये हैं, वे मामले जहाँ इस प्रकार पहले की सिफारिशों से असहमति व्यक्त की गई है अथवा उनको दोहराया गया है, समिति के प्रतिवेदनों (तीसरी लोक-सभा) में दिये गये हैं। इन प्रतिवेदनों का व्यौरा सम्बन्धित अध्यायों समेत, सभा पटल पर रखे गये विवरण (संख्या दो) में दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1077/67]।

(ड) समिति की संगत सिफारिशों। अभिकथनों का सारांश अन्य सिफारिशों आदि के साथ प्रत्येक प्रतिवेदन के परिशिष्ट में, निष्कर्षों/सिफारिशों का सारांश शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है।

Shri George Fernandes : In the statement laid on the table by the Chairman, it is mentioned:—

“लोक लेखा समिति (तीसरी लोक-सभा) के प्रतिवेदनों का व्यौरा उन अध्यायों के साथ जिनके बारे में लोक लेखा समिति ने सरकार के उत्तर को स्वीकार नहीं किया और अपनी पहली सिफारिशों को दोहराया है, इस प्रकार है : ”

From this, it appears that the P.A.C. have reiterated their earlier recommendations on action taken reports where there was disagreement between the Committee and the Ministry concerned. Have Government communicated any fresh decision in the light of such a disagreement ?

श्री मी० रु० मसानी : जैसा मैंने प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में कहा है इस बारे में आगे कार्यवाही संसद् तथा सरकार द्वारा की जानी है क्योंकि यह मामला अब उनके सामने है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि काफी प्रतिवेदन ऐसे हैं पर उचित कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में तो अब यह सभा ही विचार कर सकती है कि उन पर उचित कार्यवाही कैसे कराई जा सकती है।

Shri Madhu Limaye : Will the P.A.C., P.U.C, on other committees place their recommendations before the House before you so that we may discuss ways and means for their speedy implementation ?

श्री मी० रु० मसानी : जब उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब हमें उनके सुझाव पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मूलभूत अधिकारों के बारे में मुकद्दमेबाजी

***1206. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलभूत अधिकारों के बारे में हो सकने वाली मुकद्दमेबाजी को रोकने के लिये संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव लाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार ने संविधान को संशोधित करने सम्बन्धी प्रस्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है जिससे कि यह

स्पष्ट हो जाए कि संसद् को मूल अधिकारों से सम्बन्धित भाग 3 सहित, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की शक्ति है।

(ख) इस निश्चय का कारण आई० सी० गोलक नाथ बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के विनिश्चय से उत्पन्न कठिनाई पर काबू पाना है जिसमें कि उक्त न्यायालय ने 5 के मुकाबले 6 के बहुमत से यह तय पाया था कि संसद् को संविधान के भाग 3 का संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, यदि ऐसे संशोधन के प्रभावस्वरूप उस भाग के अधीन प्रत्याभूत मूल अधिकारों में से कोई भी अधिकार छीनता हो या उसका न्यूनन होता है।

1967 में खाद्यान्न का उत्पादन

1208 श्री काशीनाथ पाण्डेय :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में कोई अन्तिम अनुमान लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पहले लगाये गये सात करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन के अनुमान में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। समस्त राज्यों से अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संवर्द्धन कार्यक्रम

1209. श्री रा० बरुआ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सघन खेती के लिये कोई उर्वरक संवर्द्धन कार्यक्रम बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या अम्ल वाली भूमि को चूना तथा डोलोमाइट मिलाकर उपजाऊ बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) (1) एक संवर्द्धन प्रदर्शन योजना जिसमें सघन कृषि जिला कार्यक्रम तथा अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के 5 एकड़ खण्डों में उर्वरक का प्रयोग

शामिल है 1967-58 में शुरू की गई है। एक सम्पूर्ण प्रदर्शन में उन्नत किस्मों या अधिक उपज देने वाली किस्मों की दो या तीन फसलें दिखाई जाएंगी।

(2) खेती के वैज्ञानिक तरीकों से और सिफारिश किए गए स्तरों पर उर्वरकों के इस्तेमाल द्वारा 100 एकड़ वाले खण्डों पर अधिक उपज देने वाली किस्मों की अधिकतम उपज को दिखाने के लिए एक पाइलट डिमान्सट्रेशन प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

(3) उर्वरक के प्रयोग के लिए भूमि परीक्षण सेवा को बढ़ाया जा रहा है।

(ग) जी हां। किसानों को प्रेरित करने के लिए सायल कन्डीशनर्स के साहाय्य वितरण के लिए एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। 100 एकड़ खण्डों पर सायल कन्डीशनर्स को लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरी योजना भी बनाई गई है।

पशुधन

1210. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

श्री गा० शं० मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 की पशुगणना के अनुसार देश में कुल कितने पशु हैं;

(ख) उनमें से कितने अनुपयोगी हैं;

(ग) अनुपयोगी पशुओं की संख्या कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार पशुओं के, विशेष रूप से कम दूध देने वाली नस्लों का बन्धीकरण व्यवहार्य समझती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अग्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966 की गणना के अनुसार देश के पशुओं की कुल संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) 1947 में निपुक्त की गई पशु परीक्षण तथा विकास समिति के अनुसार देश के लगभग 10 प्रतिशत पशु अलाभप्रद हैं। तथापि, हाल का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसे निकम्मे सांडों/अन्य छोटे छोटे बछड़ों के बन्धीकरण का काम, जिन्हें प्रजनन के लिये उचित नहीं समझा जाता है, राज्य पशुपालन विभागों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। देश में बन्धीकरण कार्य की गति को तेज करने की दृष्टि से तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक बड़े पैमाने की बन्धीकरण योजना आरम्भ की गई थी। बूढ़े, कमजोर और निकम्मे पशुओं के पृथक्करण के लिये गो सदन केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं।

(घ) नर पशुओं का वन्धनीकरण अण्डोच्छेदन द्वारा किया जाता है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग से अनुत्पादक गायों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये एक अग्रिम परियोजना भी आरम्भ करने का विचार है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Food Zones

*1211 Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Das :

Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have conveyed their opinion to the Central Government that foodgrain prices would come down if food zones were abolished;

(b) if so, whether Government propose to take a decision in this regard;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the full details of the suggestion given by the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde, : (a) and (b) No Sir, However, during the Conference of Chief Ministers held in April, 1967 the Chief Minister, Bihar expressed the view that the entire country should be one zone so that foodgrains can be purchased from any-where at reasonable prices.

(b) and (c) At the Chief Ministers Conference there was a consensus that the existing zonal restrictions under which the inter-State movement of foodgrains on private trade is banned should continue. The continuance or otherwise of zonal restriction is reviewed periodically by Government in consultation with the Chief Minister of the States,

पश्चिम बंगाल में काजू का उत्पादन

1212. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले कटाई सब-डिवीजन में काजू बहुतायत में पैदा होता है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस सब डिवीजन में काजू का उत्पादन और अधिक क्षेत्रों में किया जा सकता है जिससे इसका उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने की इसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार राज्य सरकार के सहयोग से कटाई के क्षेत्रों में काजू का उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

प्रादेशिक भाषाओं में विधेयकों तथा अध्यादेशों का परिचालन किया जाना

*1213. श्री सम्बन्धन :

श्री अंबाजागन :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने संसद सदस्यों को विधेयक तथा अध्यादेशों की प्रतियां प्रादेशिक भाषाओं में देने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) सरकार का विचार किस तारीख से विधेयक आदि प्रादेशिक भाषाओं में देने का है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) संसद सदस्यों को विधेयकों और अध्यादेशों की प्रतियां प्रादेशिक भाषाओं में उपबन्धित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाये गए हैं ।

(ख) विधेयकों आदि की प्रतियां प्रादेशिक भाषाओं में देने की सरकार की प्रस्थापना नहीं है ।

खाद्यान्नों पर रसायनों का छिड़का जाना

1214. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चिड़ियों को खाद्यान्नों को खाने से तथा अनाज को क्षति पहुँचाने से रोकने के लिये अनाज पर जहरीले रसायन छिड़कने का है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन जहरीले रसायनों का मनुष्यों पर कोई स्थायी तथा संचयी विषैला प्रभाव न पड़ने पाये, सरकार ने क्या प्रयोग किये हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उपायों द्वारा मानव जीवन को खतरा होने के अतिरिक्त समस्त पक्षियों के नष्ट हो जाने की सम्भावना पर विचार किया है;

(घ) खाद्यान्नों पर इन रसायनों का प्रयोग करने से पूर्व क्या सरकार का विचार मनुष्यों, पक्षियों तथा पशुओं पर पड़ने वाले इन जहरीले रसायनों के बिनाशकारी प्रभाव के बारे में गहन अनुसन्धान करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। चिड़ियों और अन्य पक्षियों को दूर भगाने के लिए भण्डारों में यांत्रिक उपाय किए जाते हैं। फसल खड़ी हो तब भी इस प्रयोजन के लिए रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता और यांत्रिक उपाय किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास का उत्पादन

1215. श्री पार्थसारथी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि भारत में विश्व में सबसे अधिक भूमि में कपास की खेती होती है और कुल उत्पादन सबसे कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो औसत उपज बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि अमरीका तथा अन्य देशों की उपज से उसकी तुलना की जा सके, जहां पर कि प्रति एकड़ औसत उपज 480 पौण्ड है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी हां।

(ख) कपास उगाने वाले समस्त प्रमुख राज्यों में प्रति एकड़ उपज की वृद्धि हेतु विशेष योजनाओं के लिए पैकेज की विधियों को अपनाया जा रहा है। इन क्षेत्रों में उन्नत बीज तथा उर्वरक आदि आदान उपलब्ध किये जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पौधरक्षा विषयक कदम उठाये जा रहे हैं, हवाई जहाजों से दवाइयां छिड़की जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में खेती की उन्नत विधियों का प्रचार किया जा रहा है।

एयर इंडिया

*1216. श्री वेदवत बरुआ :

श्री न० कु० सांघी :

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के अरब-इसराईल संघर्ष के प्रति भारत के रबैये के कारण एयर इंडिया के विश्व-व्यापी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विशेष रूप से यू० एस० ए० और योरोप में एयर इंडिया की कुछ बुकिंग रद्द हुई

हैं। एयर इंडिया के विश्व-व्यापी व्यापार पर इसका किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसका मूल्यांकन करना इस समय संभव नहीं है।

(ख) एयर इंडिया ने सामान्य 'फील्ड सेल' की कार्यवाही की है।

हरियाणा से खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1217. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री ग्रह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों को खाद्यान्न का निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों की खाद्यान्न खरीदने की मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो हरियाणा से अनाज खरीदा करते थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रताप साहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय आदेशों के अधीन हरियाणा से चावल, गेहूँ, चने और मक्का के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। तथापि, चने के संचलन के लिये हरियाणा और दिल्ली का साझा क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के अधीन हरियाणा से ज्वार और बाजरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) हरियाणा से अन्य राज्यों को सरकार से सरकार के खाते में खाद्यान्नों की सप्लाई केन्द्रीय सरकार के माध्यम से की जाती रहेगी।

Increase in Ex-Factory Price of Sugar

*1218. Shri Madhu Limaye :
Shri Kameshwar Singh :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri D. C. Sharma :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Ishaq Sambhali :

Shri Satya Narain :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri Vasudevan Nair :
Shri P. C. Adichan :
Shri C. Janardhanan :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to raise the ex-factory price of sugar in many areas of Northern India; and

(b) if so, the reasons therefor and the details in regard thereto and its likely effect on the retail price and the general price index ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library Sec. No. LT-1078/67]

फालतू भूमि का वितरण

1219. श्री शिवचन्द्र भा :

શ્રી મરંડી :

श्री राम सेवक यादव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से राज्य हैं तथा निर्धारित सीमा से फालतू बचने वाली कितनी भूमि भूमिहीन किसानों को बांटी गई है;

(ग) किन राज्यों में ये सीमा अभी तक लागू नहीं की गई है तथा वहां कितनी भूमि मिलने की आशा है; और

(घ) भूमि की अधिकतम सीमा पूरी तरह लागू करने के बाद भी समूचे भारत में कितने भूमिहीन किसान रह जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1079/67]

जोरदार खाद्य उत्पादन कार्यक्रम

1220. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री अ० दीपा :

श्री प्र० के० देव :

श्री स० माझी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए सरकार 3 करोड़ 25 लाख एकड़ भूमि में जोरदार खाद्य उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नसाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ योजना के अन्तर्गत विकसित कृषि के नये तरीकों के अनुसार 1970-71 के अन्त तक खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 1966-67

के आरम्भ से देश के बड़े क्षेत्रों में अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम चालू किया गये हैं। 1970-71 के अन्त तक 325 एकड़ भूमि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की योजना है। इसमें 125 लाख एकड़ चावल की भूमि, 80 लाख एकड़ गेहूं की भूमि और चालीस चालीस लाख एकड़ मक्का, जवार और बाजरा की भूमि शामिल है। आशा है कि 300 लाख टन अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य में से इस क्षेत्र से लगभग 188 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा होगा।

इस कार्यक्रम के लिये बीज, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ और ऋण पर्याप्त मात्रा में दिये जा रहे हैं। जहाँ तक बीजों का सम्बन्ध है राज्यों अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये अपने प्रबन्ध कर लिये हैं। कार्यक्रम की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक केन्द्रीय पूल से आवंटित किया जाता है। ऋण की आवश्यकता को राज्य सरकारें सहकारी समितियों तथा तकाबी ऋणों द्वारा पूरा कर रही हैं। सभी स्तरों पर कर्मचारियों और किसानों को गहन प्रशिक्षण देने के लिये भी प्रबन्ध किए गए हैं।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम का भारतीय खाद्य निगम में विलय

1221. श्री जार्ज फरेन्डोज : श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० वनर्जी : श्री श्रीधरन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम का भारतीय खाद्य निगम में विलय कर देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—में राज्य मंत्री(श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय भाण्डागार निगम को वर्तमान रूप में चलने दिया जाय अथवा इसके पूरे या आंशिक कार्यों को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित कर दिया जाय, इस प्रश्न पर अभी भी सरकार विचार कर रही है।

एयर इंडिया के विमान चालकों की हड़ताल

*1222. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के विमान चालकों की चार दिन की हड़ताल से लगभग 40 लाख रुपये की हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट घोषित कर दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के कानूनी परिणामों का सरकार ने पहले विचार नहीं किया था, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने इस मामले में सरकार को गलत राय दी कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) चार दिनों की हड़ताल के दौरान एयर इंडिया को अनुमानतः 28.80 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) यह न्यायाधिकरण के पंचाट (अवार्ड) के परिणामों का पहले से अंदाजा लगा लेने या इस सम्बन्ध में किसी के द्वारा सरकार को गुमराह करने का प्रश्न नहीं था। मतभेद एयर इंडिया के विमान चालकों तथा आई०ए०सी० के विमान-चालकों के वेतनों में अन्तर के बारे में न्यायाधिकरण के पंचाट के अर्थनिर्वाचन के विषय में पैदा हुआ। चूंकि एयर इंडिया के विमान-चालकों के विचारों का आई०ए०सी० के विमान चालकों के हितों पर भी असर पड़ता था, इसलिए पंचाट का किसी अन्य पक्ष द्वारा आधिकारिक रूप से अर्थनिर्वचन करवाना आवश्यक था। इसी कारण सरकार और एयर इंडिया बातचीत के दौरान भगड़े को विवाचन के लिए भेजने को प्रस्तुत हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे एयर इंडिया के विमान-चालकों ने स्वीकार नहीं किया।

मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन

1223. श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

श्री श्रीकारलाल बेरवा :

श्री बलराज मधोक :

श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

श्री भरत सिंह चौहान :

श्री पार्थसारथी :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रामावतार शर्मा :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री आत्मदास :

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

श्री सूर्य प्रकाश पुरी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

श्री को० सूर्यनारायण :

श्री देवराव पाटिल :

श्री रा० ढो० भण्डारे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस महीने मुख्य मन्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उससे मुख्य मन्त्रियों ने खाद्य सम्बन्धी असफलता के लिए केन्द्र को दोषी ठहराया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने केन्द्र को किन कारणों से दोषी ठहराया;

(ग) इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस सम्मेलन में खाद्य समस्या तथा राज्यों को खाद्यान्न के वितरण और उर्वरकों की सप्लाई तथा लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय किए गए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। सम्मेलन में खाद्य संकट के लिए दोष लनाने या अकेले केन्द्र को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं की गई थी। सम्मेलन में भाग लेने वालों ने सुझाव दिए और यह अनुभव किया गया कि खाद्य उत्पादन एवं वितरण में सुधार करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सहयोग की भावना से काम करना चाहिए।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) खाद्य समस्या और राज्यों को खाद्यान्नों के वितरण और उर्वरक सप्लाई करने तथा लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के सम्बन्ध में हुए निर्णयों का सार सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1080/67]

व्यापारी कृषि फसलों का उत्पादन लक्ष्य

1224. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये व्यापारी कृषि फसलों के सम्बन्ध में लक्ष्य तथा सीमाएं निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में निर्धारित अधिकतम तथा न्यूनतम लक्ष्यों तथा सीमाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्णय करने के मुख्य आधार क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये कौश फसलों पर सीमायें निर्धारित नहीं की गई हैं। खाद्य में आत्म निर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है किन्तु कौश फसलों के क्षेत्र को परिवर्तित करके नहीं बल्कि सघन कृषि के कार्यक्रमों द्वारा ऐसा किया जायेगा। वाणिज्य सम्बन्धी फसलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Starvation Deaths in Bihar

*1225. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavtar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports of the statements made by the Bihar Ministers of Revenue and Local Self Government that appeared in the daily Aryavarta dated the 5th June 1967 that the Central Government would be responsible for every starvation death in Bihar since "the Centre neither supplies foodgrains according to its promise nor it allows the purchase of foodgrains from any other place outside the State"; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Sinde) : (a) Government have seen Press reports to this effect.

(b) The Central Government have been making the maximum possible allotments of foodgrains to Bihar. In view of the acute situation there and the fact that no rice was being allotted to Bihar, the State Government approached us with the request that, if they were able to locate surplus stocks, especially of rice, in any State and the State Government concerned agreed to give that stock to Bihar, the Central Government may give permission for movement of such stocks to Bihar. The Bihar Government has been informed that if such stocks were over and above the commitments of the State to the Central pool, permission would be given to Bihar Government to purchase such stocks.

The various relief programmes undertaken in Bihar by the State Governments with the help of the Central Government have brought the situation under control. It is Government's hope that no starvation deaths would take place either in Bihar or elsewhere in the drought-affected areas of the country. The question of responsibility for such deaths does not arise.

उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अकाल की घोषणा

1226. श्री मधु लिमये :

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ भागों में अकाल की स्थिति घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा उनका कुल क्षेत्रफल कितना है और उनकी जनसंख्या कितनी है; और

(ग) इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मुख्य पत्तनों में बड़े जहाजों से माल उतारना

1228. श्री यशपाल सिंह :	श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री स० चं० सामन्त :	श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :	श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :	श्री नन्द कुमार :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य पत्तनों में 60000 मीट्रिक टन तथा इससे अधिक क्षमता वाले बड़े बड़े जहाजों तथा भारी माल वाहकों को लाने तथा उनसे माल उतारने में बहुत विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव): (क) और (ख) आजकल भारत के बड़े पत्तनों में घाटों के संपाद्व में 60000 टन तथा इससे अधिक के बड़े विपुल माल वाहक माल घरने लादने की स्थिति में नहीं हैं। किन्तु मद्रास के पास चारा में और कलकत्ता से लगभग 78 समुद्री मील की ओर सागर रोड़ पर गहरे डुबाव के पोत अपना माल छोटे पोतों में उतारते हैं। इस कारण बड़े आकार के पोतों से माल बिना देरी के उतार लिया जाता है। चतुर्थ योजना कार्यक्रम के भाग के रूप में मद्रास पत्तन पर एक नया बाहरी पत्तन बनाया जा रहा है जिसमें प्रारम्भिक अवस्था में 60000 कुल टन भार के पोत और अन्ततः 100,000 कुल टन भार के पोत घरा उठाई कर सकेंगे। मारमोगाव और मंगलौर से प्रारम्भ में 60,000 कुल टन भार के और अन्ततः 100,000 कुल टन भार के पोतों में घरा उठाई करने के लिए खनिज लोह के काटों की व्यवस्था विचाराधीन है। हल्दिया में बनाई जा रही नयी गोदी व्यवस्था में 60,000 कुल टन भार के पोत घरा उठाई कर सकेंगे। कुछ पूंजीगत निकर्षण से पारादीप पत्तन में भी 60,000 कुल टन भार के पोत घरा उठाई कर सकेंगे।

खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1229. श्री शिवचन्द्र भा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में दी गई किन किन सिफारिशों को सरकार से अब तक क्रियान्वित किया है; और

(ख) किन किन सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

समष्टि, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्डे) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1081/67]

(ख) खाद्यान्न नीति समिति की अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

केरल में चावल के राशन में कटौती

1230. श्री कमलेश्वर सिंह :

श्री श्री धरन :

श्री अविचन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1967 के प्रथम सप्ताह से केरल में चावल के राशन में 50 प्रतिशत कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो चावल का राशन फिर से पूरी मात्रा में देने के लिये सरकार के क्या कार्यवाही की है; और

(ग) पूरी मात्रा में चावल का राशन कब से मिलने लगेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। लेकिन वास्तविक सप्लाई 160 ग्राम प्रति वयस्क प्रतिदिन की स्वीकृत चावल की मात्रा का केवल 75 प्रतिशत थी।

(ख) केन्द्रीय भण्डार में उपलब्ध चावल का अधिक भाग केरल को भेजा जा रहा है।

(ग) यह कहना संभव नहीं है कि कब 160 ग्राम प्रति वयस्क प्रतिदिन की राशन की सप्लाई बहाल की जायेगी।

चम्बल के बीहड़ों का कृष्यकरण

5894. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पुनः कहा है कि चम्बल के बीहड़ों का कृष्यकरण का काम केन्द्रीय परियोजना के रूप में केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चम्बल की ऊबड़ खाबड़ भूमि का केन्द्रीय परियोजना के रूप में सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई नई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। ऊबड़ खाबड़ भूमि को स्टेट प्लान कार्यक्रम के रूप में सुधारा जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आधुनिक बेकरियों की स्थापना

5895. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी सहायता से स्थापित की जाने वाली आधुनिक छः बेकरियों में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी नहीं ।

(ख) मॉडर्न बेकरी के समी 6 युनिटों का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि दिसम्बर, 1967 और अप्रैल, 1968 के बीच एक एक करके वे उत्पादन करना शुरू कर देंगी ।

Village Volunteers Force

5896. Shri D. S. Patil : Will the Minister Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the States where the work of Village Volunteers Force is going on;

(b) whether Government are preparing a report on the work of Village Volunteers Force; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : The states were advised in August, 1966 to discontinue the Village Volunteer Force Scheme,

(b) and (c) Do not arise.

गुजरात में केन्द्रीय कृषि गवेषणा परियोजनाएं

5897. श्री नरेन्द्रसिंह वहीड़ा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कितनी केन्द्रीय कृषि गवेषणा परियोजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) उन पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है और अगले दो वर्षों में कितना धन व्यय करने का विचार है; और

(ग) वे किस-किस स्थान पर स्थित हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में केन्द्रीय भाण्डागार

5898. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) गुजरात में कितने केन्द्रीय भाण्डागार हैं तथा उनमें से प्रत्येक की क्षमता क्या है;

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा वे किस किस स्थान पर हैं;

(ग) क्या उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी कितनी क्षमता का प्रयोग किया जाता है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) गुजरात में इस समय निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय भाण्डागार निगम के 8 भाण्डागार हैं जिनकी कुल क्षमता 21,323 मीटरी टन है :

केन्द्र	क्षमता मीटरी टन में	
1. नादियाद	3000	मीटरी टन
2. बड़ोदा	2922	,,
3. जामनगर	2200	,,
4. आनन्द	1733	,,
5. सूरत	1832	,,
6. राजकोट	1550	,,
7. भावनगर	3086	,,
8. अहमदाबाद	5000	,,
जोड़	21,323	

(ग) और (घ) खरफ और रबी की फसल की कटाई के बाद ये भाण्डागार वर्ष में लगभग 8 महीने अपनी पूरी क्षमता तक भरे रहते हैं। गत 12 महीनों में इन भाण्डागारों का औसतन प्रयोग 95 प्रतिशत हुआ है।

गुजरात में सहकारी चीनी के कारखाने

5899. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में चीनी के कितने सहकारी कारखाने हैं; और

(ख) 1967-68 में उस राज्य में चीनी के ऐसे कितने कारखाने खोलने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) गुजरात में इस समय 5 लाइसेंसे प्राप्त सहकारी चीनी कारखाने हैं जिनमें से 3 कारखाने चालू हैं और दो लगाए जा रहे हैं।

(ख) इन दो कारखानों में से एक के 1967-68 में चालू हो जाने की संभावना है।

गुजरात में भू-संरक्षण

5900. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में गुजरात राज्य को भू-संरक्षण के लिए कितना धन दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि में उस पर वास्तव में कितना धन-व्यय किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) स्टेट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत 1966-67 में भूमि संरक्षण के लिए 271 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात को 7.61 लाख रुपये का नियतन किया गया था।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों की क्रियान्विति पर 199.61 लाख रुपये व्यय हुये हैं।

गुजरात की खेती की उपज के लिये ऋण

5901. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 की उपज बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार को कोई अल्प अवधि ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां। 1966-67 के दौरान उर्वरक की खरीद तथा वितरण के लिए गुजरात सरकार को 145.72 लाख रुपये का एक अल्पकालीन ऋण दिया गया था।

Supply of Wheat, Rice and Sugar to M. P.

5902. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) The quantity of wheat, rice and sugar allocated to Madhya Pradesh during the year 1966-67 and the quantity actually supplied, commodity-wise; and

(b) The quantity of wheat, rice and sugar allocated to Madhya Pradesh during the first quarter of the year 1967-68 and the quantity actually supplied commodity-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a)	(In '000 tonnes)	
	Wheat	Sugar
Quantity allotted	385.6	171.9
Quantity supplied	383.5	163.2

The entire quantity of rice procured in Madhya Pradesh on Central Government account was placed at the disposal of the State Government.

(b)	(In '000 tonnes)	
	Wheat	Sugar
Quantity allotted	48.2	29.4
Quantity Supplied	43.1	8.9 *

* In April only. Figures for May and June, 1967 are not yet available. The entire quantity of rice procured in Madhya Pradesh on Central Government account was placed at the disposal of the State Government.

Grant of Loan to Madhya Pradesh for Tube-Wells

5903. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several applications for the grant of loans for tube-wells in Madhya Pradesh have been pending for long with Madhya Pradesh Government for want of sufficient loans from the Central Government;

(b) if so, the number of such applications and when the loans are likely to be sanctioned;

(c) whether the Central Government propose to give some assistance to Madhya Pradesh Government in this regard; and

(b) if so, the amount of assistance to be given ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d) The information is being collected from the Madhya Pradesh Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received from them.

Cooperative Movement in M. P.

5904. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state ;

(a) whether the Central Government gave any loan or grant to the Madhya Pradesh Government in 1966-67 for speeding up cooperative movement in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M.S. Gurupadaswamy) (a) and (b) : Yes, Sir. A loan of Rs. 291.43 lakhs and a grant of Rs. 24.64 lakhs were sanctioned to the Government of Madhya Pradesh. The details are indicated in the statement laid on the table of the House [Placed in library see N. L. T. 1082/67]

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में निःसंवर्ग पद

5905. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के (31 मार्च, 1967 तक) उनके मन्त्रालय उसके सम्बद्ध तथा अधिनस्थ कार्यालयों में श्रेणी एक, दो और तीन के कितने निःसंवर्ग पद मंजूर किये गये तथा कितने पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ख) इन में से कितने पद सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति तथा अन्य विभागों से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करके भरे गये; और

(ग) इन पदों में से कुल कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्रालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निःसंवर्ग पद

5906. श्री राम चरण : क्या पर्यटन तथा असेैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय उसके सम्बद्ध कार्यालयों तथा अधिनस्थ कार्यालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने निःसंवर्ग पदों (एक्स केडर पोस्ट्स) की पिछले पांच वर्षों में (31.3.67 तक) मंजुरी दी गई थी और उन पर नियुक्तियां की गई थी;

(ख) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से नियुक्तियां की गई थी;

(ग) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों को प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त करके भरा गया था;

(घ) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों को वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नतियों के द्वारा भरा गया था; और

(ङ) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यह मानते हुए कि यह प्रश्न संगठित सेवा के संवर्ग से इतर पदों से संबंधित है, सूचना निम्न प्रकार है :—

(क)	(i)	मंजूर पदों की संख्या :	70
	(ii)	भरे गये पदों की संख्या :	65
(ख)	(i)	सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पद :	24
	(ii)	रोजगार दफ्तर के माध्यम से भरे गये पद :	28
(ग)		3.	
(घ)		10.	
(ङ)		8.	

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निःसंवर्ग पद

5907. श्री राम चरण : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय, उसके संबद्ध कार्यालयों तथा अधिनस्त कार्यालयों में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने निःसंवर्ग पदों (एक्स केडर पोस्ट्स) की पिछले पाँच वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) मंजूरी दी गई थी और उन पर नियुक्तियाँ की गई थी;

(ख) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से तथा रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से नियुक्तियाँ की गई थी;

(ग) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों को प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त करके भरा गया था;

(घ) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों को वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति के द्वारा भरा गया था; और

(ङ) ऐसे कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था ?

परिवहन तथा नौचहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कैरावल विमानों के लिये बैटरियां

5908. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री मधु लिमये :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कैरावल विमानों के लिये फ्रैंच शाफ्ट कम्पनी द्वारा निर्मित बैटरियों का आयात किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ समय प्रयोग करने के बाद इनमें से कुछ बैटरियां खराब पाई गईं और 1964 में नामंजूर करके इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सान्ताकुज स्थित कबाड़ घर में डाल दी गई थी;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सान्ताकुज के एक मैकेनिक ने इन बैटरियों को काम में लाने योग्य बनाने का एक तरीका निकाला था;

(घ) क्या मरम्मत की गई ये बैटरियां परीक्षण के बाद सुरक्षित और काम में लाने योग्य पाई गईं तथा उनका उपयोगिता काल कई सौ उड़ान घण्टे बढ़ गया था;

(ङ) क्या ये बैटरियां असेनिक उड्डयन के महानिदेशक से औपचारिक मंजूरी लिये बिना प्रयोग किये जा रही हैं;

(च) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सान्ताकुज स्थित कार्यवाहक मुख्य इंजीनियर ने असेनिक उड्डयन के महानिदेशक के अधीन नामिकीय निरीक्षण के नियंत्रक की सहमति प्राप्त करने के लिये सान्ताकुज के मुख्य निरीक्षक अधिकारी को लिखा था;

(छ) क्या यह सहमति प्राप्त कर ली गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ बैटरियां, जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार उनके सामान्य उपयोगिता काल की समाप्ति पर काम के योग्य नहीं रह गई थी, रद्दी में डाल दी गयीं।

(ग) आई० एस० सी० के एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक ने दावा किया था कि उसने इन बैटरियों को पुनःनिर्मित करने तथा उन्हें काम में लाने योग्य बनाने का एक तरीका निकाला है।

(घ) कैरावल विमानों में मरम्मत की गई बैटरियों का उपयोग करना सुरक्षित नहीं समझा गया है।

(ङ) विमानों में पुनः निर्मित बैटरियों का उपयोग नहीं किया गया है।

(च) से (ज) इन मरम्मत की हुई बैटरियों के बारे में संगत एवं सम्बद्ध समस्त व्यौरा नागर विमानन विभाग को भेज दिया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से वे इन बैटरियों का उपयोग करने के बारे में सहमत नहीं हुए।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बैटरियाँ

5909. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री मधु लिमये :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताकुज से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक मैकेनिक ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे रद्दी और बेकार बैटरियाँ पुनः काम देने योग्य बनाई जा सकती हैं और इस तरीके के द्वारा फ्रांस से आयातित बैटरियाँ काफी लम्बे समय तक प्रयोग में लाई जा सकती हैं तथा इससे बैटरियों के आयात पर होने वाला व्यय घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में कितनी बचत हुई है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस तरीके का आविष्कार करते वाले मैकेनिक की पदोन्नति की है / उसे पुरस्कार दिया है / उसकी सेवा की प्रशंसा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) विमानों में पुनर्निर्मित बैटरियों का उपयोग करने का सामान्य प्रचलन नहीं है, क्योंकि बैटरी के खराब होने से सम्पूर्ण यंत्र में खराबी आ सकती है जिससे विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। सान्ताकुज में कारपोरेशन के एक मैकेनिक द्वारा सुझाये गये एक तरीके के परिणामस्वरूप पुनर्निर्मित बैटरियों का लगाना स्वीकार नहीं किया गया। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, बैटरियों के आयात पर व्यय कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिस मैकेनिक ने बैटरियों के पुनर्निर्माण का तरीका सुझाया था उसे मार्च, 1966, से दो विशेष वेतन-वृद्धियाँ प्रदान की गयीं।

भारतीय विधि संस्था, नई दिल्ली

5910. श्री जार्ज फरनेडीज : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्था को, जो सरकारी सहायता प्राप्त निकाय है, वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इन वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस संस्था के किन्हीं कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई और/अथवा किसी कर्मचारी की छुट्टी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संस्था को दिये जाने वाले अनुदानों में वृद्धि करने का है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। इंडियन ला इन्स्टीट्यूट द्वारा ऐसी कोई कठिनाई सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात को चने और चने की दाल का कोटा

5911. दा० रा० परमार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में गुजरात राज्य को सप्लाई किये जाने वाले चने और चने की दाल का कोटा 31,400 मीट्रिक टन से घटा कर 20,250 मीट्रिक टन दिया गया था जबकि गत वर्ष यह कोटा 59,382 मीट्रिक टन दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात राज्य को मई, 1967 तक केवल 4,342 मीट्रिक टन चने और चने की दाल सप्लाई की गई थी हालांकि कम किया गया कोटा भी 20,250 मीट्रिक टन था; और

(ग) यदि हां, तो कोटे को कम करने के क्या कारण थे तथा उस राज्य को उस अनुपात से अब तक कोटा क्यों नहीं दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि शीत कालीन वर्षा न होने के कारण चने के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और चने की अधिशेष उपलब्ध मात्रा, जिसे उपभोगी राज्यों में वितरित करना है, बहुत ही सीमित है।

खाद्यानों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता

5912. श्री बीरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 4 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में प्रति व्यक्ति अनाज का आयात कितना किया गया था; और

(ख) जब यह अनुमान लगाया गया है कि देशी स्रोतों से प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलोग्राम से अधिक अनाज उपलब्ध है, तो सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज भी उपलब्ध न कर सकने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) लगभग 20.83 किलो, 1966 में मध्य-वर्ष अनुमानित जन संख्या पर आधारित।

(ख) सरकार न तो देश में उत्पादित खाद्यानों को सारी मात्रा प्राप्त तथा उसका वितरण करती है और न ही ऐसा करना व्यवहार्य है। सरकारी वितरण में केवल आयातित मात्राएं और विक्रय अधिशेष का थोड़ा सा भाग, जिसे सरकार अधिग्रस्त कर सकती है, होता है। तथापि, जिन व्यक्तियों को खाद्यान दिये जाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, इसलिये सरकारी वितरण के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रति मास 10 किलो खाद्यान्न सुलभ करना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने के मूल्य

5913. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्यों में तुरन्त वृद्धि करने के लिये सरकार से शीघ्र सहायता करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने शीघ्र सहायता की मांग करने के क्या मुख्य कारण बताये हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) गन्ने के क्षेत्रफल में कमी न होने देने, गन्ना उत्पादकों को कुछ प्रोत्साहन देने जिससे कि वे गन्ने सघन खेती करें और राज्य में चीनी कारखानों को गन्ने की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967-68 के मौसम में गन्ने की कीमत बढ़ाने की सिफारिश की है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

Imparting Agricultural Know-How

5914. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to impart agricultural know-how to the agriculturists through films; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasah b Shinde) : (a) There is no special scheme for this. This is a part of the normal functioning of the Farm Information Unit in the Directorate of Extension.

(b) Short instructional films on agriculture and allied subjects are prepared by the Directorate of Extension in cooperation with the Ministry of Information & Broadcasting and are dubbed in most of the important Indian languages. Such films are sent out to all the State Information Units and other information/publicity organisations all over the country for wide screening in rural areas. Whenever exhibitions are arranged for rural areas, special shows of such films are also arranged. This year the Directorate of Extension has produced such short instructional films on cultivation of Taichung Native I, hybrid jowar, hybrid bajra, hybrid maize and Mexican Wheats.

The Farm Information Unit is also maintaining a Film-Library which loans out films on agricultural know-how to various agricultural organisations having facilities of 16 mm projectors, free of cost. These films are screened for the benefit of farmers. Besides, the Agricultural Information Unit in each State Department of Agriculture also produces such short instructional films on agricultural know-how pertaining to the local conditions. Most of the State Agricultural Information Units in the country have taken up or are taking up production of such instructional films for wide screening to the farmers in the rural areas.

Abolition of Land Revenue

5915. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state the names of the States which have decided to abolish land revenue for holdings measuring less than 5 acres ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library SeeNo. LT- 1083/67]

Agricultural University in Maharashtra.

5916. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to set up an Agricultural University in Maharashtra;

(b) if so, the location thereof and when it is likely to be set up; and

(c) when did the Central Government approve the scheme for the said University and the amount to be granted by them for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The establishment of an Agricultural University is a State subject. The Government of Maharashtra contemplates to set up an Agricultural University in their State during the Fourth Five Year Plan period. The State Govt. has drafted a Bill for the establishment of an Agricultural University. The Draft Bill has been examined by the I. C. A. R. and the comments are being communicated to the State Govt.

(b) To the best of our knowledge, the location of the proposed Agricultural University has not yet been decided by the State Government.

(c) As already stated in part (a) of the question, to give approval to the scheme for the establishment of an Agricultural University in Maharashtra State is the prerogative of that State Government.

The Central Government, however, does provide funds in the Central Sector for meeting the developmental expenditure on the Centrally Sponsored portion of the establishment of Agricultural Universities. The magnitude of financial assistance to the Agricultural University, Maharashtra would be decided as per UGC pattern and procedure when a proposal for such assistance is received. In the meantime some provision for foreign exchange for this University has been included in the estimates for IV Plan period in anticipation.

Corrupt Practices in Relief Measures

5917. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Vice-President of the All-India Bharat Sewak Samaj has complained against the corrupt practices adopted by the Central Government employees in the course of relief measures being taken in the drought-affected area of Bihar ;

(b) whether Government have ordered a thorough enquiry into the matter ;
and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shiinde) : (a) No such complaint has been received by the Central Government. Administration of relief operations is the responsibility of the State Government and Central Government employees are not in charge of any of these operations.

(b) and (c) Do not arise.

Elections in Nagaland

5918. Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Shri S. M. Banerjee :
Shri George Fernandes :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naga voters had boycotted the recent elections in Ukhrul, Tamenglang and Teagnoupal Sub-division of Manipur ;

(b) whether some of the polling stations in this area had been fired upon by the Naga rebels ;

(c) whether any re-election has been ordered ; and

(d) if so, the steps taken to ensure peaceful polling in this area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) Information is being collected from the Chief Electoral Officer, Manipur.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Poll was adjourned due to hostile Naga troubles at five polling stations but the adjourned poll was conducted peacefully on the adjourned dates after making adequate security arrangements. The details are given below :

No. & name of polling station.	No. & name of constituency.	Date of poll originally fixed.	Date on which adjourned poll was conducted.
32-Samtal	21-Tengnoupal	15.2.67	24.2.1967
17-Larong Khullen	21-Tengnoupal	28.2.67	6.3.1967
17-Chamu	23-Ukhrul	15.2.67	28.2.1967
1-Kuilong	26-Tamei	20.2.67	4.3.1967
21-Lamdengmei	27-Tamenglong	20 2.67	4.3.1967

Animal Husbandry

5919. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

- whether it is a fact that Government have sent sometime ago certain Officers to U. S. A. for special training in Animal Husbandry for six months;
- if so, the expenditure incurred on them ; and
- the names of the Animal Husbandry centres in the country in which these Officers have been appointed after training ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) During 1966 and 1967, 16 officers belonging to different State Govts., were deputed to USA, for six months training, in Animal Husbandry subjects.

(b) As regards 9 persons deputed before 1. 4. 66, the sponsoring States met the entire local cost (inclusive of internal travel, salary, allowances etc). All other expenditure abroad including the international travel cost was met by the US Government.

Regarding 7 persons deputed after 1. 4. 66, and onwards, the sponsoring States had also to meet their international travel cost in addition to the above-mentioned local costs. The U. S. Govt. met their expenditure abroad. The exact amount of expenditure incurred on these deputations will be laid on the table of the House in due course.

(c) Since these appointments relate to State Govts., the information will be laid on the Table of the House after collecting it from them.

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम

5920. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ! और

(ग) इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी हां। 50000 से 60000 कुल टन भार के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत तीसरी योजना काल में लगभग 133000 कुल टन भार उत्पादन हुआ।

(ख) आयात किये गये सामान तथा जहाजों के आर्डरों के देर से प्राप्त होने, इस्तपात और इन्वेंट्रीज की कमी और विकास कार्यक्रम के एक भाग के कार्यान्वित न किये जाने के कारण लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई।

(ग) इस यार्ड की जहाज निर्माण क्षमता को कुल मिलाकर 50000 कुल टनभार वार्षिक क्षमता तक बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। इन उपायों में ये बातें शामिल हैं— शिपयार्ड के विकास कार्यक्रम के लिये एक विशिष्ट विकास अधिकारी की नियुक्ति हल दुकानों और लुहार दूकानों में उत्पादन नियंत्रण उपाय लागू करना, हल दूकानों में धरा उठाई की सुविधाओं में और घाटों पर क्रेनों की सुविधा में सुधार और यूगोस्लाविया और पोलैंड की फर्मों के मशीनें और पुर्जे सप्लाई करने का प्रबंध।

Airport Between Guntur And Vijayawada

5921. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 75 on the 28th March, 1967 and state :

(a) whether Government have finally decided to locate an airport between Guntur and Vijayawada ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b) The matter is still under examination.

Fourth General Elections

5922. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Law be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 59 on the 28th March, 1967 and state :

(a) whether Government have since collected information regarding votes secured by each of the recognised parties for the Lok Sabha seats during the Fourth General Elections ; and

(b) if so, the full details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) The compilation of the final figures of votes polled and the verification thereof has not yet been completed by the Election Commission.

केरल के कोवालम में पर्यटक होटल

5923. श्री दत्तात्रय कुन्टे :

श्री ह० प० चटर्जी :

श्री स० च० सामान्त :

श्री यशपाल सिंह :

श्री उमानाथ :

श्री अनिरुद्धन :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री विश्वनाथ मेनन :

श्री अब्राहम :

श्री एस्थोस :

क्या पर्यटन तथा अर्सेनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिवेन्द्रम से आठ मील की दूरी पर कोवालम में पर्यटकों के लिये एक बड़ा होटल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये कितनी भूमि अर्जित की जा रही है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हो जायेंगे और उनको कितना प्रतिकर दिया जायेगा ;

(घ) क्या कोवालम को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय किया जायेगा?

पर्यटन तथा अर्सेनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कोवालम के समेकित विकास की योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जिन में एक होटल का निर्माण भी सम्मिलित है, राज्य सरकार के द्वारा कोवालम से लगभग 20 एकड़ और 20 830 सैट (8 हैक्टेअर और 17.80 एकड़) भूमि अभिग्रहण करने का प्रस्ताव है ।

(ग) 17 परिवार विस्थापित होंगे । उनके पुनर्वास के लिये राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि के पड़ोस में ही लगभग एक एकड़ भूमि अभिग्रहण करने का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा कुछ सांझी सुविधाओं की व्यवस्था के अलावा, प्रत्येक परिवार के लिये 5 सैट भूमि का नियतन संभव हो सकेगा । भूमि के अभिग्रहण का 23 और परिवारों पर भी प्रभाव पड़ेगा । क्योंकि वे बसे हुए स्वयं भूस्वामी, लघु-व्यवसायी व्यापारी, इत्यादि लोग हैं, राज्य सरकार का विचार है कि उनसे अभिगृहीत भूमि की कीमत अदा करने के अलावा उनके लिये अन्य कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) और (ङ) जी, हां । प्रस्तावित व्यय 103.50 लाख रुपये है, जिनमें से केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 95 लाख रुपये का है ।

Poultry Farm in Delhi

5924. Shri Jagannath Rao Joshi :
 Shri Hukam Chand Kachwai :
 Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that it has been decided to set up a poultry farm in a 30-acre area in Ujwan in Najafgarh Block in Delhi ; and
 (b) if so, who has been entrusted with this job and the estimated expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) The Poultry Cooperative Society under the name of "Poultry Cooperative Estate Limited Ujwa" has been entrusted with the job by the Delhi Administration. The estimated overall expenditure on the scheme is Rs. 9.6 lakhs. The Society will get about Rs. 6,4,500 worth of equipment from UNICEF free of cost.

Relief Work in Drought-Stricken Areas in Bihar

5925. Shri Sidheshwar Prasad :
 Shri S. R. Damani ,

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

- (a) whether an evaluation has been made of the relief work done in the drought-stricken areas of Bihar ;
 (b) if so, the broad features thereof ; and
 (c) the steps taken by the Centre to accelerate the relief work ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) Organisation of relief work in the drought affected areas of Bihar is the responsibility of the State Government, but the relief programmes and their adequacy or otherwise have been constantly under review both by the State and the Central Governments. The relief measures are also reviewed periodically by the Joint Emergency Committee for Bihar which functions under the Chairmanship of the Union Minister for Food and Agriculture and has the Chief Minister of Bihar as a Member apart from other representatives of the State and Central Governments. These reviews have helped in speedy and efficient implementation of the relief programmes.

The details of assistance given by the Central Government to Bihar for drought relief have been mentioned in the "Review of the Food and Scarcity Situation in India: July, 1967" laid on the Table of the Sabha on 10th July, 1967.

नई दिल्ली में मत पत्रों का गुम होना

5926. श्री राम सिंह अयरवाल :
 श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आम चुनावों में नई दिल्ली के एक मतदान केन्द्र में एक हजार मत पत्र गुम पाए गए थे, जिसके कारण वहां पर मतदान एक घंटे बाद आरंभ हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो गुम हुए मत पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चन्हाण) : (क) और (ख) लक्ष्मीबाई नगर के एक मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर ने, वहां जाते हुए रास्ते में, मतपत्रों का वह पैकेट खो दिया था जो कि उसे दिया गया था ! उसने उसके खो जाने की रिपोर्ट तुरन्त रिटर्निंग आफिसर को कर दी थी जिसने कि उसे मतपत्रों का एक अन्य सेट जारी करा दिया था । इस आकस्मिक हानि के कारण, इस मतदान केन्द्र पर मतदान आधा घण्टा देर से आरम्भ हुआ । इस हानि की रिपोर्ट पुलिस को तुरन्त कर दी गई थी और पुलिस ने पैकेट को ढूँढने के लिए प्रयत्न किए किन्तु सफलता नहीं हुई । चूंकि खोए हुए मतपत्रों के क्रम संख्यांक नोट किए गए थे और वे डाले गए मतपत्रों के बीच नहीं मिले, अतः आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

अनुपयोगी ट्रैक्टर

5927. श्री रा० बरुआ :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री चं० चु० देसाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में आयातित ट्रैक्टरों में से कितने ट्रैक्टर बेकार हो गये और बेकार पड़े हैं और उनकी मरम्मत न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या कुछ विदेशों ने भारत को ट्रैक्टर निर्यात करने का हाल में कोई प्रस्ताव रखा है और यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 में जिन ट्रैक्टरों का आयात किया गया था उनमें से कोई ट्रैक्टर नाकारा या बेकार नहीं पड़ा है । इस विषय में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) रूस, चेकोस्लोवेकिया तथा रूमानिया ने कृषि हेतु ट्रैक्टरों का संभरण करने की पेशकश की हैं । इस वर्ष के शुरू में राष्ट्रीय व्यापार निगम तथा रूसी विनिर्माताओं के बीच 4000 डीटी-14 बी ट्रैक्टरों के आयात के करार पर हस्ताक्षर हुए हैं । राष्ट्रीय व्यापार निगम ने हाल ही में चेकोस्लोवेकिया के विनिर्माताओं के साथ 2000 जूटर् 2011 ट्रैक्टरों के आयात के करार पर हस्ताक्षर किये हैं । रूमानिया से ट्रैक्टरों का आयात न करने का निर्णय किया है । रूस व चेकोस्लोवेकिया से और ट्रैक्टरों के आयात का प्रश्न विचाराधीन है ।

गेहूँ, जौ तथा चने की वसूली

5928. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों से अनिवार्य वसूली योजना के अन्तर्गत कुल कितना गेहूँ, जौ तथा चना वसूल किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस उद्देश्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है; और

(ग) क्या वसूल किये गये गेहूँ, जौ तथा चने से राज्य में खाद्यान्न की कमी को पूरा कर लिया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) अनिवार्य अधिप्राप्ति योजना के अधीन 1,97,454 मीटरी टन गेहूँ जौ, चना और अन्य रबी खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति किया गया है।

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है।

(ग) राज्य में कमी की स्थिति का मुकाबला करने में इससे कुछ हद तक सहायता मिली है।

सामुदायिक विकास खण्ड

5929. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में सामुदायिक विकास खण्डों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) वर्ष 1967-68 में इस कार्य के हेतु इस राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश सरकार को सामुदायिक विकास खण्ड कार्यक्रमों के लिए 618 लाख रुपये के अनुमोदित परिव्यय में से केन्द्रीय भाग के 421.41 लाख रुपये (268.94 लाख रुपये अनुदान तथा 152.47 लाख रुपये ऋण के रूप में) दिए गए थे।

(ख) योजना आयोग ने राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1967-68 में उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 313 लाख रुपये का परिव्यय, जिसमें केन्द्र तथा राज्य दोनों के भाग शामिल हैं, प्रस्तावित किया है।

1966-67 में भारत का सर्वोत्तम ग्राम

5930. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री हीरजी भाई :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री ख० प्रधानी :

श्री धुलेश्वर मोना :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में भारत के सर्वोत्तम ग्राम के बारे में निर्णय करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिद्वन्द्विता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो सर्वोत्तम ग्राम का नाम क्या है तथा वह कहाँ पर स्थित है ; और

(ग) इस प्रकार चुने गए सर्वोत्तम ग्राम की विशेष बातें क्या हैं और उसको क्या पुरस्कार दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एम० गुरुपदस्वामी) : (क) वर्ष 1966-67 में भारत के सर्वोत्तम ग्राम के बारे में निर्णय सम्भवतः अक्टूबर, 1967 के पश्चात् किसी समय किया जाएगा। उस समय तक राज्य स्तरों के मूल्यांकन के परिणामों के उपलब्ध हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Airport at Barhanpur

5931. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a survey for an airport at Barhanpur City in East Nimar District (Madhya Pradesh) was made some years ago ; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No such survey has been undertaken by the Civil Aviation Department of the Government of India at any time.

(b) Does not arise.

Campaign Against Taxi Drivers

5932. Shri Molahu Prasad :

Shri Maharaj Singh Bharati :

Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that a vigorous campaign was launched by the Delhi Police against the Taxi and Scooter Drivers with effect from the 27th April, 1967 ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) whether the meters of taxis and scooters were also checked during this campaign ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes. The special drive was conducted for three days.

(b) and (c) : The result is indicated below:-

Nature of offence	No. of cases detected	
	Taxis	Scooters
(i) Refusal to carry passengers	1	43
(ii) Excessive charging	-	10
(iii) Defective meters	5	7
(iv) Reckless and dangerous driving	-	1

Out of the above mentioned 67 cases 38 were tried on the spot and a sum of Rs. 695/- was realised as fine. The remaining cases were sent to the regular courts for trial.

मनीपुर में भूमि का दिया जाना

5933. श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मनीपुर के लैमकेलपट टाउनशिप में किन-किन तथा कितने व्यक्तियों को भूमि दी गई है ;

(ख) क्या गत वर्ष तथा उससे पहले लैमकेलपट में 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि जोती गई थी ;

(ग) क्या इस भूमि की अब सरकारी काम के लिये तुरन्त आवश्यकता है और इसे चालू वर्ष में नहीं जोता जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो भारी खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए इस भूमि के वार्षिक पट्टे के आधार पर न जोते जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ता-साहिब शिन्दे) : विवरण

(क) पिछले पांच वर्षों में कृषि प्रयोजन के लिये लम्फलपेट, मनीपुर में किसी व्यक्ति को कोई भूमि नहीं दी गई थी । तथापि, पश्चिमी सीमा पर टट्ट, प्रजनन के लिये 7.35 एकड़ भूमि दी गई थी और पूर्वी सीमा पर 14 व्यक्तियों को 11 एकड़ भूमि रहने के लिये दी गई थी ।

(ख) 1966-67 के दौरान और इससे पहले अस्थायी रूप से 327 व्यक्तियों द्वारा लगभग 768 एकड़ भूमि में खेती की गई थी ।

(ग) सरकारी निर्माण के लिये सारे क्षेत्र की तुरन्त आवश्यकता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप मणीपुर प्रशासन, कृषि विभाग के द्वारा कृषि प्रयोजन के लिये इस भूमि का अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

मनीपुर में लगान

5934. श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में 1 जनवरी, 1967 से लगान की दरें शत प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं;

(ख) बढ़ी हुई दरों से अब तक कितना लगान वसूल किया गया है ;

(ग) क्या इस कार्यवाही के प्रति मनीपुर के लोगों के विरोधी रुख को देखते हुए सरकार का विचार बढ़ी हुई दरों से लगान वसूल करना बन्द करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) फ्लैट रेट के बदले एक विकसित पद्धति लागू करने के लिए भू-राजस्व की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है। केवल प्रथम श्रेणी की कृषि भूमि के लिए दरों में शत प्रतिशत वृद्धि की गई है। 1 जनवरी, 1966 से घाटी के 4 उप प्रभागों में दरों में वृद्धि की गई है।

(ख) बढ़े दरों पर उपरोक्त 4 उप प्रभागों से 1 जनवरी 1967 से 30 जून 1967 तक लगभग 2,21,000 रुपए इकट्ठे किये गये हैं।

(ग) और (घ) संशोधित दरों को निर्धारित करते समय भूमि की विभिन्न किस्मों को दृष्टिगत रखा गया है, अतः लगान की वसूल को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं होता।

मध्य प्रदेश की चीनी की आवश्यकता

5935. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की चीनी की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) मध्य प्रदेश में चीनी के कितने कारखाने हैं ;

(ग) 1966-67 सीजन में वे कारखाने कितने समय तक चले तथा उनमें चीनी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) आमामी सीजन में उपरोक्त कारखानों के कितने समय तक चलने की सम्भावना है तथा उनमें चीनी का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अम्ना-साहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने चीनी का वार्षिक आवश्यकता नहीं बताई है। इस समय मध्य प्रदेश का चीनी का मासिक कोटा 9,192 मीट्रिक टन है जो मई 1967 से दिया जा रहा है।

(ख) और (ग)

कारखाने का नाम

प्रति दिन 22 घंटे

काम के आधार

पर 1966-67 में

जितनी अवधि तक

चालू रहे

(दिवस)

चीनी का

उत्पादन

(मीट्रिक

टन)

-

1 मैसर्स दि ग्वालियर शुगर
कम्पनी लिमिटेड, पी०
ओ० डाबरा जिला ग्वालियर

35

2058

2 मैसर्स दि भोपाल शुगर
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेहोर,
जिला सेहोर

30

1851

3 मैसर्स जाओरा शुगर मिल्स
प्राइवेट लिमिटेड, पी०
ओ० जाओरा, जिला
रतलाम

25

1926

4 मैसर्स सेठ गोविन्दराम
शुगर मिल्स, पी० ओ०
महीदपुर रोड, जिला
उज्जैन

चालू नहीं रहा

5 मैसर्स दि जीवाजी राव
शुगर कम्पनी लिमिटेड,
पी० ओ० दालौदा, जिला
महसौर

34

1679

(घ) 1967-68 में इन मिलों की कार्यावधि तथा चीनी उत्पादन के आंकड़े देना अभी संभव नहीं है।

गृह-निर्माण के लिए वन भूमि

5936. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री राम सिंह अग्रवाल :

श्री ब्रह्मानन्दजी

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरयाना और हिमाचल प्रदेश में पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1966 : अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुछ व्यक्तियों को गृह-निर्माण के लिये शामलात अथवा वन भूमि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में 1966 के अन्त तक तथा 1967 के पहले छः महीने में कितने व्यक्तियों को भूमि दी गई है ; और किस वर्ग के लोगों को यह भूमि दी गई है ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाओं को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्में

5937. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

श्री गा० शं० मिश्र

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का की किन-किन और कितनी-कितनी क्षमता की अधिक उपज देने वाली किस्मों का देश में विकास किया गया है ;

(ख) उनका प्रचार किन किन राज्यों में किया जा रहा है ;

(ग) क्या इन किस्मों के अनाजों के बीजों का तवीकरण करना पड़ता है और यदि हां, तो कितने वर्षों के बाद ; और

(घ) कौन-कौन से राज्य उपरोक्त किस्मों के बीजों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का की अधिक उपज देने वाली विकसित तथा सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमिटी द्वारा अनुमोदित किस्मों के नाम निम्नलिखित हैं ।

परीक्षणों के दौरान अधिकतम उपज के बारे में भी प्रत्येक किस्म के सामने लिखा गया है:—

किस्म का नाम	अधिक उपज—कि०ग्राम/हेक्०
1. गेहूं	
शर्बती सोनोरा	5597
2. ज्वार हाईब्रिड	
सीएसएच 1	5500
सीएसएच 2	3895
3. बाजरा हाईब्रिड	
एचबी 1	6700
एचबी 1	5262
4. मक्का हाईब्रिड	
गंगा 101	6020
गंगा 3	7080
गंगा सेफड 2	7420
डेकन	4375
रंजीत	6440
ही-स्टार्च	6200
हिमालय 123	7030

हाल ही में सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमिटी ने खेती के लिए किसान, विक्रम, सोना, विजय, जवाहर तथा अम्बर नामक 6 कम्पोजिट मक्का किस्मों को भी अनुमोदित कर दिया है। इन कम्पोजिट किस्मों की उपज पहले भेजी गई मक्का संकर किस्मों की उपज के बराबर है।

(ख) से (ग) सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमिटी द्वारा सिफारिश किए गए निम्नलिखित क्षेत्रों में इन अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रचार किया जा रहा है:—

किस्म का नाम

स्वीकृत क्षेत्र

गेहूं

शर्बती सोनोरा

ईस्टर्न यू० पी०, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात।

ज्वार हाईब्रिड सीएचएस 1	आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यू० पी० और उड़ीसा सिंचित समर ट्रैक्ट्स आफ मद्रास और आन्ध्र प्रदेश
सीएचएस 2	उन राज्यों में जहाँ अल्प तथा मध्यम-कालीन खरीफ ट्रैक्ट्स के सीएचएस की सिफारिश की गई ।
बाजरा हाईब्रिड एचबी 1	पंजाब, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा मैसूर
एचबी 2 मक्का हाईब्रिड	गुजरात राज्य के क्षेत्र
गंगा 101	पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल उत्तरी प्लेन्ज
गंगा 3	राजस्थान, यू०पी०, पंजाब, बिहार, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश
गंगा सेफड 2	सफेद मक्का के क्षेत्र राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यू० पी०, पश्चिम बंगाल
डेकन	आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात
रंजीत	राजस्थान, गुजरात, उत्तरीय महाराष्ट्र
हि-स्टार्च	भारत में समस्त कक्का उगाने वाले क्षेत्र
हिमालय 123	2500 फूट से 5000 फूट तक हिमालयन हिल क्षेत्र

मक्का से सम्बन्धित

किसान तथा विक्रम :

सोना, विजय तथा जवाहर :

किसान तथा जवाहर :

हरियाना, राजस्थान तथा गुजरात

पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश

ईसटर्न यू० पी०, बिहार तथा

पश्चिम बंगाल

ग्रम्बर तथा जवाहर :

मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश,

तथा महाराष्ट्र

ग्रम्बर

हिमालयन क्षेत्र

संकर जाति के बीजों को हर साल फिर से नया किया जाता है जबकि गेहूँ की सैल्ड-पोलीनेटिड फसल को तीन से पांच वर्षों में केवल एक बार नया किया जाता है। यदि स्थानीय मक्का से कम्पोजिट मक्का की बीज फसल अच्छी होती है तो बीजों को किसानों द्वारा नया कराने की आवश्यकता नहीं।

उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को बीज की सप्लाई

5938. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखाग्रस्त उत्तर प्रदेश राज्य को खरीफ की बुवाई के लिए धान के कुल कितने बीज दिये गये हैं ; और

(ख) क्या दोनों राज्यों की बीज की मांग पूरी कर दी गयी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने 2000 क्विन्टल ताईचुंग नेटिव 1 तथा 200 क्विन्टल आईआर-8 धान के बीजों की सप्लाई के लिए प्रार्थना की है। इस मांग की तुलना में राष्ट्रीय बीज निगम ने 1950 क्विन्टल ताईचुंग नेटिव 1 तथा 1984 क्विन्टल आईआर-8 धान का बीज राज्य सरकार को सप्लाई किया है। राज्य के कृषि विभाग ने अपने भण्डारों के माध्यम से कृषकों को देने के लिए 57,800 क्विन्टल बीज स्थानीय तौर पर क्रय किया है। आशा है कि उपरोक्त मात्राओं से तथा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उपलब्ध किये गये 70,000 क्विन्टल बीज से राज्य के सहकारी विभाग की मांग पूरी हो जायेगी।

भाड़े में वृद्धि के बारे में सम्मेलन

5939. श्री मं० रं० कृष्ण :

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाड़े में वृद्धि पर विचार करने के लिये अमरीका में होने वाले सम्मेलन में भारतीय नौवहन निगम के प्रतिनिधि भाग लेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

ट्रैक्टरों का आयात

5940. श्री मं० रं० कृष्ण :

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

श्री अजमल खां :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 20 अश्व शक्ति के दो हजार ट्रैक्टर खरीदने के लिये विदेशों से करार किया है ;

(ख) देश में ट्रैक्टरों की कुल मांग कितना है : और

(ग) देश में ट्रैक्टर बनाने वाले वर्तमान कारखानों में ट्रैक्टरों का कुल उत्पादन कितना होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 20 अश्व शक्ति के 2000 ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिए जैक फर्म के साथ राज्य व्यापार निगम द्वारा करार किया गया है ।

(ख) : अनुमान है कि 1967-68 के दौरान 25,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी ।

(ग) सम्भावना है कि 1967-68 के दौरान देश में लगभग 13,000 ट्रैक्टर तैयार किए जायेंगे ।

Boring Machines in M. P.

5941. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the number of boring machines supplied by the Centre to Madhya Pradesh last year :

(b) if the reply to part (a) be in the negative the reasons therefor ; and

(c) the acreage of land irrigated as a result of the boring machines supplied, if any ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The Government of India does not supply boring machines to State Governments. Arrangements are, however, made for the release of foreign exchange for import of boring machines on the basis of the demands made by various State Governments. In the case of Madhya Pradesh, no such request was made by the State Government last year for import of boring machines or for help in indigenous procurement.

(c) Does not arise.

भारत में कुएं खोदने के लिए जापानी 'रिंग्स'

5942. श्री बाल्मीकी चौधरी :

श्री शिव चण्डिका प्रसाद :

श्री सीताराम केसरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुओं की खुदाई के लिए जापान से दान के रूप में अब तक कितने 'रिंग' प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से कितने 'रिंग' बिहार को दिए गए हैं ;

(ग) क्या उनको वास्तव में लगा दिया गया है ; और

(घ) यदि, नहीं तो उनको किन-किन स्थानों पर लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य . कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जापान से दान के रूप में कोई रिंग भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुए है ?

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Bridge Over Narmada at Khalghat

5943. Shri Bharat Singh Chauhan :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri S. S. Kothari :

Shri Sri Chand Goel :

Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether a bridge over the river Narmada at village Khalghat to connect the National Highway is proposed to be constructed during the Fourth Plan ;

(b) whether it is a fact that the existing bridge remains closed to traffic for many days during the rainy season ;

(c) whether it is also a fact that according to the expert opinion the bridge has outlived its normal span of life ; and

(d) if so, the reasons for not starting construction of a new bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)

(a) The proposal to construct a high level bridge has been included in the draft Fourth Five Year Plan for the development of National Highways. The question whether the construction work on the bridge will be started during the current plan period or not will depend on the amount of funds allocated for the development of National Highways during the plan period.

(b) Yes.

(c) It is not a fact that the bridge has outlived its normal span of life, although it is a fact that the bridge is not wide and strong enough for modern heavy traffic.

(d) It has not been possible to take up the construction of a new bridge because of the inadequacy of the funds available.

Class III Posts in the Ministry of Food and Agriculture

5944. Shri Y. S. Kushwah : Shri S. S. Kothari :
 Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Shiv Kumar Shastri :
 Shri Nihal Singh : Shri Jagannath Rao Joshi :
 Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Hardayal Devgun :
 Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that inspite of many class III permanent posts sanctioned by the Ministry of Home Affairs for the original Food and Agriculture Departments being available, the temporary posts have not been converted into permanent posts ?

(b) if so, the reasons for not making use of the available posts in time ; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the negative, the reasons for not implementing the rules and giving promotion ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No Sir, all the temporary class III posts due for conversion into permanent posts at end of 1966 have been converted into permanent ones.

(b) and (c) Do not arise.

Nehru Memorial at Sahasradhara (Dehradun)

5945. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state ;

(a) whether the Akhil Bhartiya Manav Sewa Sangh has approached the Government for erecting a Nehru Memorial at Sahasradhara near Dehradun; and

(b) if so, the details in this regard and the Government's reaction thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) A Scheme for erecting a Nehru Memorial at Sahasradhara was received from the Prime Minister's Secretariat in December, 1965. The scheme prepared by the Akhil Bhartiya Manav Sewa Sangh included the erection of a statue of the Late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru, construction of a gate in the Dak Bungalow to be named Nehru Gate, construction of

reservoirs and baths near sulphur springs, development of a children's park to be named Nehru Bal-Udyan, construction of a double storeyed building to contain a library, an Assembly Hall and residential quarters, etc. Amongst the various proposals made, the Department of Tourism would primarily be concerned with the construction of reservoirs and baths near the Sahasradhara spring and accommodation facilities for developing the place as a spa. A provision of Rs. 1 lakh has therefore been made in the Fourth Five Year Plan on Tourism for under taking a preparatory survey.

कोचीन पत्तन कर्मचारी संघ

5946. श्री वासुदेवन नायर :	श्री अदिचन :
श्री यशपाल सिंह :	श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :	श्री नायनार :
श्री जनार्दनन	

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन बन्दरगाह के अधिकारियों ने कोचीन बन्दरगाह कर्मचारी संघ को जून, 1967 के पहले सप्ताह में विलिंगडन द्वीप में बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी थी ;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण थे, और

(ग) क्या यह भी सच है कि उस बन्दरगाह के सभी कर्मचारी संघों को उस बन्दरगाह में अपनी बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी जा रही थी ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) और (ख) : कोचीन पत्तन कर्मचारी संघ ने 6 जून, 1967 को वर्कशाप मैदान में अपने सदस्यों की मीटिंग करने के लिये पोर्ट ट्रस्ट की आज्ञा मांगी थी। संघ ने अपनी मीटिंग 8 जून के लिए स्थगित कर दी थी। बाद में संघ ने पोर्ट ट्रस्ट को लिखा कि वह संघ सदस्यों की मीटिंग 20 जून को एक अन्य स्थान पर अधिकार के रूप में करेगा जहां मीटिंग करने की आज्ञा नहीं है। पोर्ट ट्रस्ट 20 जून तक अपना निर्णय नहीं भेज सका किन्तु संघ ने बगैर अनुज्ञा प्राप्त किये मीटिंग करली।

(ग) पोर्ट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि संघ कर्मचारियों को विशिष्ट समय में होने वाली स्थानीय दशाओं पर निर्भर करते हुए वर्कशाप क्षेत्र में मीटिंग करने की अनुज्ञा सामान्यतौर पर दे दी जाती है।

भारत के खाद्य निगम को काम का हस्तान्तरण

5947. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खाद्य निगम को काम के हस्तान्तरण के फलस्वरूप गत एक वर्ष में कितने अनुभागों को समाप्त किया गया है तथा कितने व्यक्ति फालतू हो गए हैं ;

(ख) क्या खाद्य निगम उसको धीरे धीरे हस्तान्तरण से फालतू हुए लिपिकों तथा सहायकों को ले लेने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इन व्यक्तियों को गृह कार्य मंत्रालय के 'केन्द्रीय पूल' में न भेजा जाये तथा इनको निःसंवर्ग कर्मचारियों के समान समझा जाए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम को कार्य हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप गत एक वर्ष में विभाग में एक अनुभाग बन्द किया गया है। कुल मिलाकर 13 कर्मचारी फालतू हुए। फालतू हुए व्यक्तियों को विभाग में ही अन्य रिक्त स्थानों पर खपा लिया गया है।

(ख) और (ग) : खाद्य विभाग में काम कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिपिकों एवं सहायकों जो कि फालतू हो सकते हैं, को खपाने के प्रश्न पर भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से विचार हो रहा है।

पश्चिम बंगाल तथा बिहार को उड़ीसा से धान की सप्लाई

5948. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल तथा बिहार को कितना धान तथा धान के बीज सप्लाई किये थे ; और

(ख) उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चावल तथा धान के वसूली मूल्यों में कितना अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अप्रैल से जून, 1967 की अवधि में उड़ीसा से बिहार को बीज के लिए 7752 मीट्रिक टन धान भेजा गया। पश्चिमी बंगाल को धान भेजने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं था, हालांकि पश्चिमी बंगाल को उड़ीसा से चावल भेजा जा रहा है।

(ख) किस्म के अनुसार धान के प्राप्ति मूल्य पश्चिमी बंगाल में 56.25 रुपये से 61.60 रुपये प्रति क्विंटल हैं जबकि उड़ीसा में धान के मूल्य 41.00 रुपये से 49.00 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में चावल के प्राप्ति मूल्य 93.75 रुपये से 101.80 रुपये तक हैं जब कि उड़ीसा में वे 74.15 रुपये से 87.24 रुपये तक हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी

5949. श्री वासुदेवन नायर :

श्री जनार्दनन :

श्री यशपाल सिंह :

श्री अदिचन ।

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कोचीन में भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां तो कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

निर्वाचन आयोग में पद

5950. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1967 में निर्वाचन आयोग में भर्ती के नियम बनाये बिना कुछ पदों को बनाया गया तथा उन पर नियुक्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन पदों की संख्या, पदनाम, वेतनमान और अवधि क्या है तथा उसके कारण क्या थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि सुपरिन्टेन्डेंट (विधि) के पद के लिए भर्ती नियम बना लिए गए हैं तथा इस पद के लिए स्टेनोग्राफी की अच्छी जानकारी की अर्हता को अनिवार्य रखा गया है जबकि विधि मंत्रालय द्वारा ऐसे पदों के लिए यह अर्हता निर्धारित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निर्वाचन आयोग में ऐसी अर्हता वाले कितने व्यक्ति हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां । अधीक्षक (विधिक) का एक पद 620-30-830 रु० के वेतनमान में निर्वाचन आयोग में बनाया गया और उसे 5-1-1967 से भरा गया । पद की मंजूरी 29-2-1968 तक है । ऐसे मामलों में जैसा कि प्रायः होता है, पद पहले बना लिया गया और भर्ती नियमों की विरचना की कार्यवाही साथ ही कर ली गई । पद को, भर्ती नियमों के विरचित होने तक जिनको अब अधिसूचित किया जा चुका है, भर लिया गया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) अधीक्षक (विधिक) का काम, अन्य विधिक कार्य के अतिरिक्त, निरर्हता के मामलों में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करता है, जिनके बारे में कि संविधान और निर्वाचन विधि द्वारा उसमें न्यायिक शक्तियां निहित की गई हैं । इन मामलों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम है । इस प्रकार मामलों का विनिश्चय, अभिलेखों में से साक्ष्य और तर्कों के ग्रहण किए जाने के समय पक्षकारों की नियमित सुनवाई करके, यथावत् रूप से न्यायिक आधार पर किया जाता है । अधीक्षक (विधिक) से यह अपेक्षित होता है कि वह

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, इन सुनवाईयों में टिप्पण लेकर, अभिलेखों में से साक्ष्य छांटकर और अपने आदेश अभिलिखित करने के लिए उसे उचित निर्देश का प्रदाय करके ऐसे मामलों में सहायता पहुंचाएँ। अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए यह अति आवश्यक है कि इस पद का धारक स्टेनोग्राफी का पर्याप्त ज्ञान रखता हो और निर्वाचन विधि की उसे जानकारी हो। इस प्रकार, इस आयोग के कार्यालय में अधीक्षक (विधिक) का पद, विधि मंत्रालय के विधायी विभाग में अधीक्षक के पद से इस बात में भिन्न है। जब यह पद बनाया और भरा गया था, उस समय इस कार्यालय में स्टेनोग्राफी का अच्छा ज्ञान रखने वाले चार व्यक्ति थे, जिनमें से दो के पास विधि की डिग्री थी।

पशुपालन का विकास

5951. श्री क० लक्ष्मण :

श्री हुचे गौड़ा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) ये योजनायें कहां तक सफल रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिव शिन्दे) : (क) जानकारी का विवरण समा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1084/67]

(ख) देश में पशुपालन सम्बन्धी योजनायें सफल हुई हैं। विवरण 2 में दी गई योजनाओं की प्रगति से यह देखा जा सकता है।

परती भूमि को खेती योग्य बनाना

5952. श्री सेक्वीरा :

श्री संजी रूपजी :

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में जितनी परती भूमि में खेती की गई उसका क्षेत्रफल क्या है; और

(ख) पहले जितनी भूमि में खेती होती थी उसका यह कितने प्रतिशत है तथा योजना के अन्तिम वर्ष में हुए कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन की प्रतिशतता की तुलना में इस प्रकार खेती योग्य बनाई गई भूमि में उसी अवधि में कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जिस बंजर भूमि पर खेती की गई उसका कुल क्षेत्र इस प्रकार है :—

प्रथम योजना	—	28 लाख एकड़
द्वितीय योजना	—	23 लाख एकड़
तृतीय योजना	—	47 लाख एकड़

(ख)

लाख एकड़ों में

सकल खेती क्षेत्र		खेती योग्य बनाया गया क्षेत्र
प्रथम योजना	3640.2	28
द्वितीय योजना	3773.8	23
तृतीय योजना	3902.8	47

(अस्थायी 1964-65)

प्रत्येक योजना में पहले के कृषि क्षेत्र के साथ खेती योग्य बनाये गये क्षेत्र की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

योजना	खेती योग्य बनाये गये क्षेत्र को छोड़ कर सकल कृषि क्षेत्र (लाख एकड़ों में)	खेती योग्य बनाया गया क्षेत्र	स्तम्भ 2 की स्तम्भ 3 के साथ प्रतिशतता
1	2	3	4
प्रथम	3612.2	28	0.7
द्वितीय	3750.8	23	0.6
तृतीय	3855.8	47	1.2

भूमि को कृषि जन्य बनाने के उपायों के परिणाम स्वरूप हुए अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े अलग से इकट्ठे नहीं किये जाते हैं। फिर भी मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त एकड़ भूमि में लगभग $\frac{1}{3}$ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा होता है।

उत्तर अन्दमान के वनों का पट्टा

5953. श्री मधु लिमये :

श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री अ० सि० सहगल :

श्री म० अमरसे :

श्री गणेश :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर अन्दमान वनों के पदाधारी मेसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (आई) लिमिटेड तथा सरकार के विवाद में मध्यस्थों ने अपना पंचाट दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो पंचाट की मुख्य मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार पट्टे को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो भविष्य में फर्म द्वारा पट्टे के ठेके का उचित पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस भगड़े के सम्बन्ध में इस समय तीन मामले हैं जिन्हें मध्यस्थों को सौंपा गया है। मध्यस्थों ने केवल एक केस में ही अपना पंचाट दिया है।

(ख) से (घ) पंचाट कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। इसलिए मामला न्यायाधीश के हाथ में है।

अखिल भारतीय विधि शब्दावली

5954. श्री सम्बन्धन :

श्री अम्बाजागन :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय विधि शब्दावली की तुलना में संघ राजभाषा (विधायी) आयोग ने अब तक कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या शब्दावली में दक्षिण भाषाओं से भी शब्द सम्मिलित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिण की प्रत्येक भाषा से कितने प्रतिशत शब्द लिए गए हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग ने, यावत्सम्भव सभी राजभाषाओं में प्रयोग में लाए जाने के लिए, 2600 मानक विधि-शब्द बनाए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 2600 शब्दों में से, उन शब्दों की जो दक्षिण की भाषाओं में से हर एक में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रतिशतता लगभग निम्नलिखित हैं :-

तामिल	-	14 प्रतिशत
मलयालम	-	27 „
कन्नड	-	31 „
तेलुगु	-	40 „

खाद्य सम्बन्धी आवश्यकता

5957. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान जनसंख्या को खिलाने के लिये प्रति वर्ष कितने टन चावल तथा गेहूँ की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है;

(ख) हम प्रति वर्ष कितना टन अनाज चावल तथा गेहूँ पैदा करते हैं; और

(ग) हम प्रति वर्ष कितने टन तथा कितने मूल्य का अनाज-चावल तथा गेहूँ आयात करते हैं और किन किन देशों से करते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत में खाद्यान्नों की खपत पर अब तक कोई वैज्ञानिक एवं व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। खाद्यान्नों तथा अन्य वैकल्पिक खाद्यान्नों की उपलब्धि, उनके तुलनात्मक मूल्य, आय-स्तर आदि पर निर्भर करते हुये खाद्यान्नों की आवश्यकता की कुछ हद तक लचीली है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या को खिलाने के लिये ठीक ठीक कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) गेहूँ और चावल का उत्पादन प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न होता है। भारत में गत तीन वर्षों में चावल और गेहूँ का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :

फसल वर्ष	(लाख मीटरी टन में)	
	चावल	गेहूँ
1963-64	369	99
1964-55	390	123
1965-66	306	107

(ग) खाद्यान्नों का आयात भी प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न होता है। वर्ष 1964, 1965 और 1966 के व्यौरे का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1085/67]

अनाज की फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों वाली भूमि

5958. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कुल कितनी एकड़ भूमि में अनाज की फसलें तथा कितनी एकड़ भूमि में वाणिज्यिक फसलें उगाई गई; और

(ख) सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि किसान अनाज उगाने वाली भूमि में वाणिज्यिक फसलें न उगायें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिव शिन्दे) (क) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1961-62 से 1965-66 की अवधि में अनाज उगाने वाली भूमि में वाणिज्यिक फसलें अधिक नहीं उगाई गई हैं। 1966-67 के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दोनों किस्में समान महत्वपूर्ण हैं। अतः दोनों किस्मों में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य है। सरकार बहुगुण फसलों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि क्रापिंग पैटर्न में वाणिज्यिक तथा अन्न वाली दोनों फसल समान रूप से बैठ सकें।

विवरण

(क) 1961-62 से 1965-66 तक भारत में मुख्य फसलों के अधीन क्षेत्र

फसल	(हजार हैक्टेयर)				
	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66
(आंशिक रूप से पुनरोक्षित-----)					अन्तिम
कुल खाद्यान्न	117,232	116,009	116,253	117,533	111,642
कुल गैर-खाद्यान्न फसलें	28,322	27,981	28,343	29,072	28,113

टिप्पण : गैर-खाद्यान्न फसलें सभी रोक फसलें हैं जैसे कि मुंगफली, आलू, पटसन गन्ना आदि।

Meters for Scooters in the Capital

5959. Shri Nihal Singh :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

- whether all the scooters in the capital are using new meters;
- if not, the number of scooters not fitted with new meters;
- the price at which Government have sold these meters; and
- whether the meters of all these scooters are working in order ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) (a) and (b) Out of 6,065 auto-rickshaws registered in Delhi, 4,739 are fitted with new meters and 462 with secondhand meters. The remaining vehicles are at present off the road, but they will have to be fitted with meters, when they start plying again.

(c) Government do not sell meters for auto-rickshaws. The meters are marketed by local dealers of manufacturers at the following rates :-

"Yenkay" fare meter	-	Rs. 303.65 per piece.
"Diamond" fare meter	-	Rs. 619.00 per piece.
"Fare Master" fare meter	-	Rs. 600/- per piece.

(d) Our enquiries made so far show that the meters fitted on scooters plying on roads are in working order, Periodical checks are made to ensure this.

दिल्ली में चोरी छिपे लाई गई चीनी का मिलना

5960. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ बाजारों में चोरी छिपे लाई गई चीनी खुले आम बेची जा रही है।

(ख) गत छः महीनों में कितने व्यक्तियों को चीनी का तस्क़र व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ग) उन अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) इस प्रकार के कुछ मामलों के संबंध में रिपोर्ट मिली है जिस पर कानून के अनुसार कार्यवाही हो रही है।

(ख) पहली जनवरी से 30 जून, 1967 तक 48 व्यक्ति।

(ग) 40 व्यक्तियों का चालान किया गया था, 15 व्यक्तियों के दोष सिद्ध हुये और 25 व्यक्तियों पर मुकदमा चल रहा है। 8 व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की जांच हो रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुटटनाड, केरल में चावल का उत्पादन

5961. श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री अ० क० गोपालन :

श्री चक्रपाणी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुटटनाड की वृहद् योजना के लिए उस क्षेत्र में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये के ऋण के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) उस अनुरोध के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Irrigation Facilities for Drought-Affected Areas of U. P.

5962. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the immediate steps taken to provide irrigation facilities for the drought-affected areas of Uttar Pradesh and the amount of financial aid given to the State for this work; and

(b) the acreage of land likely to be irrigated as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) As soon as the development of drought conditions in Uttar Pradesh was noticed, immediate steps were taken to take stock of the situation and accelerate the implementation of such minor irrigation schemes as would yield quick results. The following are the more important measures taken for the intensification of the minor irrigation programme in Uttar Pradesh :

- (i) During the year 1966-67, completion of 250 State Tube-wells was aimed at. In the context of the drought conditions the State Government decided to complete another 50-60 State Tube wells exclusively in the drought affected areas of U. P. It was also envisaged that another 30-40 Tube-wells would be completed in case two rigs of the Exploratory Tube-wells Organisation were made available. Against this, 428 State Tube-wells were installed in the State during 1966-67. In addition to construction of the new tubewells, the State Government proposed to renovate existing water-courses on 200 tubewells and also to construct and extend water-courses of existing tubewells in the drought affected areas with a view to ensuring proper distribution and utilisation of the water. Due to drought the State Government also pro-

posed to take up a new scheme for irrigation from rivers through pump-sets installed on boats and barges.

- (ii) Prompt action was taken to acquire on urgent basis the additional equipment and material needed for the achievement of the enhanced targets for minor irrigation. Foreign exchange amounting to Rs. 84 lakhs for the import of the following equipment was released to the State Government during 1966-67 :

(a) Medium duty direct circulation rotary rigs	6 numbers.
(b) Medium duty rotary-cum-percussion rig.	1 number.
(c) Heavy duty percussion rigs.	12 numbers.

Besides 2 rigs belonging to the Exploratory Tubewells Organisation were deployed for U. P. for sinking deep tubewells in the drought affected areas of the State.

- (iii) The State Government proposed not only to implement the private minor irrigation schemes, but also to further increase their target in respect of quick yielding schemes, such as construction of wells, sinking of tube wells, instalartion of pumpsets, etc. The following table will show the actual achievement of Private Minor Irrigation Works against the revised targets proposed :-

Item	Revised target.	Actual achievement.
1. Masonry wells.	65,000	83,703
2. Boring of wells.	75,640	66,719
3. Persian wheels.	45,000	60,717
4. Pumping sets.	35,000	22,444
5. Private tubewells.	13,730	24,069

- (iv) An additional outlay of Rs. 535 lakhs was approved for minor irrigation schemes during 1966-67. This outlay was in addition to the outlay of Rs. 2130 lakhs originally approved for 1966-67. Thus, the total outlay approved for 1966-67 for minor irrigation schemes in U. P. was Rs. 2665 lakhs. The entire budget provision made in the original budget and also the allocations made for the drought areas including Rs. 8.00 crores from the Land Mortgage Banks were utilised during the year 1966-67. In addition an amount of Rs. 1.00 crore was diverted from the Agricultural Sector for minor irrigation works during that year. The entire amount was utilised by the 31st March, 1967.
- (v) Emphasis was laid on the urgent need of energisation of pumpsets/tubewells under the programme of Rural Electrification. An additional outlay to the extent of Rs. 600 lakhs was allotted to the State Government during 1966-67 for the programme. The total outlay made to the State Government for the Rural Electrification Programme during 1966-67 was Rs. 1500.00 lakhs.

(b) It is expected that as a result of the works taken up under the Minor Irrigation Sector during 1966-67 an area of 14.05 lakh acres would be benefited against the original target of 10.30 lakh acres.

कोणार्क (उड़ीसा) में पर्यटक बंगले

5963. श्री अ० त्रि० शर्मा : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क (उड़ीसा) में पर्यटक बंगलों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या चालू वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने, जिसने कि कोणार्क में पर्यटक बंगले का निर्माण-कार्य हाथ में लिया हुआ है, यह सूचना दी है कि बंगले का सिविल निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और अब बिजली व सैनीटरी की फिटिंग का काम चल रहा है। राज्य सरकार बंगले के इस वर्ष पूरा हो जाने की आशा रखती है।

चावल और धान के समाहार मूल्य

5964. श्री द० ब० राजू : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में चावल और धान के समाहार मूल्य कितने निर्धारित किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : चावल और धान का विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1086/67]

नये टर्मिनलों के लिये राष्ट्रीय नमूना प्रतियोगिता

5965. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री अ० दीपा :

श्री प्र० के० देव :

श्री म० माभी :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नये टर्मिनलों के लिये एक राष्ट्रीय नमूना प्रतियोगिता आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतियोगिता में भारतीय तथा विदेशी वास्तुकर्मी दोनों ही भाग ले सकेंगे; और

(ग) क्या कुछ चुने हुए वास्तुकर्मियों को उनके अपने अन्तिम नक्शे तैयार करने से पहले आधुनिकतम हवाई अड्डों का अध्ययन करने का अवसर दिया जायेगा ?

पर्यटन तथा प्रसैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार यथा सम्भव, नये हवाई अड्डा टर्मिनल इमारतों के डिजाइन तैयार करने के लिये भारतीय वास्तु-शिल्पियों की सेवाओं का उपयोग करने का विचार रखती है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए विदेशी विशेषज्ञों का सहयोग आवश्यक हो सकता है। वास्तुशिल्पियों के, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, चयन की क्रिया विधि की जांच की जा रही है। चुने हुए वास्तु-शिल्पियों को दूसरे देशों में आधुनिक हवाई अड्डों का अध्ययन करने का अवसर देने की आवश्यकता पर भी इस संबंध में विचार किया जायेगा।

रायचूर जिले (मसूर) में किसानों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

5967. श्री अग्राडी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले में गंगावती में किसानों के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है:

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में कब तक काम आरम्भ होने की सम्भावना है; उस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा उसमें कितने कितने व्यक्तियों के कितने दलों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जायेगा;

(ग) क्या मैसूर और अन्य राज्यों ने ऐसे और केन्द्र खोलने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। मैसूर राज्य में रायचूर जिले में गंगावती में किसानों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा के लिए एक केन्द्र खोलने का विचार है।

(ख) सम्भावना है कि केन्द्र शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगा। प्रशिक्षण केन्द्र पर अनुमानतः 5,64,5000 रुपये व्यय होगा। योजना के अनुसार निम्नलिखित कोर्स आयोजित किए जायेंगे :—

(1) उत्पादन एवं प्रदर्शन प्रशिक्षण

400 कैम्प और प्रत्येक कैम्प में 40 भाग लेने वाले

(2) छोटे कोर्स

किसानों तथा फार्म स्त्रियों के लिए 10-15 दिन की अवधि वाले 10 छोटे कोर्स। प्रत्येक कोर्स में 30 भाग लेने वाले होंगे।

(3) युवा किसानों के लिए 3 महीने के कोर्स

प्रतिवर्ष 3 कोर्स। प्रत्येक कोर्स में 25 युवा किसान होंगे।

(ग) जी हां। निम्नलिखित मांगें अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त हुई हैं :—

राज्य का नाम	मांग किये गये केन्द्रों की संख्या
मैसूर	10
मद्रास	13
महाराष्ट्र	25
उत्तर प्रदेश	17
आसाम	7
बिहार	6
पंजाब	5

गोआ तथा महाराष्ट्र का गेहूं का एक क्षेत्र

5968. श्री अगाड़ी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ को महाराष्ट्र वाले गेहूं के क्षेत्र में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) 6 जून, 1964 से पहले गोआ उस समय विद्यमान गेहूं क्षेत्र में शामिल नहीं था । महाराष्ट्र से गोआ गेहूं लेजाने लाने पर कोई रोक नहीं थी; परन्तु गोआ से गेहूं किसी अन्य क्षेत्र को निर्यात किया जा सकता था । इसे रोकने के लिये 6 जून 1964 से गोआ को महाराष्ट्र के क्षेत्र (जोन) में शामिल कर दिया गया ।

Traffic Jam on Jamuna Bridge

5969. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that lakhs of people putting up in trans-Jamuna colonies in Delhi daily experience traffic difficulty while crossing the Jamuna bridge;

(b) Whether it is also a fact that there is traffic jam for hours together due to the heavy traffic and consequently the persons who have to report on urgent work particularly the patents have to experience much difficulty; and

(c) if so, the steps taken to solve this problem ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darsan) : (a) and (b) It has come to the notice of the Government that some persons living in trans-Jamuna colonies in Delhi experience difficulty during the peak traffic hours while crossing the Jamuna bridge.

(c) A bridge over the Wazirabad barrage across the river Jamuna and a Railway bridge behind Purana Qila with foot paths, have already been completed. A bridge over the Jamuna near Humayun's Tomb and another bridge across the barrage over the Jamuna near 'C' Power State, are under construction. A boat bridge is also provided by the Municipal Corporation of Delhi during dry weather.

Temporary Bridge over Jamuna at Delhi

5970. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a temporary boat bridge is built over the Jamuna river in Delhi every year which is dismantled during the rainy season;

(b) if so, the amount spent on its building and dismantling every year; and

(c) whether it is also a fact that a pucca and permanent bridge could be constructed by spending a little more than the total amount spent so far on constructing and dismantling this temporary bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)

(a) Yes, Sir,

(b) Rs. 62,000/- approximately are spent every year by the Municipal Corporation of Delhi on the construction and dismantling of the boat bridge.

(c) No, Sir.

अनाज के उत्पादन पर मानसून का प्रभाव

5971. श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री कृ० मा० कौशिक :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री आ० सुन्दरलाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिकांश भागों में मानसून पवनें समय पर आ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में अनाज के उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) देश के कुछ भागों में मानसून के वास्तविक प्रारंभ में एक या दो सप्ताह का विलम्ब हो गया, परन्तु देश के अधिकांश भागों में इस वर्ष मानसून अच्छी रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में जहां जून के अन्त तक मानसून कम थी, जुलाई के शुरू में कुछ वर्षा हुई है। इस वर्षा से खरीफ की विलंबित बुवाई होने की संभावना है परन्तु अभी खरीफ की बुवाई के विषय में पूर्वानुमान लगाना भी संभव नहीं है। खाद्य उत्पादन

आगामी 2-3 मास की वर्षा तथा 1167-68 में रबी व ग्रीष्मकालीन फसलों के समय की मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

शाजापुर (मध्य प्रदेश) में अनाज का लूटा जाना

5972. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1967 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भारतीय खाद्य निगम का अनाज लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप निगम को कितनी हानि हुई; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) 20 बौरे गेहूं।

(ग) इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

फॉकर फ्रेंडशिप विमान की दुर्घटना

5973. श्री क० प्र० सिंह देव :

श्री म० माभी :

श्री धीरेन्द्रनाथ :

श्री मरंडी :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जून, 1967 को इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक फॉकर फ्रेंडशिप विमान भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उतरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या दुर्घटना के कारण की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है और कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का फॉकर वायुयान 29 जून, 1967 को विसाखापतनम्/भुवनेश्वर कलकत्ता सेवा पर उड़ान के दौरान भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उतरते समय भारी वर्षा के कारण जलरुद्ध हुए धावन पथ के अन्तिम सिरे पर सहसा पथ-विचलित हो गया। विमान में सवार यात्रियों व कार्मिकों में से किसी को भी चोट नहीं आई। दुर्घटना की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में गहरे नलकूप

5974. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितने गहरे नलकूप खोदे गये हैं तथा उन पर कितनी लागत आई है;

(ख) उनमें से कितने नलकूप पूरी तरह तथा लगातार काम कर रहे हैं;

(ग) उनमें से कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं तथा कितनी अवधि से; और

(घ) क्या किसी ऐसे नलकूप को बिजली दी गई है जो काम नहीं कर रहा और यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) पूछी गई जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोचीन जहाज निर्माण कारखाना

5975. श्री नायनार :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में दूसरे जहाज-निर्माण कारखाने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को कोचीन जहाज निर्माण कारखाने का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करने के बारे में केरल सरकार से कोई पत्र मिला है; और

(ग) यदि हां, तो केरल सरकार को क्या उत्तर दिया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोचीन पर के दूसरे विपयार्ड के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, जापान, द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रायोजना रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण पूरा हो गया है और यह परियोजना शीघ्र ही सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है ।

ग्राम्य जनशक्ति कार्यक्रम

5976. श्री ना० शं० मोक्ष : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भुर्गीपालन केन्द्रों का विकास, अन्तर्ग्राम्य सड़कों का निर्माण, छोटी सिंचाई योजनाएं, भूमि पर जल जमा रहने को रोकने तथा भूमि को खेती योग्य बनाने, भूमि संरक्षण और वनरोपण के सम्बन्ध में ग्राम्य जनशक्ति कार्यक्रम की मोटी-मोटी बातें क्या हैं;

- (ख) क्या यह कार्यक्रम प्रत्येक खण्ड में आरम्भ क्रियान्वित किया गया था;
- (ग) इस कार्यक्रम पर प्रति खण्ड कुल औसत खर्च कितना आया है;
- (घ) इन खण्डों में प्रति एकड़ पैदावार औसतन कितनी वृद्धि हुई है;
- (ङ) क्या प्रति खण्ड औसत खर्च के संदर्भ में पैदावार में हुई यह वृद्धि व्यय की अपेक्षा अधिक हुई है; और
- (च) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम के जारी रखने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1087/67]

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

5977. श्री गा० शं० मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम की पहाड़ियों, नागालैंड, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और आदिम जातीय क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रदेश में बस्तर और सरगुजा में अब तक कौन-कौन तथा कितने सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ;

(ख) इन कार्यक्रमों का मोटा व्यौरा क्या है और उनको क्रियान्वित करने का तरीका क्या है ;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से वास्तव में कितने गांवों को लाभ पहुँचा है, सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(घ) यदि हां, तो गांवों को क्या लाभ पहुँचा है; और

(ङ) बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में सूखे की स्थिति का सामना करने में सामुदायिक विकास संगठन क्या योगदान कर रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ङ) सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्र से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दौरे

5978. श्री गा० शं० मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितने प्रतिनिधि मण्डल, अध्ययन दल तथा अधिकारियों के दल विदेशों को भेजे गये थे;

(ख) इन दौरों का प्रयोजन क्या था तथा किन किन देशों का दौरा किया गया था ;

(ग) इन दौरों पर कुल कितना धन व्यय हुआ तथा उनमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ;

(घ) इन दौरों से हमारी समस्याओं को हल करने में किस प्रकार सहायता मिली है ; और

(ङ) ऐसे प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्यों के चुनने की प्रक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1088/67]

सरकारी फार्म

5979. श्री गा० शं० मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 20 जून, 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों सरकारी फार्मों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है और उनको चलाने पर कुल कितनी पूंजी खर्च होती है ;

(ख) इन फार्मों का क्षेत्रफल कितना है तथा प्रति वर्ष विभिन्न वस्तुओं का औसत उत्पादन कितना होता है ;

(ग) इनमें से कितने फार्म घाटे में चल रहे हैं और उन्हें लाभप्रद बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी हां। यदि कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जाये।

परती भूमि में खेती

5980. श्री गा० शं० मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खण्डों में, जहां खाद्य की कमी है, परती भूमि में खेती करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सेना के सेवा-निवृत्त कमचारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में बसाने तथा परती भूमि में खेती करने के लिए उन्हें सुविधाएं देने की कोई योजना है ; और

(ग) सरकार किन-किन स्थानों की परती भूमि में खेती कर रही है और चालू वर्ष में इन योजनाओं के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1089/67]

बम्बई-अहमदाबाद विमान सेवा

5981. डा० कर्ण सिंह : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 जून, 1967 को बम्बई-अहमदाबाद विमान उड़ान में (प्रातः 6 बजकर 5 मिनट पर बम्बई से चलने वाले) वाइकाउन्ट विमान में स्थान प्राप्त करने की कथित अत्यधिक मांग के कारण यात्रियों को स्थान प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी और बाद में जब विमान चला, तो 25 से भी अधिक स्थान खाली थे ;

(ख) क्या यात्रियों की अपेक्षा माल को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उक्त उड़ान के लिए प्रतीक्षक-सूची में कोई भी इच्छुक यात्री ऐसा नहीं था जिसे उस उड़ान में स्थान न मिला हो। परन्तु इस पर भी, 11 स्थान खाली थे।

(ख) प्रत्येक उड़ान में ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या अग्रिम रूप से निर्धारित की जाती है। यह संख्या केवल इसलिये नहीं कम कर दी जाती कि और अधिक माल वहन के लिये प्राप्त हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Passenger Missing from Gauhati Airport

5982. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :

Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a passenger who was going from Mohanbari to Calcutta disappeared from Gauhati airport recently ;

(b) whether investigations have been made by Government to find out as to how he disappeared ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) Indian Airlines Corporation have reported that a passenger by name Shri D. K. Das Gupta was booked from Mohanbari to Calcutta by their flight IC-214 (Mohanbari-Gauhati-Calcutta) on 26th June, 1967. He was booked through the Fertilizer Corporation of India, Namrup Division. On arrival at Gauhati, Shri Das Gupta could not be traced at the time of the departure of the aircraft. On board the aircraft, another passenger informed the commander that he was escorting Shri Das Gupta who, he said, was not mentally sound. Immediately a message was sent to I. A. C. office at Gauhati whose efforts to locate the passenger did not bear fruit. A report has been lodged with the police station at Gauhati who are investigating.

Import of Coarse Grains Into Delhi

5983. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the arrangements made by Government for the import of coarse grains such as gram, sorgham, maize, jawar, etc. from the other States to Delhi ;

(b) whether it is a fact that all the neighbouring State Governments have imposed a ban on the export of coarse grains to Delhi ; and

(c) if so, since when the said ban has been imposed and how the coarse grain requirements of Delhi are met ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (c) Gram can be imported into Delhi from Haryana freely as Delhi and Haryana form a common zone. There are no restrictions on the export from and import into Delhi of barley from Haryana. Restrictions on the movement of certain coarse grains from Punjab (and Haryana after reorganisation) were placed on 29.7.1966 and from Uttar Pradesh on 29.6.1966. Allocations of jowar, bajra and maize to Delhi from Punjab have been made.

Purchase of Foodgrains in Rajasthan By Food Corporation of India

5984. Shri Meetha Lal :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the type and quantity of foodgrains purchased by the Rajasthan Branch of the Food Corporation of India during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ;

(b) the rates at which the said foodgrains were purchased ;

(c) the rates at which the said foodgrains were sold ;

(d) the quantity out of the above-mentioned foodgrains, consumed in Rajasthan and the quantity sent out of Rajasthan ;

(e) the rates at which the foodgrains exported from Rajasthan were sold ; and

(f) the profit or loss made by the Food Corporation during these years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) No foodgrains were purchased by

the food Corporation of India in Rajasthan during 1964-65 and 1965-66. Purchases were made only during 1966-67. A statement showing the different types and quantities of foodgrains purchased and rates at which purchased and sold in Rajasthan is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT-1090/67]

(d) Out of the total quantity of 47,351 tonnes of different foodgrains purchased by the Corporation in Rajasthan, a quantity of 33,838 tonnes was consumed in Rajasthan and the balance of 13,513 tonnes comprising of 8,122 tonnes of gram and 5,391 tonnes of gramdal were sent out of Rajasthan.

(e) Gram and Gramdal were sold to other States by the Food Corporation at an average rate of Rs. 73.42 per quintal and Rs. 75.87 per quintal respectively on F. O. R. station of despatch basis including cost of bag.

(f) The accounts for 1966-67 are still under compilation and profit and loss accounts have not been finalised.

Acquisition of Agricultural Land in Delhi

5985. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether such land as was under cultivation has been acquired for other purposes in the union territory of Delhi from time to time ;

(b) if so, the area of such land so far acquired and the purpose for which that has been acquired ;

(c) whether Government further propose to acquire such land ;

(d) if so, the area of land proposed to be acquired and the purpose for which that is being acquired ;

(e) whether it is considered proper to acquire land, which is under cultivation, for construction of houses and other purposes in view of the serious food situation in the country ; and

(f) if not, whether Government propose to stop further acquisition of such land immediately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT 1091/67]

हरियाना में खाद्यान्न उत्पादन

5896. राम कृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 1966-67 में हरियाना राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन कम से कम 33 प्रतिशत बढ़ा है, फिर भी राज्य की मंडियों में खाद्यान्न का अभाव है और पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खाद्यान्न के इन दो वर्षों के उत्पादन तथा मूल्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उस राज्य में जिस खाद्य स्थिति की जांच की है और इस वर्ष की पहली दो तिमाहियों में तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि में केन्द्र द्वारा राज्य को कितना खाद्यान्न दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। 1966-67 में हरियाना में खाद्यान्नों की पैदावार 1965-66 की अपेक्षा काफी अधिक होने का अनुमान है। तथापि, मूल्यों और उपलब्धिय पर इस अधिक पैदावार का असर नहीं पड़ा।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 1092/67]

(ग) इस वर्ष अच्छी पैदावार होने पर भी मंडियों में कम उपलब्धि और ऊंचे मूल्य होने का यह कारण दिखाई देता है कि एक्ल राज्य क्षेत्र के बन जाने से हरियाना पंजाब के अधिशेष क्षेत्रों से निकल गया है। 1967 की पहली दो तिमाहियों में हरियाना को केन्द्रीय भण्डारों से लगभग 40,500 मीटरी टून आयातित गेहूं दी गई थी। गत वर्ष की उसी अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उस समय हरियाना अस्तित्व में नहीं आया था।

बिहार में चीनी की मिलें

5387. श्री रामावतार शास्त्री :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री क० मि० मधुकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में बिहार में चीनी की मिलों में कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ;

(ख) चीनी की इन मिलों के पास कितनी चीनी जमा पड़ी है ;

(ग) इन मिलों ने गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को कुल कितनी राशि अभी देनी बाकी है ;

(घ) चीनी के मूल्य में की गई वृद्धि से बिहार में सभी चीनी मिलों को कुल कितनी अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ; और

(क) क्या सरकार का विचार उक्त चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को देय राशि का भुगतान करने के लिये यह अतिरिक्त आय उनसे ले लेने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1966:67 (नवम्बर अक्टूबर) के चीनी मौसम में 2.11 लाख मीटरी टन ।

(ख) 30 जून, 1967 को 1.15 लाख मीटरी टन ।

(ग) बिहार की चीनी मिलों ने 15 जून, 1967 को गन्ना उत्पादकों को 1966:67 के मौसम में खरीदे गये गन्ने की कीमत 88 लाख रुपये देने थे । गन्ना सहकारी समितियों की कुछ कमीशन भी बकाया हो सकती है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) चालू प्रथा के अनुसार प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में गन्ने से चीनी की प्रत्याशित उपलब्धि और गन्ना पेरने की अवधि के आधार पर चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित किये जाते हैं । बाद में इन मूल्यों में वास्तविक अवधि और उपलब्धि के आधार पर संशोधन किया जाता है । तदनुसार, 1966 67 के मौसम के लिए चीनी के निकासी मूल्य अनुमानों के आधार पर पहली फरवरी, 1967 को निर्धारित किये गये थे और वास्तविक कार्यावधि के परिणामों के आधार पर जून, 1967 को परिशोधित किये गये थे । दक्षिणी बिहार के चीनी कारखानों के निकासी मूल्यों में वृद्धि की गई है जबकि उत्तरी बिहार जहां उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, के कारखानों के निकासी मूल्य कम किये गये हैं । उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के परिशोधित मूल्य इस प्रकार हैं (पुराने मूल्य कोष्ठ में):

उत्तरी बिहार	रु० 139.86 (141.50)
दक्षिणी बिहार	रु० 187.10 (145.30)

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू में पर्यटक केन्द्र

5988. श्री बलराज मधोक : श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री बेणी शंकर शर्मा : श्री सूरज भान :

क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री 27 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में जम्मू क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई तथा कितना धन व्यय किया गया ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : केन्द्रीय सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जम्मू में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था पर कोई व्यय नहीं किया । तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और काश्मीर में पर्यटन की अभिवृद्धि का समस्त कार्यक्रम राज्य-योजना में सम्मिलित था और इसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया ।

जम्मू प्रान्त में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए राज्य की पर्यटन सम्बन्धी तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित स्कीमों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है, जिसमें उन पर

होने वाला व्यय भी दिया गया है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एन० टी० 1093/67]

इन योजनाओं पर जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा किया गया वास्तविक व्यय ज्ञात नहीं है।

जम्मू और काश्मीर को अनाज की सप्लाई

5989. श्री बलराज मधोक :

श्री सूरज भान :

श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1948 से लेकर अब तक प्रति वर्ष जम्मू और काश्मीर राज्य को चावल और गेहूँ समेत कुल कितना अनाज सप्लाई किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : केन्द्रीय भंडार से जम्मू तथा काश्मीर को वर्षवार निम्नांकित खाद्यान्नों की मात्रा सप्लाई की गई थी :-

वर्ष	सप्लाई की गई मात्रा (हजार मीटरी टन में)
(16 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक)	
1948-49	22.8
1949-50	56.1
1950-51	26.0
1951-52	14.8
1952-53	9.7
1953-54	46.1
1954-55	44.9
1955-56	40.5
1956-57	58.3
1957-58	118.6
1958-59	68.5
1959-60	68.7
1960-61	40.8
1961-62	30.8
1962-63	53.7
1963-64	78.1
1964-65	126.5
1965-66	216.3

पर्यटन पर व्यय

5990. श्री म० ला० सोंधी : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि पिछले तीन वर्षों में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्यों पर सरकार ने तथा राज्य सरकारों ने कितनी राशि खर्च की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-गटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में पालम हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क

5991. श्री प्र० न० सोलंकी :

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे को जाने वाली सड़क के अन्तिम एक मील के टुकड़े पर, जो हवाई अड्डे को जाता है, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां प्रकाश की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक मील की इस पट्टी का एक भाग राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 8 का भाग है और नियमतः राष्ट्रीय मुख्यमार्गों पर रोशनी नहीं की जाती है क्योंकि उस पर चलने वाली यातायात अपनी स्वयं की रोशनी में चलती है । इस सड़क में रोशनी करने के सामान्य प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन की सलाह से परीक्षा की जा रही है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था

5992 श्री शिवचन्द्र भा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था भाभा अटोमिक रिसर्च सेन्टर के सहयोग से काई के सम्बन्ध में कुछ अनुसन्धान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उन्होंने क्या आविष्कार किए हैं ; और

(ग) इन आविष्कारों का प्रयोग किये जाने पर भारतीय कृषि उत्पादन में कितना सुधार होगा ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी, हां ।

(ख) काई शब्द का प्रयोग जैनेस के कृत्रिम म्यूटेशनों के लिये किया जाता है । गेहूँ, चावल, जौ, टमाटर, मिर्च तिलहन की फसलों, जूट, कपास तथा सौन्दर्य के पौधों के विषय में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में कई हजार म्यूटेशनों को पृथक किया गया है । खेती के लिये निम्नलिखित किस्मों को जारी किया गया है :—

(अ) एनपी 836 : यह एक ऐसी म्यूटेन्ट किस्म है जिसकी सिटियों पर बाल होते हैं और इसे एनपी 797 को अलग करके तैयार किया गया है । एन०पी० 797 अपनी रोधकता के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है । पक्षियों द्वारा होने वाली हानियों से बचने के लिए कृषक लोग इस किस्म को अच्छा समझते हैं क्योंकि इसकी सिटियों पर बाल होते हैं । एनपी 836 को खेती के लिए 1960 में जारी किया गया था । कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों में रिडले आदि अनेक किस्मों में सिटियों में बाल उत्पन्न किये गये हैं ।

शर्बती सोनारा : हाल ही में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की सेन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी ने इस किस्म को खेती के लिये जारी किया है । इसे गेहूँ की मिक्सकन बोनी किस्म के बीजों, सोनारा 64 की गामा विकीरण के उपचार से तैयार किया गया है । मैक्सकन किस्म के गेहूँ का रंग लाल होता है जबकि म्यूटेन्ट का रंग शर्बती होता है और इससे बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त होता है । गेहूँ, जौ, तौरिया तथा मिर्च के अनेक म्यूटेन्टों पर अन्तिम परीक्षण हो रहे हैं और आशा है वे शीघ्र ही खेती के लिए जारी हो जायेंगी ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में होने वाले परीक्षणों से पता चलता है कि म्यूटेशनों के माध्यम से प्रोटीन की मात्रा या गुणों में काफी सुधार किया जा सकता है । अतः शर्बती सोनारा में मूल सोनारा 64 की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक प्रोटीन होते हैं । मैसूर राज्य में जैपोनिका चावल की ताईचुंग 65 किस्म से उत्पादन अधिक होता है । यह लसलसा अनाज है और इसमें एम्मीलोज की मात्रा कम होती है । इसका गामा विकीरण से उपचार किया गया और उससे ताईचुंग 65 की अधिक उत्पादनशील किस्म जो लसलसा नहीं होती और जिसमें एम्मीलोज की अधिक मात्रा होती है, का विकास किया गया । इस किस्म पर मैसूर में प्रयोग हो रहे हैं ।

(ग) वनस्पति प्रजनन अनुसन्धान के क्षेत्र में एलगेनी तकनीक उन्नति की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । इससे नई किस्मों के विकास में सहायता मिलेगी और अच्छी किस्मों को उगाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । इस तकनीक से अधिक उत्पादनशील व उन्नत किस्मों के विकास में सहायता मिलेगी ।

अस्पृश्यता निवारण

5693. श्री सिद्दय्या : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी पंचायत राज्य संस्थाओं/सामुदायिक विकास खण्डों को अस्पृश्यता निवारण में अधिक रुचि लेने के लिये कोई विशेष हिदायत जारी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई ठोस उपाय किये हैं ; और

(ग) अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने में उन्हें कितनी सफलता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) बहुत से राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं को सांविधिक रूप से सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों का कल्याण भी है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये प्रोत्साहनात्मक भूमिका इस कार्य के निर्वहण में सन्निहित है। नवम्बर, 1963, में राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे पंचायतीराज संस्थाओं को विशेष अनुदेश जारी करें, जिसमें अस्पृश्यता निवारण में उन्हें उनकी भूमिका समझाई जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि उनके कार्यक्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को किसी प्रकार से अयोग्य न ठहराया जाए। जून, 1966 में राज्य सरकारों को विशेष अनुदेश भी दिये गये थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि कुआं निर्माण कार्यक्रम (पहले स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाने वाला) के अन्तर्गत खोदे गये कुओं का उपयोग सभी जातियों के लोगों द्वारा निर्बाध रूप से किया जाये और किसी विशेष जाति के लोगों के लिए कुएं के निर्माण को पूरी तरह से रोका जाए और यह भी कि जहां आवश्यक हो वहां अस्पृश्यता (अपराध) प्रधिनियम, 1955 का उपयोग किया जाए। पुनः जुलाई, 1966 में हुई 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फार सरिजन वेलफेयर' की बैठक की सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे उन गांवों से कुओं के निर्माण के लिये दिये गये अनुदानों को वापिस लेने के बारे में विचार करें जहां हरिजनो को उनका प्रयोग करने नहीं दिया जाता है, ताकि सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में हरिजनों के साथ भेद-भाव के वर्तव को दूर करने के लिये स्वस्थ परिपाटी तथा वातावरण का सृजन किया जा सके। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में और जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

Development of Agriculture

5994. Shri K. M. Madhukar :

Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating to formulate a scheme for developing agriculture with the help of latest achievements in the field of nuclear science and if so, the details thereof ; and

(b) whether Government propose to instal such a nuclear laboratory in the Indian Agricultural Research Institute wherein new methods for the development of agriculture would be discovered and if so, the reasons for the delay in its installation and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Yes. The Government has included in the Fourth Plan proposals, a project for the establishment of a Nuclear Research Laboratory at the Indian Agricultural Research Institute which would involve the use of the latest techniques in agricultural improvement. A brief note on the project is laid on the Table of House. [Placed in Library Sec No. LT-1094/67].

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) जी० एस० आर० 988 जो दिनांक 28 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एम० आर० 1030 जो दिनांक 3 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1038 जो दिनांक 5 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 1041 जो दिनांक 7 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गईं देखिये संख्या एल० टी० 1071/67]

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे । मंत्री महोदय लगभग 2.30 बजे उत्तर देंगे । श्री नाथपाई ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : विदेश नीति के बारे में कुछ कहने से पहले मैं कुछ शब्द माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार के बारे में कहना चाहूँगा । इस बार वैदेशिक कार्य मंत्रालय

की अनुदानों की मांगों पर विरोधी दलों के सदस्यों में ही नहीं बल्कि सत्तारगढ़ दल के सदस्यों के भाषण भी बहुत जोरदार हुए हैं। श्री मानवेन्द्र शाह, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित के भाषण तो बहुत ही सराहनीय थे।

अब मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारी विदेश नीति का स्तर बहुत गिर गया है। दुनिया की नजरों में हम पहले कभी इतने छोटे और प्रभावहीन नहीं हुए थे जितने आज हैं। संसार में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करने की हमारी शक्ति न के बराबर हो गई है। हमने वैदेशिक कार्य मंत्रालय तो बना रखा है परन्तु हमारी विदेश नीति अच्छी नहीं है। हमने दूतावास तो बहुत खोल रखे हैं परन्तु हमारे पास उपयुक्त राजनयिक नहीं हैं। सुख में साथ देने वाले तो हमारे अनेक मित्र हैं परन्तु दुख में साथ देने वाले हमारे कोई मित्र नहीं हैं। इन सबको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सारा चित्र हतोत्साहित करने वाला और निराशाजनक है परन्तु मैं इन सब बातों के लिए श्री मु० क० चागला को दोषी ठहराना नहीं चाहूँगा क्योंकि वह स्वयं नीति नहीं बताते हैं। उन्हें उन नीतियों पर काम करना पड़ता है जो उनके द्वारा नहीं बल्कि कहीं और बनाई गई थी। विदेश नीति के बारे में इतना कहने के बाद अब मैं उसके विश्लेषण करता हूँ। अब मैं विदेश नीति में विद्यमान चार बुराइयों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि भारत की विदेश नीति का कोई निर्देश ढाया नहीं है तथा उसका दीर्घकालीन सापेक्ष चित्र नहीं है। उसके कुछ नारे ही लगाये जाते हैं। उन नारों में सबसे बड़ा नारा गुट निरपेक्षता का नारा है। कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। जब भी कोई कुछ कहता है तो उसकी निन्दा की जाती है। यह समझा जाता है कि वह किसी न किसी गुट में शामिल है। भारत और अमरीका में इस बारे में बहुत अन्तर है। अमरीका में मि० फुल ब्राइट जोकि वहाँ की सीनेट की फारेन रिलेशन कमेटी का चेयरमैन है वह जो सही समझता है कह सकता है। यदि वह समझता है कि वियतनाम के सम्बन्ध में अमरीका की नीति ठीक नहीं हैं तो वह अपने विचार व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं करेगा। उसे कोई नहीं कहेगा कि वह चीन-समर्थक है। परन्तु भारत में ऐसी बात नहीं है। यहां पर यदि कोई कह दे कि सरकार की पश्चिम एशिया सम्बन्धी नीति अच्छी नहीं हैं तो उसकी निन्दा की जाती है जबकि वह भी देश के हित को ध्यान में रखकर ही ऐसा कहता है।

अब मैं गुट-निरपेक्षता के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। गुट-निरपेक्षता बहादुर, साहसी और ईमानदार व्यक्ति अथवा समाज की भी हो सकती है तथा अवसरवादी, डरपोक, बुजदिल और कमजोर की भी हो सकती है। गुट-निरपेक्षता की व्याख्या यह नहीं है कि भारत सरकार का प्रवक्ता इसकी रट लगाता रहे। जनरल दि-गाल गुट-निरपेक्षता को कार्यान्वित कर रहे हैं। आपको चाहे इस पर यकीन न आये परन्तु पाकिस्तान भी धीरे धीरे गुट-निरपेक्षता की ओर बढ़ रहा है। गुट-निरपेक्षता का पुजारी, अर्थात् भारत सरकार, अपनी दोहरी नीति के कारण पतन की ओर जा रहा है। गुट-निरपेक्षता है क्या? हमारा यह विचार या गुट-निरपेक्ष होने के कारण भारत किसी भी समस्या पर उसके गुण-दोषों के अवसर पर निर्णय कर सकेगा परन्तु भारत के हाथों यह नीति क्या बन गई है। अब हम मास्को जाते हैं तो हम रूस का पक्ष ले लेते हैं और वियतनाम पर होने वाली बमबारी की निन्दा करने लग जाते हैं परन्तु जब हम वाशिंगटन जाते हैं तो अमरीका की कठिन स्थिति के प्रति सहानुभूति प्रकट

करने लग जाते हैं। तथ्य तो यह है कि संसार में रूस और अमरीका जैसे कोई ऐसे दो देश नहीं हैं जिनके स्वार्थ अधिक हों और तटस्थ रहने का प्रयास कर रहे हों। वे दोनों देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और हम गुट-निरपेक्ष हैं। यदि वे एक दूसरे के निकट आ रहे हैं तो अच्छी बात है परन्तु यदि वे भारत के विरुद्ध कोई संगठित प्रयत्न करते हैं तो ठीक बात नहीं है। परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में जो सन्धि हुई है वह इसका एक उदाहरण है। जब भी उनके दीर्घकालीन, स्वार्थों के लिये ऐसा करना अच्छा होगा वे एक दूसरे के निकट आयेंगे। उन्होंने माल्या और ग्लेसबोर में यही किया। भविष्य में भी जब वे उचित समझेंगे ऐसा करेंगे और हम गुट-निरपेक्षता के मंत्र ही पढ़ते रह जायेंगे।

प्रधान मंत्री ने यह पूछा था कि हम गुट बनायें तो किसके साथ बनायें? हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारा देश दासता से किसी गुट में मिल जाये। किसी गुट में शामिल होने के लिये देश के दीर्घकालीन हित को सर्वोपरि समझा जाना चाहिये। इस बात की कसौटी यह नहीं होनी चाहिये कि कौनसा देश हमारा मित्र है बल्कि यह होनी चाहिये कि भारत के हितों को ध्यान में रखने वाला तथा उन्हें बनाये रखने वाला कौनसा देश है।

अब मैं भारत की विदेश नीति की दूसरी गलती पर आता हूँ। हमने स्वतंत्रता के गत बीस वर्षों से भारत की विदेश नीति की व्याख्या करने का कष्ट नहीं किया है। प्रधान मंत्री ने कल कहा था कि संसार में भारत के कारण ही शान्ति है। यह सही है कि हमने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जब कोरिया का युद्ध विश्व युद्ध बनने वाला था तो हमने बहुत उपयुक्त काम किया था। इसका श्रेय भारत को जाता है और मैं इससे इन्कार नहीं करता। ऐसा श्रेय हमें कुछ हद तक प्राचीन इण्डो-चीन के समय भी मिला था परन्तु आज के भारत को संसार में शान्ति का दावा करना गलत बात है।

भारत की विदेश नीति की तीसरी गलती यह रही है कि वह प्रभुसत्ता के भूल लक्षणों को समझने में तथा उन्हें व्यवहार में लाने में असफल रहा है। यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि भारत का स्वरूप हमारे सामने प्रभुसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र तथा स्वाधीन राष्ट्र के रूप में नहीं आया है बल्कि इसका स्वरूप दूसरों का अनुसरण करने वाला रहा है। हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र के रूप में हमारे लिये क्या हितकर होगा परन्तु हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अतः हम प्रभुसत्ता के लक्षणों को समझने तथा उन्हें व्यवहार में लाने में असफल रहे हैं।

चौथी गलती हमने यह देखी है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय भारत की विदेश नीति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में असफल रहा है। मैं पश्चिम एशिया की बात ही लेता हूँ। इसरायलियों और अरबों के बहुत से हताहतों के अतिरिक्त सिनाई के रेगिस्तान में दो और कैज्यूअलटीज हुई हैं जिनकी कहीं गिनती ही नहीं है। उनमें से एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राधिकार है और दूसरा भारत सरकार की प्रतिष्ठा। हम यह नहीं चाहते कि इसरायल की कार्यवाही की सराहना की जाय परन्तु हमने अपने आपको स्थिति के बिल्कुल अनुरूप बना लिया है। हम जो लाभप्रद भूमिका अदा कर सकते थे वह नहीं कर सके हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत लाभप्रद काम कर सकते थे परन्तु भारत का चित्र क्या है? सिनाई के

रेगिस्तान में कुछ तो खुले रूप से लड़े और कुछ चोरी चोरी ; कुछ को विजय प्राप्त हुई और कुछ पराजित हुए । परन्तु भारत एक ऐसा देश है जिसे बिना युद्ध किये पराज्य मिली । वहां पर भारत की गुट-निरपेक्षता समाप्त हो गई ।

मैं कुछ शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । आज संयुक्त राष्ट्र संघ भारत की गलती के कारण ही असहाय हो गया है क्योंकि यदि भारत तटस्थ रहा होता यदि भारत ने न्याय का ध्वज अपने हाथ में उठा लिया होता तो वह एक ऐसा प्रस्ताव ला सकता था जो दोनों गुटों को स्वीकार्य होता ।

अब मैं चीन के बारे में भी एक दो शब्द कहना चाहूंगा । हमारी सीमाओं पर चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं । उसकी गतिविधियां उत्तरी बर्मा में भी बढ़ रही हैं । हाल में जो घटनायें बर्मा में हुई हैं उन्हें यह कह कर टाला नहीं जा सकता कि वह चीन के क्रोध के कारण हुई हैं । भारत की विदेश नीति में सबसे अधिक दुख की बात यह हुई है कि सरकार ने चीन को गम्भीरतापूर्वक समझने का कभी प्रयास नहीं किया गया है । चीन को समझने की आवश्यकता है । हम कह तो देते हैं कि हम चीन का इस बार डट कर मुकाबला करेंगे परन्तु इतना कह देने से ही काम नहीं चलेगा । हमें स्मरण रखना चाहिये कि चीन को भारत में आने के लिये निकटतम मार्ग बर्मा से पड़ता है और जो कुछ बर्मा में हो रहा है वह भी हमें पता ही है । वहां पर बहुत खतरनाक घटनायें हो रही हैं ।

अब मैं माननीय मन्त्री श्री चागला से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इस सभा को विश्वास में लेकर यह सही बताना चाहिये कि भूटान में पिछले सप्ताह क्या क्या हुआ है । मैं इस बारे में विस्तार से न कह कर केवल यह कहना चाहूंगा कि वहां कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं जिनका सम्बन्ध उन घटनाओं से है जो उत्तरी बर्मा में हुई है तथा जो नागालैण्ड और नक्सलबाड़ी में एकदम भड़क उठी है । मैं इस बात की निन्दा नहीं करता परन्तु कहना अवश्य चाहता हूँ कि चीन दिन-प्रति-दिन इन घटनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है । चीन का मुकाबला हम केवल नारे लगा कर ही नहीं कर सकते हैं । उसका मुकाबला करने के लिये हमें शांत तथा अच्छी तरह से सोची विचारी गई नीति अपनाने की आवश्यकता है ।

आण्विक शस्त्रों के प्रसार को रोकने से सम्बन्धित तथाकथित संधि संसार के बड़े बड़े राष्ट्रों और उनके अनुगमियों के बीच अलगाव बढ़ाने के लिए एक आदेश है । यह नये प्रकार के उपनिवेशवाद की एक खुली घोषणा है । प्रधान मन्त्री ने कल कहा था कि यदि इस गुट के और उस गुट के सभी देश गारन्टी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है । मैं उन से यह पूछना चाहता हूँ कि इनका अर्थ क्या होगा । इसका अर्थ यह होगा कि हम संसार को दो गुटों में बांटने की बात को स्वीकार करते हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि हम शक्तिशाली राष्ट्रों को एक प्रकार का रक्षित राज्य क्यों बनाना चाहते हैं । हम उनको यह क्यों न बतायें कि उन्हें आण्विक हथियार बनाने बन्द कर देने चाहिये और उनका विस्फोट बन्द कर देना चाहिये । अतः हमें ऐसी नीति बनानी चाहिये जिसकी प्रशंसा हमारी आने वाली सन्तान करे न कि ऐसी नीति बनानी चाहिये जिसकी सराहना जानसन अथवा कोसीजन करते हों ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : पश्चिम एशिया के संकट के समय जो कुछ हमने कहा है उसका बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। यह बात कोई भी नहीं कहेगा कि संकट के समय हमें अपने अरब मित्रों की सहायता नहीं करनी चाहिये थी परन्तु मित्रों की सहायता करने के लिये हमेशा सही तरीका अपनाया जाना चाहिये। पश्चिम एशिया के संकट के दौरान हमने जो तरीका अपनाया था वह ठीक नहीं था। उस तरीके की तो अरब वालों ने भी सराहना नहीं की।

गत पांच वर्षों में हमें भी कई बार संकट का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र अरब, रूस, श्रीलंका तथा अन्य मित्र देशों ने हमारी सहायता अवश्य की परन्तु उन्होंने केवल मौखिक रूप से ही सहायता नहीं की। यदि हम अरबों की सहायता करने के लिये वही तरीका अपनाते तो वे उससे अधिक प्रसन्न होते। हर एक को पता है कि पश्चिम एशिया के संकट में किस ने किस की सहायता की। परन्तु हमने दूसरे दल को प्रसन्न किये बिना ही एक दल को नाराज कर लिया है। सच्चाई तो यह है कि केवल बातें बनाने से कोई मित्र नहीं बन जाता। अतः यह सभी सम्बन्धित देशों के लिए बहुत अच्छा हो यदि हम अब अस्पष्ट बातें कहना छोड़ दें। सन् 1962 में चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि हम एक काल्पनिक दुनिया में रहे हैं। उनका इस से अभिप्राय पुरानी नीति को समाप्त करने तथा भविष्य की नीतियों के बारे में संकेत देना था उनका कहने का अभिप्राय यह था कि हम झूठी दुनिया में रह रहे हैं और हमें भविष्य में सच्चाई को पाने के लिये तैयार रहना चाहिये। हमारी विदेश नीति का मूल्यांकन इस भूमिका से शुरू होना चाहिये था। यदि ऐसा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है। जैसे बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी नीति गुट निरपेक्षता की ही है। गुट निरपेक्षता की नीति की मान्यता पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। चीन के आक्रमण के समय में तो गुट निरपेक्षता के पक्ष तथा विपक्ष में विचार व्यक्त किये गये थे परन्तु अब ऐसी बात नहीं है। अब तो अधिकाधिक राष्ट्र गुट निरपेक्षता की नीति अपना रहे हैं। परन्तु जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध आज हैं उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुट-निरपेक्षता की नीति का काफी समर्थन नहीं होगा। और इससे यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि हम अविकसित है और प्रगतिशील नहीं है। यदि हम अपनी नीति को और अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं तो हमें गुट-निरपेक्षता से बढ़कर और नीति बनानी चाहिये।

अब मैं कुछ शब्द चीन के बारे में कहना चाहूंगी। माननीय मन्त्री ने हमें यह बात नहीं बताई है कि हमें चीन के साथ सम्बन्ध क्यों बनाये रखने चाहिये जब कि उसका हमारे साथ इतना उदण्डता का व्यवहार रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वह इस सम्बन्ध में रोशनी डालें।

हमारी नीतियां आकस्मिकताओं पर आधारित नहीं है, अपितु वे कुछ आधारभूत मूल्यों पर आधारित हैं। फिर भी अन्य देश उनको गलत समझते हैं या उनकी गलत व्याख्या करते हैं। इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा और इस सम्बन्ध में सभा में एक प्रतिवेदन पेश किया जायेगा। मन्त्री

महोदय को तुरन्त इस दिशा में कदम उठाने चाहिये और संसद् को छै महीने के अन्दर एक प्रतिवेदन पेश करना चाहिये।

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : कल प्रधान मन्त्री के भाषण में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया गया जो कि एक महत्वपूर्ण भूल हुई है। हमें नहीं पता कि पश्चिमी एशिया के संकट के बाद इस सम्बन्ध में सरकार ने एक विशेष नीति अपनाई है। इससे सरकार की नीति में परिवर्तन की भूलक मिलती है।

यह कहना कि इसरायल का अस्तित्व संकट का कारण हैं या दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त अरब गणराज्य तथा अरब देशों के इस दावे का समर्थन करना कि इसरायल को नष्ट किया जाये और इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाये शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का उल्लंघन है। यदि हमारी नीति अपरिवर्तित अर्थात् पहले वाली होती तो इन पस्थितियों में हमें संयुक्त अरब गणराज्य तथा अरब देशों को सावधान कर देना चाहिये था और उन्हें बताना चाहिये था कि उनके मतभेद कुछ भी क्यों न हो उन्हें इसरायल के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनानी चाहिये। ऐसा करके हम उस भू-भाग में शान्ति कायम रखने का फर्ज पूरा कर सकते थे। लेकिन हमने केवल अपने मित्र अरब देशों के हितों को तथा अपने देश के हितों को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिमी एशियाई संकट में हमने अपनी जो तस्वीर पेश की हैं वह अच्छी नहीं है।

हम गुटों से अलगाव के प्रश्न को जरूरत से ज्यादा साधारण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम अब भी उसी अप्रचलित धारणा को ले कर काम करते हैं कि संसार के दो ध्रुव हैं जिसकी एक ओर अमरीका है और दूसरी ओर रूस है। आजकल की राजनीति का विद्यार्थी जानता है कि आज संसार दो ध्रुवों में बंटा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न करना कि हमें किस गुट में शामिल होना चाहिये शरारतपूर्ण है।

कुछ समय से इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल रहे हैं कि रूस और अमरीका एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं और पश्चिम एशिया का संकट तथा परमाणु अस्त्रों के फैलाव पर रोक लगाने का प्रश्न इसके सर्वोत्तम प्रमाण है। इन दोनों देशों ने दुनिया को बता दिया है कि वे अपने स्वार्थों के अनुकूल छोटे तथा कमजोर, देशों की भावनाओं को कुचलने के लिये तैयार हैं। अतः यह धारणा अब पुरानी पड़ गई है कि दुनिया रूसी तथा अमरीकी गुटों में बंटी हुई है।

आण्विक गारन्टी को स्वीकार करने के प्रश्न पर सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया। हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसी गारन्टी किस प्रकार विश्वसनीय होगी और हम उस पर कैसे आश्रित रह सकेंगे तथा हमारे देश पर आक्रमण किये जाने की स्थिति में इसके अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही कैसे की जा सकेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक
के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2-04 बजे म० प० पुनः सत्रित हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past
Fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Dy. Speaker in the Chair }

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारी विदेश नीति में कई भारतीय संस्कृति तथा परम्परा निहित है। सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से भी हमारी विदेश नीति का यही आधार है और इसकी व्याख्या पंडित नेहरू ने हमारे तथा दुनिया के सामने की। हमारी विदेश नीति की मान्यता है कि यदि कहीं आक्रमण होता है तो उसे खत्म करने का प्रयत्न किया जाये और हम दुनिया में शांति स्थापना के लिये प्रयत्नशील रहें। हमने अपनी शांति का पक्ष लिया है और शान्ति स्थापना के कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की है। दुनिया को अब एक ऐसी नीति की ही आवश्यकता है जैसी नीति पर भारत चल रहा है। भारत यदि किसी बात का गर्व कर सकता है तो वह यह है कि उसने अपना आत्म सम्मान नहीं खोया है।

हमारे विदेश मंत्रालय हमारी विदेश नीति को लागू करने का एक उपयुक्त साधन है। मैं यह नहीं कहता कि वह इस काम को अच्छी तरह नहीं कर रहा है परन्तु इस मंत्रालय को और अधिक सक्रिय तथा गतिशील बनाया जाना चाहिये ताकि वह हमारी विदेश नीति को दुनिया के सामने ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से रख सके। हमें पुरानी कूटनीति का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नवीन कूटनीति बराबरी तथा भाईचारे की कूटनीति पर चलना चाहिये जिसका कि अन्य लोकतंत्र देश अनुसरण कर रहे हैं।

हमें खान अब्दुल गफ्फार खां की सहायता करनी चाहिये और उन्हें पञ्चतूनिस्तान आन्दोलन के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यह लोगों की प्रभुसत्ता के लिए बहुत उत्साजनक आन्दोलन है जिनकी संस्कृति, जाति सम्बन्धी विशेषताएं तथा इतिहास भिन्न हैं। हमें पूर्वी पाकिस्तान स्वाधीनता आन्दोलन का भी समर्थन करना चाहिये। यदि पाकिस्तान मनीपुर तथा अन्य स्थानों पर हमारे लिये संकट पैदा कर सकता है तो हम पूर्वी पाकिस्तान स्वाधीनता आन्दोलन को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर सकते। तिब्बत की जनता के मानवीय अधिकारों सम्बन्धी प्रश्न को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिये। हम चाहे दलाई लामा को किसी प्रकार का राजनैतिक स्तर या संबैधानिक रूप प्रदान न करें, परन्तु कुछ राजनयिकों सहित एक संसदीय शिष्टमण्डल बाहर भेजा जाना चाहिये जिससे तिब्बत की जनता के मानवीय अधिकारों से सम्बन्धित प्रश्न को संसार के देशों से सामने रखा जा सके हमें रोडेशिया के बारे में भी सोचना चाहिये और श्री कोण्डा की, जो हाल ही में हमारे देश आये थे, सहायता करनी चाहिये। हमें पूर्वी जर्मनी, ताइवान तथा संसार के अन्य देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। हमें अपनी गुटों से अलगाव की नीति को विस्तेज नहीं होने देना चाहिये और इसमें सब प्रकार की हलचल रहनी चाहिये।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के मामलों के निपटारे के लिये वैदेशिक कार्य मंत्रालय में एक सक्रिय विभाग होना चाहिये। मोजम्बीक अंगोला, केनिया, अदन बर्मा तथा श्री लंका से आने वाले भारतीयों के साथ उपयुक्त व्यवहार किया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ महान शक्तियों का उल्लेख किया है जैसे अमरीका, रूस आदि। ये शक्तियाँ सैनिक शक्ति तथा धन के कारण महान मानी जाती है। इसलिये इनका मुकाबला करने के लिये हमें ऐसी महान शक्तियों का निर्माण करना चाहिये जिनका ध्येय शांति स्थापित करना हो। ऐसी शक्तियों के निर्माण के लिये फ्रांस जापान तथा अन्य देशों की मदद ली जानी चाहिये जिन्होंने युद्ध के भयंकर परिणाम देखे हैं।

हमें संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक बल प्रदान करना चाहिये और उसमें शांति की शक्तियों को मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि संसार में शांति बनाए रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का होना बहुत जरूरी है।

श्री प० राममूर्ति (मदुरै) : दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद एक दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है। यह आर्थिक सहायता के दबाव के रूप में एक नये उपनिवेशवाद को लागू कर रहा है। हमें यह महसूस करना चाहिये कि विशेष कर पिछले दो वर्षों के दौरान हम उस दबाव की लपेट में आ चुके हैं। अवमूल्यन इसी कारण किया गया और हमें बहुत सी अन्य बातों के लिये भी सहमत होना पड़ा। जब तक हम यह महसूस नहीं करते कि इस सब के पीछे एक नये ढंग का उपनिवेशवाद कार्य कर रहा है तब तक हमारी विदेश नीति में उचित सुधार नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा मौलिक प्रश्न है जिसे भली भाँति समझा जाना चाहिये।

पश्चिमी एशिया के प्रश्न को इसी दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिये। यह अक्राबा की खाड़ी की नाकाबन्दी का ही प्रश्न नहीं है। वे उस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलना चाहते हैं। क्योंकि अरब देश अपनी राष्ट्रीयता का आवाहन कर रहे हैं और अपने तेल के संसाधनों पर पड़ी साम्राज्यवाद की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब जानते हैं कि अमरीका और ब्रिटेन का इस क्षेत्र में तेल समवायों में बहुत अधिक धन लगा हुआ है। उनका इतना धन अन्यत्र कहीं भी नहीं लगा हुआ है।

इसरायल का लड़ाई लड़ने में समर्थ होने का कारण यह नहीं है कि वह कोई बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र है। यह सभी जानते हैं कि इसरायल में कितना धन तथा सैनिक सामान पहुँचाया गया।

यह बात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि 1967 से लेकर अब तक इन सब वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर के प्रश्न को उलझाये रखने में किसका हाथ है। हम यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना को हथियारों से किसने लैस किया है। अमरीका ने पाकिस्तान को टैंक दिये और यह कहा कि ये उन्हें चीन का मुकाबला करने के लिये दिये जा रहे हैं। परन्तु वे टैंक 18000 फुट ऊँचाई पर इस्तेमाल नहीं किये जा सकते थे और अमरीका इतना नादान नहीं था कि उसे इस चीज का पता न हो। वह जानता था कि

इन टैकोंका प्रयोग भारत के विरुद्ध होने जा रहा है। अमरीका ने यह सब इसलिये किया कि वह इस उप महाद्वीप में तनाव बनाए रखना चाहता है जिसके भारत और पाकिस्तान उसके नियंत्रण में रह सकें। फ्रान्स जैसे देश में भी अमरीकी पूंजी के बढ़ते हुए दबाव तथा अमरीका के आर्थिक दबाव के कारण शंका उत्पन्न हो गई है। अमरीकी साम्राज्यवाद अपने नये उपनिवेशवाद के अन्तर्गत एक के बाद दूसरे राष्ट्र को लाने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे ही किसी देश की सरकार को अमरीका पसन्द नहीं करता वैसे ही उसका तख्ता उलट दिया जाता है।

यह कहा जाता है कि उत्तर वियतनाम की जनता दक्षिण वियतनाम की जनता से लड़ रही है। परन्तु जेनेवा संधि के समय वियतनाम का ऐसा कोई विभाजन नहीं हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान की तरह उनका कोई राजनीतिक विभाजन नहीं हुआ था। 18 मास की अवधि के बाद उस देश के दोनों भागों में निर्बाध रूप से चुनाव होने थे परन्तु अमरीका ने वे चुनाव नहीं होने दिये, और हम जानते हैं कि आज वहां क्या हो रहा है। हम समस्याओं के प्रति सीधा तथा निश्चित दृष्टिकोण तभी अपना सकते हैं जब किसी देश पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर न हों। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की किसी से अन्न के लिये भीख मांगनी पड़े। हमें अपनी टांगों पर खड़ा होना चाहिये और किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं करना चाहिये। जब हम अपनी रोटी के लिये ही अमरीका पर निर्भर हैं तो हम स्वतन्त्र दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं।

अभी एक-दो दिन पहले यह मांग की गई थी कि हमें भारत में दलाई लामा की एक प्रवासी सरकार बनानी चाहिये। साधारणसा प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि ऐतिहासिक रूप से किसी समय विश्व के किसी देश ने तिब्बत को स्वतन्त्र देश माना है? हम इतिहास को नहीं बदल सकते।

केवल विशेष दृष्टिकोण अपनाने से हम समस्याएँ हल नहीं कर सकते। चीन के साथ समझौता करने के प्रश्न के बारे में हमने कई अवसर खोए हैं। चीन के प्रति हमारी नीति अनिश्चित रही है। इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसके विपरीत हमें अधिकाधिक कठिनाई हो रही है। 1962 की लड़ाई तक हम इस बात पर अड़े रहें कि जब तक वह पूरे अक्सार्ड चिन क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। आज हमारी शर्त यह नहीं रही है। अब शर्त यह है कि अगर चीन कोलम्बों प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो उनके आधार पर भारत सरकार उससे बातचीत करने के लिये तैयार है। इस प्रकार हमारा दृष्टिकोण बदलता रहा है। यदि हम 15 अक्टूबर, 1962 को बातचीत का प्रस्ताव मान लेते तो 8 सितम्बर का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु हमारी सरकार ने उसे नहीं माना और स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस सब के लिये यह सरकार जिम्मेदार है और इसे ही इसका हल खोजना चाहिये।

राजनीतिक आर्थिक तथा सैनिक क्षेत्र में हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं उनका चित्र स्पष्ट न होने के कारण ही हम आज इस स्थिति में हैं। हम साम्राज्यवादी देशों पर अधिकाधिक निर्भर कर रहे हैं। हम उनके इस नये उपनिवेशवाद में निहित खतरों के प्रति जागरूक

नहीं है। इस आर्थिक निर्भरता के कारण ही हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतन्त्र भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं।

जहां तक पश्चिमी एशिया के संकट का सम्बन्ध है, यह अरब देशों के समर्थन का प्रश्न नहीं है। यह स्वयं हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। हमें उन सब ताकतों को जो अमरीकी साम्राज्यवाद के आर्थिक दबाव के कारण पिस्ती जा रही है अपने साथ मिला कर अमरीकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करना चाहिये। हमारे सामने इस समय यही मूल प्रश्न है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : It is the first duty of the State to defend herself. Only the powerful countries are respected by others. Before the Chinese aggression in 1962, our country was also held in esteem by other countries of the world, but the situation has changed thereafter. It has been proved that we are not so powerful. The status of India has suffered as a result thereof and the image of India has been furnished in other countries.

The diplomatic personnel are selected from retired civil servants or from civil servants on the verge of retirement, but we should select only such persons who are acquainted with everything happening in the world. While making such appointment no care is taken to know whether the persons selected are acquainted with politics or not. Even the different ministries are allotted to the persons who are not acquainted with such subjects. Such things do not give good results.

It has always been said that we are following the policy of non-alignment but non-alignment without any power has no effect. It is, therefore, imperative to increase the power of the country.

Our Communist friends look to communist countries for guidance. I would request them not to endanger the independence of the country although they may bring socialism or communism here. We should strive to remove poverty in the country.

श्री श्रीराज मेघराजजी धरमधर (सुरेन्द्रनगर) : मैं इस विचार के पक्ष में हूँ कि देश की विदेश नीति में अपने हित का ध्यान रखा जाना चाहिये, यह ठीक है कि आजकल विश्व में अपना राष्ट्रीय हित विश्व-शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय हितों से सम्बन्धित हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति अच्छी नीति है, यदि इससे मध्यस्थता का कार्य हो सके, परन्तु यदि हम पर आक्रमण किया जाता है या हम पर आक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है तो हमें यह नीति बदल देनी चाहिये सरकार को बताना चाहिये कि क्या साम्यवादी चीन के साथ हमारे संघर्ष में आज यही स्थिति नहीं है। इस सम्बन्ध में आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के पक्ष का सदा समर्थन किया है जबकि उसके द्वारा तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने पर हम चुप रहे हैं। हमने उन्हें अपना भाई समझ और चीन के लगातार आक्रमण तथा भारतीय क्षेत्र पर उसके द्वारा कब्जा किये जाने पर भी हमने ध्यान नहीं दिया। परन्तु उसने हम पर आक्रमण करने तथा हमारा निरादर करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दिया। हाल ही में उसने हमारे राजनयिकों का निरादर किया। चीनियों के मन में हमारे लिये बहुत घृणा है और उन्होंने यह बात नहीं छिपाई है। क्या सरकार यह समझती है कि चीन के परमाणु शस्त्रों का मुकाबला करने के लिये हमारी कार्यवाही काफी है ?

मंत्री महोदय ने मई मास में ककालालम्पुर में एक सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के लिये सामूहिक सुरक्षा का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। मल-येशिया के प्रधान मन्त्री ने इस सुझाव का जोर शोर से समर्थन किया था और उस प्रयोजन के लिये हांगकांग में एक सम्मेलन बुलाया गया था। भारत के अतिरिक्त अन्य सभी देश इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये सहमत हो गये हैं।

सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिये किसी प्रकार की सामूहिक प्रादेशिक सुरक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया है, हम इस सुझाव का पूरा स्वागत करते हैं।

हमें अपनी शक्ति तथा साधन बढ़ाने चाहियें। चीन की चुनौती का सामना करने के लिये, जो सम्भवतः परमाणु चुनौती है और जो आकस्मिक ही आ सकती है, हमारे वर्तमान साधन तथा शक्ति काफी नहीं है। जो देश चीन के प्रसार को रोकने में हाथ बटाते हैं और जिनके पास उनके प्रसार को रोकने के लिये साधन हैं और जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हें ही हमारी प्रादेशिक सुरक्षा की गारण्टी देनी होगी।

प्रत्येक भारतीय को सर्वप्रथम हमारे शीघ्र आर्थिक विकास की चिन्ता है, उपलब्ध साधनों का बड़ा भाग प्रतिरक्षा पर व्यय किया जाये तो समूचे देश के इस आवश्यक सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी प्रयत्न करना कठिन हो जायेगा। इसलिये चीन का प्रसार रोकने के लिये हमें नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, दक्षिण वियतनाम, फिलिपाइन्स, दक्षिण कोरिया, चीन गणतन्त्र, जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ मिलकर काम करना चाहिये।

यदि हमें इतनी कठिनाई से प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा करनी है तो सरकार को वह सभी साधन अपनाने चाहियें जिससे हमारी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा हो सके और अतिक्रमण रोका जा सके और कोई दूसरा देश हमारे और अधिक क्षेत्र पर कब्जा न कर सके।

हमारे चुनाव के दौरान माननीय श्री मोरारजी देसाई श्री पाटिल तथा श्री राजगोपाला-चारी के विरुद्ध रूसी रेडियो ने “शांति तथा प्रगति” कार्यक्रम के अन्तर्गत खूब प्रचार किया। इससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक है जिनकी विचारधारा उनकी विचारधारा के अनुकूल है। बताया गया है कि रूस ने हमारी राजनीति तथा हमारी जनता के मत को गुमराह करने के उद्देश्य से भारत में प्रचार पर एक करोड़ डालर व्यय किये हैं, भारतीय समाचार पत्रों के लिये मास्को से सन्देश आते रहे हैं और दिल्ली में उनका दूतावास फिर से उनका प्रचार करता रहा है। यह निश्चय ही एक गम्भीर विषय है। इस बारे में कोई सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक देश के वैदेशिक सम्बन्ध उस देश के इतिहास संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रीय हित सुरक्षा तथा एकता पर आधारित सिद्धान्तों से संचालित होते हैं। इन सिद्धान्तों का पुनरीक्षण लगातार किया जाना चाहिये और यदि वे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं हैं, तो उसे अवश्य बदल दिया जाना

चाहिये, वे अपरिवर्तनीय नहीं हैं। गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त हमारी विदेश नीति का सदा ही आधार रहा है।

गुटनिरपेक्षता का यह सिद्धान्त सब से पहले हमारे देश ने ही अपनाया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय विश्व रूस तथा अमरीका के गुटों में बटा हुआ था परन्तु भारत गुटनिरपेक्षता के अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहा और वह किसी गुट के साथ नहीं मिला। गुटनिरपेक्षता का एक अनिवार्य सिद्धान्त शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व है। एक साथ मिल कर रहने की कला से अधिक कठिन और कोई कला नहीं है। देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम इस कला को व्यवहार में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का हमारा सिद्धान्त इसी सिद्धान्त पर आधारित है।

तटस्थता और गुटनिरपेक्षता दो पृथक-पृथक बातें हैं, तटस्थता निष्क्रिय है। वह विश्व से पृथक रह कर अपने ही क्षेत्र में सीमित होकर रहना है। इसके प्रतिकूल गुटनिरपेक्षता सक्रिय तथा प्रगतिशील है। गुटनिरपेक्ष रह कर हमें विश्व की घटनाओं को गुणदोषों के आधार पर तथा अपने देश के हितों के अनुसार परखने की स्वतन्त्रता है, गुटनिरपेक्ष रहकर हम अपनी आवाज उपनिवेशवाद तथा जातीय वर्ण भेद के विरुद्ध तथा शान्ति के सन्तर्पण में लगातार तथा जोरदार शब्दों में उठा सके हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने पहली बार रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाई थी।

आज मुझे श्री नाथ पाई द्वारा देश का चरित्र हनन किया जाता देख कर बहुत दुःख हुआ है।-(अन्तर्बाधायें)।

श्री हो० ना० मुकजी : यह कहना कि किसी सदस्य ने देश का चरित्र हनन किया है, एक ऐसा आरोप है जो इस सभा के एक सदस्य की देश भक्ति पर कलंक है। आपको ऐसी बात कहे जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री रंगा : माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री का ऐसा कहना गलत है और उन्हें यह शब्द वापिस लेने चाहियें।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : When we criticize, we do it for the sake of the good of the country. Therefore, those words should not have been said and they should be expunged or withdrawn.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There should be distinction between the individual, government, state and nation. They should not be inter-mingled.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सरकार तथा राष्ट्र को एक साथ नहीं मिलाना चाहिये। जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम देश की आलोचना कर रहे हैं।

श्री पं० राममूर्ति (मदुरै) : चरित्र हनन का अर्थ यह है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया है। इसलिये, यह शब्द वापिस लिये जाने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री का अभिप्राय यह था कि देश का चित्र (अन्तर्बाधायें)।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष पीठ पर बैठ कर आपका ऐसा कहना बहुत ही आवृत्ति-जनक है। आपको व्यवहार ठीक होना चाहिए।

श्री बलराज मधोक : आपका यह काम नहीं है कि इसका निर्वचन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री द्विवेदी का भी व्यवहार ठीक होना चाहिये।

Shri Parkash Vir Shastri : You should keep the hrestige of this chair, You have no right to clarify the statement of any minister.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है... (अन्तर्बाधायें)

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्री चागला श्री नाथ पाई पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहते थे..... (अन्तर्बाधायें) उनका कहने का अभिप्राय यह नहीं था जैसा कि सदस्यों ने समझा है।

श्री मु० क० चागला : मेरा ऐसा अभिप्राय कभी नहीं था कि श्री नाथ पाई अथवा विरोधी दल के किसी सदस्य पर कोई लांछन लगाया जाये, यदि श्री नाथ पाई अथवा अन्य सदस्यों ने इसका वही अर्थ समझा है जो श्री मधोक ने कहा है, तो मैं इसे वापिस लेता हूँ।

यह सदा हमारी राष्ट्रीय विशेषता रही है कि हम अपनी निन्दा करते हैं तथा अपने गुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अपनी अच्छी बातों का पता लगाना हम दूसरों पर छोड़ देते हैं। यह बात वास्तव में दुःखद है और ऐसा नहीं होना चाहिये, वास्तव में हमें अपने में कुछ अच्छाई भी देखनी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का आदर किया जाता है। गुटनिरपेक्ष तथा दूसरे देश मार्गदर्शन तथा नेतृत्व के लिये भारत की ओर देखते हैं। यदि हम उनका मार्गदर्शन तथा नेतृत्व करें तो वे इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हमारा प्रभाव कम हो रहा है तथा हमने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा खो दी है।

हमने इस दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष की विभिन्न स्थितियों में महा-सचिव को पूरा समर्थन तथा सहयोग दिया है। वह भी हमारे प्रतिनिधि से विचार-विमर्श करते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि महासचिव को भारत पर सबसे अधिक विश्वास है।

कुछ सदस्यों द्वारा मेरी संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया की यात्रा की आलोचना की गई है। राष्ट्रपति नासिर तथा राष्ट्रपति टीटो के विशेष दूत हमारे प्रधान मंत्री से मिलने भारत आये थे। बेल्ग्रेड तथा संयुक्त अरब गणराज्य की मेरी यात्रा उन यात्राओं के उत्तर में थी। इस बारे में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस समय राष्ट्रपति

नासिर से विचार विमर्श करने के लिये रूस के राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा अन्य अधिकारी संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पश्चिमी एशिया की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और स्वेज नहर भी बन्द पड़ी हुई है। समझौते की आशा दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमारे लिए यह उचित समय है कि इस समस्या में रुचि रखने वालों से हम विचार विमर्श करें।

हमें आमतौर पर कहा जाता है कि हम शान्त क्यों नहीं रहते, पश्चिमी एशिया तथा वियतनाम से हमारा क्या सम्बन्ध है? इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत सुरक्षा परिषद् का सदस्य है। इस सदस्यता के नाते विश्व की घटनाओं का पुनर्विलोकन करना तथा उन पर निर्णय देना हमारा कर्तव्य है। अन्याय, आक्रमण, विद्रोह, अत्याचार तथा उपनिवेशवाद भारत के लिए विनाश के विग्रह हैं तथा रहेंगे। जब विश्व में ऐसी घटनाएँ घट रही हों तो भारत को शान्त रहने के लिए कहना गलत है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यद्यपि हमारी गुट निरपेक्षता की नीति है तथापि इस मामले में हम पृथक् नहीं रह सकते।

22 जून को फ्रांस के मन्त्रिमण्डल की बैठक के पश्चात् स्वयं राष्ट्रपति डीगाल ने कहा था कि फ्रांस इसरायल द्वारा युद्ध आरम्भ किये जाने की निन्दा करता है।

अमरीका के एक पत्र 'टाइम्स' ने भी यह लिखा है कि युद्ध आरम्भ होने के एक दिन पूर्व इसरायल के मन्त्रिमण्डल ने 16 तथा 2 के मतों से आक्रमण करने का निर्णय किया था।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया है कि विश्व में हम अलग पड़ गये हैं और कि हमारा प्रभाव समाप्त हो गया है। मैं इस बारे में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र में अरब तथा समाजवादी देशों के गुटों को छोड़ शेष अनेक देशों ने हमारे संकल्प समर्थन दिया था और उसके पक्ष में मत दिया था।

इसरायल के आक्रमण के बारे में मैं दो तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ। एक तो यह कि राष्ट्रपति जानसन, ने राष्ट्रपति नासिर को लिखा था कि वह उनसे विचार विमर्श करने के लिए उप-राष्ट्रपति हम्फ्री को भेजना चाहते हैं। उसके उत्तर में राष्ट्रपति नासिर ने कहा कि मैं स्वयं अपने उप-राष्ट्रपति को विचार विमर्श के लिए अमरीका भेज रहा हूँ। परन्तु इससे पूर्व कि ऐसा किया जाता इसरायल ने आक्रमण कर दिया। दूसरी बात यह है कि अक्राब की समस्या पर विचार करने तथा उसका हल निकालने के लिए महा-सचिव ऊ थांट काहिरा गये थे। परन्तु अभी वहाँ पर विचार विमर्श हो ही रहा था कि इसरायल ने आक्रमण कर दिया। अतः इस पर कोई समझौता करना असम्भव हो गया। यह भी कहा गया है कि निरोधक युद्ध की अनुमति है। परन्तु मेरे विचार में यह गलत है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। कोई भी देश आदेशात्मक हड़ताल तथा निरोधक युद्ध नहीं कर सकता। यह भी एक खेद की बात है कि कुछ सदस्यों द्वारा इसरायल अरब संघर्ष की तुलना भारत पाकिस्तान युद्ध से की गई है। ऐसा कर हमें केवल पाकिस्तान के प्रचार को ही स्वीकार कर रहे हैं। उन दोनों संघर्षों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि पाकिस्तान ने पहले हमारे क्षेत्र में घुसपैठिये भेजे और फिर छम्ब क्षेत्र में हमारा मार्ग रोकने का यत्न किया। इसके पश्चात्

हमारी सेनाएं लाहौर तथा स्यालकोट की ओर आगे बढ़ी थीं। परन्तु संयुक्त अरब गणराज्य ने ऐसा कुछ नहीं किया था।

कुछ सदस्यों द्वारा मेरे वक्तव्य के प्रथम वाक्य के बारे में भी आपत्ति उठाई गई है। परन्तु यह सच है कि इसरायल की स्थापना के कारण ही इसरायल तथा अरब देशों में तनाव उत्पन्न हुआ है। मध्यपूर्व के इतिहास को जानने वाले इस बात को जानते हैं कि इसरायल की स्थापना से अरब देशों की भावनाएं उत्तेजित हुई थी क्योंकि उनका विचार है कि फिलिस्तीन के लोगों को उनके घरों से निकाल यहुदियों को वहां पर बसाया गया है।

अकाबा की खाड़ी के बारे में मैंने इतना ही कहा था कि हमें ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य ने सामरिक महत्व का सामान ले जाने वाले इसरायली जहाजों के लिए अकाबा की खाड़ी बन्द कर दी है। इस बारे में 1957 में ही हमने यह दृष्टिकोण बना लिया था कि यह खाड़ी एक अन्तर्देशीय समुद्र है और यह संयुक्त अरब गणराज्य तथा सउदी अरब के क्षेत्रीय पानी के अन्तर्गत आती है। हमारा दृष्टिकोण अब भी यही है।

5 जून को जब इसरायल ने अरबों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया तो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध-विराम तथा सेनाओं को पीछे हटाये जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया था। उस समय हम यह नहीं जानते थे कि किसकी विजय तथा किस की पराजय हो रही है। जैसा समा को मालूम है 7 जून को गुटों से अलग रहने वाले राज्यों का साधारण युद्ध-विराम सम्बन्धी संकल्प पारित हो गया था। हमने इस संकल्प का समर्थन किया था। शान्ति स्थापित करने की दिशा में यह पहला कदम था तथा दूसरा पग सेनाओं को पीछे हटाने का था। हमने इस संकल्प का समर्थन इस कारण किया था ताकि आक्रमक अपने आक्रमण का लाभ न उठा सके। अतः पश्चिमी एशिया के मामले में हमने जो नीति अपनाई है वह न्याय संगत तथा हमारे राष्ट्रीय हित में है। पश्चिमी एशिया विश्व में सामरिक महत्व का स्थान है। इसलिए भी वहां पर भिन्नता बनाये रखना हमारे हित में है। इसके अतिरिक्त उनके साथ हमारा करोड़ों रुपयों का व्यापार भी है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया है कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू और राष्ट्रपति नासिर की मित्रता ही भारत और संयुक्त अरब गणराज्य की मित्रता का आधार है। यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि विदेश नीति व्यक्तिगत मित्रता के आधार पर नहीं बनाई जाती। राष्ट्रपति नासिर का समर्थन हम इस कारण करते हैं चूंकि वह अरब देशों में कुछ ऐसी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका हमें भी समर्थन करना चाहिये। ये शक्तियां हैं समाजवाद, गुट-निरपेक्षता तथा धर्म निरपेक्षता।

इस संघर्ष के दौरान हमारे जो 14 जवान मारे गये थे उनके बारे में कुछ सदस्यों द्वारा भारत सरकार को दोषी ठहराया गया है। कहा गया है कि भारत सरकार उनको वहां से निकालने में असफल रही जबकि कनाडा ने अपने सैनिक वहां से निकाल लिये थे। वास्तव में स्थिति यह है कि राष्ट्रपति नासिर ने कनाडा के सैनिकों को वहां से तुरन्त निकाल लेने को कहा था। परन्तु उसके पश्चात् एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही शेष देशों के सैनिकों को वहां से

निकाला गया था। जब तक सभी सैनिक वहां से नहीं निकाल लिये गये तब तक हमारी सैनिक टुकड़ी पूर्णरूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन थी और उसी के आदेशों का पालन कर रही थी। अतः हम इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे।

यह भी सुझाव दिया गया है कि हमें आण्विक संरक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए था आण्विक शस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। परन्तु मैं इन दोनों प्रस्तावों के पक्ष में नहीं हूँ। इसका एक कारण यह भी है कि हम नहीं जानते कि चार अथवा पांच वर्ष पश्चात् राष्ट्रों के गुटों की रूपरेखा क्या होगी। इसलिए किसी प्रकार की आण्विक गारंटी प्राप्त करने से पूर्व हमें इस बात पर विचार करना है कि इसका हमारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Shri G. S. Dhillon in the Chair }

मेरे विचार में श्री मसानी का यह कहना गलत है कि हमारे और चीन के आण्विक विकास के अन्तर की खाई बड़ी गहरी हो गई है और उसको पूरा करना हमारे वैज्ञानिकों के लिए असम्भव है। ऐसी बात नहीं कि हम अणुबम बना नहीं सकते। हमारे वैज्ञानिक ऐसा करने में सक्षम हैं परन्तु हम अपनी नीति के कारण ही अणुबम का निर्माण नहीं कर रहे हैं।

चीन द्वारा उद्‌जन बम के विस्फोट को देखते हुए हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर सावधानी से विचार करना चाहिए।

पिछले कुछ समय से चीन हमारे देश सहित अन्य अनेक देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है उसका रवैया यह है कि विभिन्न देशों में असन्तुष्ट तत्वों की क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना कर उनकी सरकारों को बदल दिया जाये।

हमारे विचार में आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करके ही चीन के खतरे का सामना किया जा सकता है। इसलिये हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ हमारी मित्रता बनी रहे तथा वे देश शक्तिशाली हों। बर्मा, नेपाल, श्रीलंका तथा इन्डोनेशिया आदि देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। हम उनके साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी इच्छुक हैं। मैं श्री मधोक की इस बात से भी सहमत हूँ कि हमें इन देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए।

विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेने वाले भारतीयों के प्रति हमारी नीति यह है कि उनको उन देशों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए जिनकी नागरिकता उन्होंने स्वीकार की है। वे भारत के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध तो बनाये रख सकते हैं परन्तु दिलचस्पी उनको केवल उन्हीं देशों के मामलों में लेनी चाहिए जिनके वे नागरिक बन चुके हैं। परन्तु जिन भारतीयों ने भारत की नागरिकता का त्याग नहीं किया है उनके लिये हम जिम्मेदार हैं और हम उनकी देखभाल का यत्न भी करते हैं।

मुझे खेद है कि हमारे सभी प्रयत्नों के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ताशकन्द घोषणा को कार्यान्वित करने के भी हमारे प्रयत्न असफल रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हितों को बलिदान कर पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जायेगा। पाकिस्तान को यह बात भी महसूस करनी चाहिए कि हमारी उसके क्षेत्र पर कोई बुरी निगाह नहीं है। हमने विभाजन को स्वीकार किया तथा पाकिस्तान को मान्यता प्रदान की है। अतः उसके लिये अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। परन्तु पाकिस्तान तथा चीन की साठगांठ से पाकिस्तान के प्रति हमारे सम्बन्धों में एक नया मोड़ आ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों देश साठगांठ से काम कर रहे हैं। दोनों देश, जैसा कि प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा, नागा, मिजो तथा अन्य गिरोहियों की सहायता कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चीन कोई समझौता नहीं होने देना चाहता। यही वह देश है जिसने ताशकन्द घोषणा की निन्दा की थी।

पिल्ले समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन लिया गया है। कुछ निर्णय भी कर लिए गये हैं परन्तु इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अभी कुछ समय लगेगा।

वियतनाम के बारे में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन से यह संघर्ष चालू हुआ है हम राजनयिक तथा अन्य तरीकों से समझौता कराने का यत्न कर रहे हैं। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि हमने बिना शर्त बमबारी बन्द करने के बारे में कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है।

जहां तक वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में काम करने वाले अधिकारियों का सम्बन्ध है उनकी देश-भक्ति पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। यह कहना भी गलत है कि वहां पर अनेक गुट हैं। वहां के सभी अधिकारी गिठ्ठावान हैं तथा उनके प्रत्येक कार्य के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 21 मतदान के लिये रखा गया।

Cut Motion No. 21 was put to vote.

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 81, विपक्ष में 144

Ayes-18, Noes-144

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 63 मतदान के लिये रखा गया।

Cut Motion No. 63 was put to the vote.

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 81, विपक्ष में 143

Ayes-81, Noes 143

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the other cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी और स्वीकृत हुई :-

The following Demands in respect of Ministry of External Affairs were put and adopted :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
15	वैदेशिक-कार्य	
16	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	रुपये 11,05,93,000 10,94,70,000

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

वर्ष 1967-68 के लिये श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :-

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
66	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय	52,53,000
67	खानों का मुख्य निरीक्षक	32,23,000
68	श्रम और रोजगार	9 60,46,000
69	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	7,98,32,000
70	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	22,53,000
130	श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	5,24,53,000

डा० म० संतोषम् (तिरुचेन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल जान-बूझकर मेरे दल के बारे में यह जहरीला प्रचार करता रहा है कि वह लालची पूंजीपतियों का समर्थक है। वास्तव में सरकार मजदूरों को संतुष्ट नहीं कर सकी है और आत्मरक्षा के लिये ऐसे प्रचार का सहारा लेती है। इस ओर हम सब उपभोक्ता हैं और इस नाते से हम मजदूरों में और साथ ही पूंजी में रुचि रखते हैं। हम चाहते हैं कि देश की पूंजी सुरक्षित रहे तथा बढ़े। यदि हम भारत सरकार को औद्योगिक और खेतिहर मजदूरों की दृष्टि से देखें, तो वह मेमनो की खाल में एक भेड़िया है।

कांग्रेस दल ने जो नीतियां अपनाई हैं, उनसे निरन्तर मूल्य बढ़े हैं और वस्तुओं का अभाव हुआ, जिससे आम जनता को और विशेष रूप से वेतनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। श्रमिकों के हित के लिये त्रिपक्षीय मजूरी बोर्ड, राष्ट्रीय उत्पादित परिपद की स्थापना तथा कुछ अन्य प्रयास सराहनीय हैं लेकिन बहुत से प्रत्यक्ष कर लगाकर सारे लाभ छीन लिये गये हैं।

{ श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए । }

{ Shri G. S. Dhillon in the Chair. }

श्रम कल्याण के क्षेत्र में सरकार असफल रही है। सारे देश में औद्योगिक श्रमिकों में व्यापक असंतोष है। यदि कहीं पर असंतोष दिखाई नहीं देता, जैसे कि कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी तो इसका कारण यह है कि वे सरकार के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह नहीं करते अपितु अभ्यावेदनों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच विवाद की अवस्था में सामान्यतः मजदूर सरकार से संरक्षण पाने की आशा करते हैं। भारत सरकार ने इन समस्या को सुलझाने का नया तरीका निकाला है कि उद्योगों को अपने हाथ में ले लें। अब सरकार स्वयं पूंजीपति बन गई है और मजदूरों को सरकार से जो संरक्षण की आशा की, वह भी समाप्त हो गई है। इससे मजदूर अनाथ हो गये हैं। मैं तो नहीं बल्कि मजदूर संघों के नेता भी यही बात कह रहे हैं। उद्योगों में मजदूरों में संतोष होना

आवश्यक है क्योंकि उनके सहयोग के बिना ठीक उत्पादन नहीं हो सकता और इसके परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं को भी लाभ नहीं हो सकता। जब किसी उद्योग अथवा व्यापार में गैर-सरकारी पूंजी लगी होती है, तो प्रबन्धक कर्मचारियों के प्रति उदार रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना वह अपनी पूंजी की रक्षा नहीं कर सकता और लाभ नहीं कमा सकता। इसके विपरीत सरकारी पूंजी लगी होने पर नौकरशाह कर्मचारियों के प्रति उदार नहीं होते हैं और आत्म सम्मान का ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई हानि नहीं होती। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्रिपक्षीय मजूरी बोर्डों के प्रचारों को गैर-सरकारी क्षेत्र में श्रम न्यायालयों के जरिये अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाता है जबकि सरकारी क्षेत्र में कभी कभी तो इतना अधिक विलम्ब हो जाता है कि एक अन्य मजूरी बोर्ड को समूचे प्रश्न पर विचार करना पड़ता है। उदाहरण के लिये सरकारी कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों आदि की मांगों के बारे में कितने ही वेतन आयोग बनाये गये, फिर भी उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

सरकार एक ओर तो आय में विषमता को दूर करने का दावा करती है और दूसरी ओर स्वयं असमानताओं को जन्म देती है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बलक कर्मचारियों के वेतनों में असमानता है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन कम हैं। इसी प्रकार सरकारी उपक्रमों तथा निगमों के कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। आय तथा अन्य सुविधाओं के मामले में औद्योगिक मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों के बीच, जो इस देश के लिये अनाज पैदा करते हैं, सबसे अधिक असमानता है। औद्योगिक मजदूर कुल श्रमिकों का $\frac{1}{6}$ भाग ही हैं। औद्योगिक श्रमिकों चूंकि राजनैतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सरकार अपने हित के लिये उन्हें अनुचित प्रश्रय देती है। औद्योगिक श्रमिकों को मकान, मजूरी बोर्ड, चिकित्सा, राशन आदि की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं और साथ ही बचत की सुविधा भी। खेतिहर मजदूर को यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि मैं भी इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और उसी धूप में तपता हूँ और उसी शीत में ठिठुरता हूँ। उसके पास रहने के लिये ढंग का मकान तक नहीं है। हवा का एक झोंका आता है और उसका मकान गिर जाता है। उसका अपना कोई संगठन नहीं। उसकी बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है। आपको इस दिशा में कुछ अवश्य करना चाहिए।

हम सभी नक्सलबाड़ी में हुई घटनाओं की निन्दा करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार उत्तरदायी है क्योंकि उसने खेतिहर मजदूरों में इतना असंतोष और क्षोभ पैदा कर दिया है कि शरारती लोग देश के किसी भी भाग में इस चिनगारी को भड़का सकते हैं। देश के अन्य भागों में लोग अधिक निष्ठावान हैं इसलिए वहां पर ऐसा उपद्रव नहीं हुआ। खेतिहर मजदूरों में असंतोष और क्षोभ सरकार के लिये शर्म की बात है।

अन्त में, घेराव के बारे में मुझे समझ में नहीं आता कि इसे पूर्ण रूप से गैर-कानूनी घोषित करने में विलम्ब अथवा हिचकिचाहट क्यों है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने तथा अपराधी मानने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है। यह कुछ महीने पहले आन्ध्र प्रदेश से आरम्भ हुआ जब कुछ विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कई दिन तक घेरे रखा और केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अब यह

तरीका बड़े पैमाने पर अपनाया जाने लगा है। यह एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, जो अपने जन्मदाता को ही नष्ट कर सकती है। जैसे कि भूख हड़ताल जो अच्छे उद्देश्य के लिये आरम्भ की गई थी, अब देश के अनुशासन को भंग कर रही है। सरकार को चाहिए कि इसको और अधिक बढ़ने से पहले ही समाप्त कर दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्रम मंत्री को बधाई देता हूँ कि उनके मंत्रालय के प्रतिवेदन में देश को कुछ तथ्य बताये गये हैं जैसे कि उद्योगों में हड़ताल और तालाबन्दी के कारण 1965 में 69 लाख श्रम-दिन की अपेक्षा तुलना में 1966 में 105 लाख श्रम-दिन की हानि हुई। औद्योगिक वातावरण में गिरावट कारण आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि हो सकती है। तालाबन्दी, हड़ताल, घेराव आदि सभी प्रदर्शन भारत में श्रमजीवी वर्ग के जीवन निर्वाह की दशा खराब होने का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। भारत में छंटनी, पदावनति, जबरी छुट्टी अथवा कारखानों के बन्द किये जाने के विरुद्ध उन्हें अपना रोष प्रकट करना होता है। आज भी स्थिति यह है कि गजेन्द्र गडकर आयोग की महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि केन्द्रीय सरकार के 22 लाख कर्मचारियों ने इसे उचित समुचित नहीं माना है। यह आयोग सरकार ने नियुक्त किया था। इस आयोग ने दिया क्या है? 400-500 रुपए आय वाले व्यक्ति को, जो अपना और अपने परिवार का निर्वाह करने में कठिनाई अनुभव करता है, भी महंगाई में वृद्धि का 10 प्रतिशत भाग भी भत्ते के रूप में नहीं दिया है। महंगाई भत्ते के बारे में यदि वित्त मंत्री, भारत सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच कोई समझौता नहीं होता तो चाहे कुछ भी परिणाम क्यों न हों, एक देश-व्यापी हड़ताल होगी। इसी प्रकार राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भी समानता की मांग कर रहे हैं क्योंकि मामूली वेतन में उनका निर्वाह नहीं होता। श्रमजीवी वर्ग में चाहे सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में, असन्तोष का यही कारण है और इसलिए घेराव हो रहे हैं।

घेराव कोई नई बात नहीं है। पहले भी घेराव होते थे केवल उन्हें प्रदर्शन करना अथवा सत्याग्रह का नाम दिया जाता था। कांग्रेस के सदस्यों ने आम चुनाव के लिये टिकट पाने के लिये श्री कामराज को घेरा था। 3.54 घेराव में से 261 घेराव श्रम सम्बन्धी उचित मांगों को लेकर हुए हैं। ये तो श्रम आन्दोलन का अंग थे। यदि बिना किसी नियन्त्रण अथवा रोक के छंटनी की जाती रहे, तो उसका इलाज होना चाहिए। उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये तुरन्त कुछ दूढ़ना चाहिए। 25 जुलाई, 1967 को जीवन बीमा निगम के 40,000 कर्मचारी कम्प्यूटरों के प्रयोग के विरुद्ध सांकेतिक हड़ताल करने वाले हैं। कम्प्यूटरों के प्रयोग से छंटनी होगी। मेरी जानकारी के अनुसार बिजली के एक कम्प्यूटर लगाने से जीवन बीमा निगम के 14,000 कर्मचारी बेरोजगार होंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अभी हाल में कहा था कि इससे कोई बेरोजगारी नहीं होगी। अमरीका के राष्ट्रपति श्री कनेडी भी यह आश्वासन नहीं दे सके और कम्प्यूटरों के प्रयोग के संभावित प्रभावों का अव्ययन करने के लिये एक समिति बनानी पड़ी थी।

मैं श्रम मंत्री को बधाई देता हूँ कि वे छंटनी आदि मूल विषयों पर विचार करने के लिये "ऐसी" कालटेक्स तथा अन्य तेल कम्पनियों को सहमत करा सके। मेरा उनसे अनुरोध है कि लिपीय (क्लर्क सम्बन्धी) कम के लिये विद्युत चालित कम्प्यूटरों के प्रयोग पर चर्चा करने के

लिये जीवन बीमा निगम, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ तथा श्रम मंत्रालय प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि की एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जाये। हमारे देश में इस काम के लिये पद कम और वाक्ति अधिक हैं। अधिक जनसंख्या वाले हमारे पिछड़े हुए देश में, जहां भुखमरी और बेरोजगारी फैली हुई है, हम कैसे विद्युत् चालित कम्प्यूटर लगा सकते हैं? माननीय मंत्री यदि तुरन्त प्रस्तावित बुलाये, तो हड़ताल को रोका जा सकता है।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि खानों में 1966 में 110 हड़तालें और 5 तालाबन्दी के कारण 1.8 लाख श्रम-दिनों का नुकसान हुआ जबकि 1965 में 67 हड़तालों के कारण 1.9 लाख श्रम-दिनों का नुकसान हुआ। इससे स्पष्ट है कि खानों में ठीक दिशा में काम नहीं हो रहा है।

आज हम इस सभा के सदस्य श्री विमल कान्ति घोष पर कुछ लोगों द्वारा हमले पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल में मुझे टेलीफोन से सूचना मिली थी कि इस सभा की एक अन्य सदस्य डा० रानेन सेन को दुर्गापुर के निकट एक खान में नहीं जाने दिया गया और उन पर हमला किया जाने लगा था। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या खान मालिक किसी एक संसद् सदस्य और एक विधान सभा सदस्य को प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार कर सकते हैं। खान कर्मचारियों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को तुरन्त क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यदि तुरन्त आदेश और अधिसूचनायें जारी की जायें, तो मुझे विश्वास है “आईटक” (Altuc) जिससे मेरा सम्बन्ध है के महासचिव श्री डांगे इस मामले में बातचीत करने को तैयार हैं।

मजूरी, वेतनादि में वृद्धि रोकने के बारे में कहा गया कि यह सुझाव उत्तर प्रदेश तथा केरल के मुख्य मंत्रियों ने दिया है। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने स्पष्ट रूप से इन्कार किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। श्री मोरारजी देसाई ने 5 जुलाई, 1966 को, जब वे उप प्रधान मंत्री नहीं थे मजूरी और वेतन में 12 महीनों के लिये वृद्धि रोकने, कारखानों में काम के घण्टे बढ़ाने, 50 से अधिक कर्मचारी होने की दशा में तिहाई मजूरी नकदी से भिन्न रूप में देने तथा समाज कल्याण सम्बन्धी व्यय में भारी कटौती करने का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी के सामने रखा था। ये सुझाव श्री मोरारजी देसाई ने कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में दिये थे। आय 20 वर्षों से मूल्यों में वृद्धि को रोक सके हैं। प्रतिदिन मूल्य बढ़ रहे हैं। मैं अपने ग्रुप और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दूँ कि यदि ऐसा प्रयास किया गया तो अखिल भारतीय आधार हड़ताल होगी। हम मंत्री महोदय के साथ वेतन मजूरी वेतनादि में वृद्धि रोकने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हैं यदि वे अन्य विषयों पर भी बातचीत करने के लिये सहमत हों। परन्तु जबकि वास्तविक मजूरी 1947 के स्तर से भी कम हो गई और श्रमिकों को दो समय भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं मिलता है, मजूरी, वेतनादि में वृद्धि रोकने का स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा पूरी शक्ति से इसका विरोध किया जायेगा।

Shri G. Venkata Swamy (Siddipet): The condition of labour is deteriorating day by day. They are hardly able to meet the essential requirements like food and accommodation. Unless the prices are stabilized there is no use of wage freeze. We should try to

stop the rise in prices. It was decided in the Tripartite meeting that the fair price shops should be opened for the labourers, but Labour Department in the Central Government have not paid any attention towards it. If the prices are stabilized, the employees are not interested in demanding dearness allowance.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The labourers are demanding for establishment of fair price shops, but the Government is not paying any attention towards it. The Government should immediately open fair price shops. Wage Boards are appointed at the demands of the labourers. But it takes a very long time in implementing the recommendations of the Wage Boards. This delay should be stopped. It causes a great deal of difficulty to the labourers.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Speaker in the Chair }

The Ministry of Labour have not paid any proper attention in this matter. The labourers were hoping that the Government would immediately implement the Bonus Act. But it was delayed due to the decision of the Supreme Court. Certain mill owners are taking undue advantage of it and they have paid only four percent minimum bonus. The Bonus Act should be amended immediately. There are several ways open for employees to get their demands accepted. Some are propagating the ways of 'Gharao'. I am deadily against 'ghearo'.

श्री विमल कान्ति घोष, संसद सदस्य पर हमले के बारे में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

DISCUSSION ON HOME MINISTER'S STATEMENT
RE : ASSULT ON SHRI BIMAL KANT GHOSH, M.P.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है हम राजनीतिक गुण्डागर्दी के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। जहां तक इस सदन के सदस्य पर हमला करने का मामला है, मैंने कल कलकत्ते के एक समाचार पत्र में यह देखा था कि बंगाल के मुख्य मंत्री ने किस प्रकार इस सम्बन्ध में तथा बतलाने के अलावा असमर्थता प्रकट की। वह इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थ हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में कई मामले न्यायालय में निलम्बित हैं इसके अतिरिक्त इस सदन में श्री मधु लिमये पर हमला करने तथा छोटी सादरी का सोने का मामला भी इसी कारण नहीं लिया गया कि इस सम्बन्ध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने इसी कारण यह आपत्ति सभा के समक्ष रखी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : He has brought a very important matter before you and I am also a party to it. I wanted to bring the issue of Choti Sadari before this House which could not be allowed. I want a ruling from you in this regard. In all these matter discussion should be made here. Now it is easy to start a case against something and after it, all the rights of the Lok Sabha are lost. I want some solid and definite

ruling from you in this regard so that our rights may be protected and we could get an opportunity to discuss.

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं जान सकता कि कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन है अथवा नहीं। यदि यह मान भी लिया जाये कि एक मामला न्यायालय के विचाराधीन है जैसा कि सोने के मामले में माननीय मंत्री ने बताया न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे यह नहीं पता कि यह किस न्यायालय में है और यह मामला किस के विरुद्ध है और क्या यह मामला यहां उठाया जा सकता है इत्यादि। अध्यक्ष के लिये यह जानना आवश्यक नहीं है। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन भी हो, चाहे वह आक्रमण का मामला हो या और कोई, मेरे विचार से न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नों को छोड़कर हम अन्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। कम से कम हम अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। हम न्यायालय में विचाराधीन मामले का उल्लेख नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री घोष को 24 जून को अस्पताल में दाखिल किया गया। अभी तक वह ठीक नहीं हुए हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें दिल्ली भी नहीं लाया जा सकता। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में श्री घोष से सम्बन्धित घटनाओं के लिये मार्क्सवादी साम्यवादी दल के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। यह केवल पहली ही घटना नहीं है यह पश्चिमी बंगाल के विशेष दल द्वारा पूर्व नियोजित और पूर्व निर्धारित योजना है यदि राज्य में तीन महीने के दौरान होने वाली घटनाओं की जांच की जाये तो यह बिल्कुल स्पष्ट है, और इससे कोई निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन है। कोई विशेष दल संवैधानिक मशीनरी को समाप्त करने, राज्य के लोकतन्त्रात्मक ढांचे को दूषित करने और आक्रमण, हत्या तथा हिंसा द्वारा डरा धमका कर अपने राजनैतिक विरोधियों को समाप्त करने में प्रयत्नशील है।

आसनसोल में विरोधी पक्ष को समाप्त करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि आसनसोल में पंचियां बांटी गई हैं जिनमें कहा गया है कि "अब हमारी सरकार बन गई है और जो हमारा विरोध करेंगे और जो भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा नियन्त्रित संघ में शामिल नहीं होंगे, उनके लिये कोई स्थान नहीं होगा और उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप एक कोयला खान बन्द हो गई है। लोगों पर जोर देकर एक ऐसी यूनियन में शामिल होने के लिये कहा जा रहा है जो नये मंत्रालय के आने से पूर्व नहीं थी। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण नहीं करती। पुलिस से शिकायत की जाती है परन्तु उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती।

श्री बी० पी० झा : जो पिछले 40 वर्षों से मजदूर नेता रहे, और जिनको प्रत्येक व्यक्ति जानता है, की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनके शरीर पर लगभग 40 घाव थे। 24 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

पश्चिमी बंगाल में हिंसा, आतंक और भय की आग भड़क रही है। देश को यह गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि भविष्य में देश की राजनैतिक प्रणाली क्या होगी।

मैं यह नहीं चाहता कि पश्चिमी बंगाल में केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे। वामपक्षी साम्यवादी राष्ट्रपति का हस्तक्षेप चाहते हैं ताकि वहां मध्यावधि चुनाव हो सकें। उन्होंने इसकी पहले ही घोषणा कर दी है कि वह संयुक्त मोर्चे की सरकार को सफल नहीं होने देना चाहते।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : There might be some drawbacks in our democracy, or those who are at the helm of affairs may commit mistakes, but if we topple the very system of democracy, we would be no where.

श्री पं० राममूर्ति (मदुरै) : मैं किसी विषय पर चर्चा किये जाने के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि अनुचित प्रवृत्ति अपनाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें सदस्य महोदय पर किये गये हमले तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्री पं० राममूर्ति : हम इसके विरुद्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे घटना तक ही सीमित रहें। इस सम्बन्ध में क्रोध करने से कोई लाभ नहीं।

Dr. Sushila Nayar : Sir, in a democracy every man has got the right to express his opinion. If the people like our views, it is well and good and if they do not like, they are at liberty to accept the views of any other person they like.

An hon. Member of this House Shri Bimal Ghosh had gone to his constituency. There he attended the meeting of the Telephone Advisory Committee and after that the District Congress Committee of that place arranged a public meeting. The rowdy element did not allow the meeting to proceed and disturbed the meeting. After the dispersal of the meeting the demonstrators caught hold of Shri Ghosh. They snatched away his personal belongings and removed his clothes. He was beaten and humiliated. This incidence should be denounced in the strongest terms.

Democracy cannot function under pressure tactics. Terror and panic are at their height in West Bengal. The feeling of insecurity is widespread there and even the Members of Parliament are not safe. We should all condemn such display of violence and pledge to make every effort to check the recurrence of such incidents in future.

श्री जुल्लिकार अली खां (रामपुर) : श्रीमान्, आज मैं एक गैर-कांग्रेसी सरकार की आलोचना करने के लिये बोल रहा हूँ और यह कोई खुशी का अवसर नहीं है। जो घटना माननीय सदस्य श्री विमलकान्ति घोष के साथ घटी गई है वह कोई एककी दुक्की घटनाओं में से नहीं है। सम्पूर्ण राज्य में गड़बड़ी पैदा करने के लिये तोड़-फोड़ करने वाले तत्वों ने ध्यानपूर्वक यह सांठगांठ की है और इसे आयोजित किया है। इस प्रकार की कार्यवाही हमारी मौलिक स्वतन्त्रता पर आघात है। यह बात असंगत है कि किस पर आक्रमण किया गया परन्तु जब एक संसद सदस्य, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भाषण की स्वतन्त्रता के अधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है तो ऐसी कार्यवाही की जितनी अधिक निन्दा की जाये

वह थोड़ी होगी। आज श्री घोष हमारी लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता के प्रतीक बन गये हैं और उनके उत्साह और स्पष्टवादिता के लिये हम उनका आदर करते हैं। यह समझ लिया जाना चाहिये ऐसी घटना की पुनर्वृत्ति हुई तो देश में ऐसी शक्तियाँ पैदा हो जायेंगी जिन पर काबू पाना बहुत कठिन होगा।

हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि यह अपनी किस्म की और पहली और अन्तिम घटना होगी और केन्द्रीय सरकार इनका दमन करने के लिये सख्त कार्रवाही करेगी।

Shri Balraj Madhok (Delhi South) : Sir, the assault made on Shri Ghosh in Bengal is being rightly denounced in all quarters and there cannot be two opinions about it. Every person having faith and allegiance in democracy should ponder over this matter seriously. Freedom of thought, speech and assembly is the pre-requisite of democracy. Without this freedom democracy cannot be established. Therefore, if we want the democracy to take a firm ground and flourish in this country, we should give every individual the freedom of expression. It will be suicidal for our democracy if efforts are made to deprive an individual of this freedom.

What has happened in West Bengal is that one party has formed the Government there according to the Constitution. After being in power they want to crush democracy itself. This attack on Shri Bimal Ghosh is an attack on those fundamental principles upon which the success of a democracy rests. Such incidents will not be tolerated and if such incidents recur, we will oppose them in a democratic way.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh) : Sir, I completely endorse what our sister and Shri Madhok have said. All of us sitting here are the members of a family of this Parliament. All of us have taken an oath to run the administration of this country on democratic lines and to safeguard the democracy in this country. What happened with Shri Bimal Ghosh is not a question of any particular political party but it is the question of the dignity of a member and of the democracy. The attack on Shri Bimal Ghosh is a pointer to the fact that efforts are being made to sabotage the democracy and to encourage anti-democratic forces in the country. When the very existence of democracy is threatened, is not our duty to suite the political differences and unite together to save this edifice of democracy.

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, this is not a localised incident and it should be considered the symptom of a malady that will engulf the whole country one day. The attack on Shri Ghosh should be deprecated in strongest terms. The atmosphere of violence and lawlessness is enveloping the country and all of us are responsible for it. There are non-Congress Governments in some of the states. The constituent political parties in those Government should demonstrate to the people how fundamental changes can be brought about even without resorting to undemocratic means and violence. The people of this country have faith in democracy. We are the elected representatives of the people and if any one amongst us violates the provisions of the Constitution, we should raise our voice against that. This is the lesson which we have to learn.

अध्यक्ष महोदय : श्री वासुदेवन नायर ने जो कुछ कहा उससे मुझे बहुत आघात पहुंचा है क्योंकि उन्होंने कहा कि इसके लिये मैं जिम्मेदार था। जब कांग्रेस के विरुद्ध कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उनको अध्यक्ष अच्छा प्रतीत होता है, परन्तु जब उनके विरुद्ध कोई ऐसी चीज होती है तो वे बहुत गरम हो जाते हैं और अध्यक्ष पर भी आरोप लगाते हैं। क्या

मेरा काम यहां पर केवल कांग्रेस विरोधी प्रस्तावों को ही स्वीकार करना है ? मैं भी वासुदेवन नायर से अपील करूंगा कि वह इस पर विचार करें कि उन्होंने जो कुछ कहा क्या वह कहना उनके लिये उचित था ।

श्री वासुदेवन नायर : मैंने जो कुछ कहा उसके लिये मुझे खेद है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I have to say only one thing and that is that no Member belonging to the Group to which I belong or of the Communist Party believes in assaulting or killing a political opponent. I have all sympathies for Shri Ghosh. But it is wrong to deduce from this solitary incident the whole democratic set up is tottering in this country. I have got a statement signed by five persons in which a very different version of the incident is given. Therefore, we should see as to who is responsible for this incident. The Central Government should not interfere in West Bengal. If the Central Government interferes, it will be opposed tooth and nail in every street of West Bengal.

श्री पं० राममूर्ति (मदुरै) : सर्वप्रथम मैं श्री विमल घोष पर किये गये आक्रमण की निन्दा करता हूं । इस सम्बन्ध में सभा में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि तथ्यों की जांच किये बिना किसी प्रकार के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है । यह विचित्र प्रकार का लोकतन्त्र है । जब मैं गांधी जी का अनुयायी था तो मैंने उनसे एक बात सीखी थी और वह यह कि बिना तथ्यों की जांच किये किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिये । इस लोकतन्त्र में जिस दल पर आरोप लगाये जाते हैं उसे अपनी राय बताने का अवसर तक नहीं दिया जाता । यदि यही स्थिति बनी रही तो इस देश में लोकतन्त्र सदा के लिये समाप्त हो जायेगा ।

अगले दिन गृह-कार्य मंत्री ने बताया था कि 24 जून को इस माननीय सदस्य के कपड़े फाड़ दिये गये और उन्हें बदकाली की सड़कों पर नंगा घुमाया गया । गृह-कार्य मंत्री के भाषण से पूर्व यह समाचार किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ । उक्त माननीय सदस्य ने पुलिस के सामने जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कवायी थी, उसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं कि उनके कपड़े फाड़ दिये गये थे और बदकाली की सड़कों पर उन्हें नंगा घुमाया गया था । गृह कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद श्री घोष ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दे दिया है ।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : यह मामला केवल कपड़े फाड़ने की घटना पर आधारित नहीं है । यह बहुत बड़ा मामला है ।

श्री पं० राममूर्ति : श्री चव्हाण के वक्तव्य में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है । 'वसुमति' नामक समाचार पत्र में यह बात साष्ट्र रूप से कही गई है । यह एक बंगाली पत्र है और मुझे आशा है कि इस पत्र के सम्बन्धित संपादकीय का अनुवाद गृह मंत्री को दिया गया होगा । गड़बड़ी के दो कारण बताये जाते हैं और न्यायालय उन दोनों कारणों की जांच करेगा । ऐसी स्थिति में किसी बात को गलत या ठीक बताना अनुचित होगा ;

मेरे विचार में यह जो कपड़े उतार कर नंगा करने वाली बात है, उसका उल्लेख पहले कागजों में नहीं था यह बाद में गोपनीय ढंग से उनमें किया गया है। (व्यावधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की जिरह से समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री प० राममूर्ति : यह एक कटु-सत्य है। मैं यह दस्तावेज सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार हूँ मैं इसके गलत या ठीक होने के बारे में कोई बात नहीं कह रहा। न्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई विशेष घटना घटित होती है जिसके लिये अभी तक कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका, ऐसी स्थिति में किसी दल पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिये यदि कोई ऐसी घटना होती है तो हम सब को मिलकर विचार करना चाहिये जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। किसी घटना विशेष से तुच्छ राजनीति के लाभ उठाने का प्रयत्न करना और सारे दल को अपराधी बताना उचित नहीं है।

साम्यवादी दल पर कुछ भी आरोप लगाये जायें परन्तु वह केवल बंगाल में ही नहीं, समस्त देश में सुहृद बनता चला जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जहां तक इस मामले के तथ्यों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच की जा रही है और निश्चय ही न्यायालय का निर्णय स्वीकार किया जायेगा। यह बात किसी व्यक्ति या दल पर आरोप लगाने की नहीं है क्योंकि हम इस सम्बन्ध में ऐसा कोई रवैया नहीं अपना रहे।

यह कहा गया है कि मैंने जानबूझ कर कोई ऐसी बात कही है जो सत्य नहीं है। मेरा वक्तव्य पश्चिमी बंगाल की सरकार से प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। जब यह प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया तो मैंने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से और तथ्य जानने चाहे। मुझे वहां से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें लिखा है कि "एक स्थूल व्यक्ति होने के कारण श्री घोष भाग नहीं सके और अपराधी व्यक्तियों द्वारा पकड़े गये। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और उनके सभी कपड़े फाड़ दिये गये।" इसलिये मैंने पहले जो वक्तव्य दिया है, वह गलत नहीं है। सभा में जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें किसी का स्वार्थ निहित नहीं है। यदि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है तो उसका सम्बन्ध आधारभूत राजनीति अर्थात् लोकतन्त्रात्मक राजनीति से ही है। यदि कोई व्यक्ति पीटा जाता है तो निश्चय ही उसकी निन्दा की जानी चाहिये। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान की बात नहीं है। आज देश में लोकतांत्रिक चेतना जग चुकी है। चाहे कुछ भी कठिनाइयां हों यही चेतना लोकतन्त्र की गारंटी है। मैं किसी दल या सरकार की बात नहीं कर रहा, ऐसी घटनाओं से आधारभूत राजनीतिक मूल्यों को खतरा है जिन्हें हम हर हालत में बचाना चाहते हैं। इसलिये मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूँ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): What happened to the document to be laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में नियम 368 है। इसमें लिखा है :

“परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा।”

“परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज्य-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।”

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह बात कह रहा हूँ।

कार्य मन्त्रणा समिति BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पांचवां प्रतिवेदन

संसदीय-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 19 जुलाई, 1967/ 28 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, July 19, 1967/ Asadha 28, 1889 (Saka).